

राजस्थानराजपत्र विशेष ांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
स धिक रप्रक शशत	Published by Authority
चैत्र 13, गुरुवार, शाके 1947- अप्रेल03, 2025 <i>Chaitra</i> 13, Thursday, Saka 1947- April 03, 2025	

भाग-4(क)

राजस् थान ववधान मण् डल के अधिनमम।

विधि (विायीप्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 1, 2025

संख्याप.2(7)विधि/2/2025.- राजस् थानराज मववधान-मण् डलकांिनम नांककतअधिनमम,
जजसेराजमपालमहोदमकीअनुमितददनांक 27 माचच,2025 कोप्राप तहुई,
एतद्वारासवचसाधारणकीसूचनाथचप्रकाशितककमाजाताहै:-

बीकानेरविकासप्राधिकरणअधिननयम, 2025**(2025्काअधिननयमसंख्यांक8)**

(राजमपालमहोदमकीअनुमितददनांक 27 माचच,2025 कोप्राप तहुई)

बीकानेरिहरतथाउसकेिनकटवतीकितपमक्षेत्रोंकोशमलाकरबीकानेररीजनबनाने,
बीकानेररीजनकेसमुचित, सुवमवजस्थततथासत्वरववकासकेशलएमोजनाबनाने,
उनमेंसमन्वमस्थावपतकरनेऔरउसकापमचवेक्षणकरनेऔरऐसेववकासकेशलएमोजनाओं,
पररमोजनाओंतथास्कीमोंकोनिष्पाददतकरनेकेप्रमोजनकेशलएप्राधिकरणकीस्थापनाऔरउससेसांबांधितमामलों
काउपबन्धकरनेहेतुअधिनमम।

मतः,

बीकानेरिहर,नापासरऔरदेिनोकऔरउसकेिनकटवतीक्षेत्रक्रमकरूपसेववकशसतऔरआबादहोतेजारहेहैंऔरइ
सबातकीपमाचप तआवश

मकतामहसूसकीजारहीहैककऐसेक्षेत्रोंकोबीकानेररीजनकारूपदेददमाजामेऔरइनक्षेत्रोंकेसमुचित, सुव
मवजस्थतऔरसत् वरववकासकेशलएमोजनाएंबनाने, उनमेंसमन् वमस्

थावपतकरनेतथाउनकापमचवेक्षणकरनेकेशलए, जजसकेशलए, वतचमानमेंअनेकसरकारीववभाग, स्
थानीमप्राधिकारीऔरअन् मसांगठनअपनी-अपनीअधिकाररताओंकेभीतरकामचीलहैं, एकऐसेप्राधिकरणकीस्
थापनाकीजामे; औरमहउपबन् धभीककमाजामेककऐसाप्राधिकरणस् वमांमाककसीअन् मप्राधिकारीकेमाध
ममसेबीकानेररीजनकेववकाससेसांबांधितमोजनाएं, पररमोजनाएंऔरस् कीमेंबनानेऔरउनकांनिष्
पादनकरनेमेंसमथचहोसकेताककआगामी 2040 ईस् वीतकमाउसकेपश चात्कीअविधकेशलएभी, जजसमेंमध
मवतीचरणभीसजममशलतहोंगे,बीकानेररीजनकीजनसांख माकेशलएआवासन, सामुदािमिसुववधाएं,
नागररकसुववधाएंऔरअन् मअवस् थापनोंकीसुचारुरूपसेव् मवस् थाहोसकेऔरमहककउपमुचक
तप्रमोजनोंसेसांबांधितमामलोंकेशलएउपबन् धककमाजामे।

भारतगणराज मकेिहित् तरवेंवर्चमेंराजस् थानराज मववधान-मण् डलिनम
नशलखितअधिनममबनाताहै:-

157 राजस् थानराज-पत्र,अप्रेल 03,2025भाग4(क)

अध्याय 1

प्रारम्भभक

1. संक्षिप्तनाम, प्रसारऔरप्रारम्भ.- (1) इसअधिनममकानामबीकानेरववकासप्राधिकरणअधिनमम,
2025 है।

(2) इसकाप्रसारबीकानेररीजनक्षेत्रपरहोगा।

(3) मह 11 ददसम बर, 2024 कोऔरसेप्रवृत्तसमझाजामेगा।

2. पररभाषाएं.- इसअधिनमममें, जबतकसांदभचसेअन् मथाअपेक्षक्षतनहो,-

(1) "कृवर्" मेंउद्धानकृवर्, फल-कृवर्, बीज-कृवर्, दुग ध-उद्भोग, उद्धान-कमच, वनोद्भोग, पुि-प्रजननअथवाभूशमकापौधालामागोचरभूशमकेरूपमेंउपमोगअथवाभूशमकाऐसाकोईअन् मउपमोगसजममशलतहैजोउसपरितीकेमाअन् मकृवर्कप्रमोजनोंकाअनुर्ांगीहो, तथािब द "कृवर्क" कातदनुसारअथचलगामाजामेगा;

(2) "सुि-सुववधाएं" मेंसड़कें, पुल, सांचारकेकोईअन् मसाधन, मातामात, गशलमां, िुलेस् थान, पाकच, आमोद-प्रमोदकेस् थल, िेलकूदकेमैदान, जल, गैसतथाववद्युत्प्रदाम, औरऊजाचकाकोईस्रोत, गलीप्रकाि्व मवस् था, मल-वहन, जल-िनकास, मल-सफाई, सावचजिनकिनमाचणकामचऔरऐसीअन् मउपमोिंगताएं, सेवाएंएवांसुववधाएंआतीहैंजजनकाइसइसअधिनमममेंकेप्रमोजनकेशलएराज मसरकारप्रािधकरणकेपरामिचसे, राजपत्रमेंअिधसूचनाद्वारा, सुि-सुववधाहोनावविनददचष् टकरे;

(3) "प्रािधकरण" सेधारा 3 केअधीनगदठतबीकानेरववकासप्रािधकरणअशभप्रेतहै;

(4) "बीकानेररीजन" सेअनुसूचीमेंवविनददचष् टिहर, नगरोंऔरगांवोंकीसीमाओंमेंकेक्षेत्रअशभप्रेतहैं।राज मसरकारसमम-सममपरराजपत्रमेंप्रकाशितअिधसूचनाद्वारा, उसअनुसूचीकोऐसीअिधसूचनामेंवविनददचष् टककसीक्षेत्रकोजोड़करमाउसमेंसेहटाकरसांिोिधतकरसकेगीऔरतदुपरान् तउपान् तररतक्षेत्रबीकानेररीजनहोगा;

(5) "भवन-सांकक्रमा" मेंभवनोंकेपुनिनचमाचण-सांकक्रमा, भवनोंकेसांरचनात् मकपररवतचनमाउनमेंपररवधचनऔरभवनोंकेिनमाचणकेसांबांधमेंहाथमेंलीगमीअन् मसांकक्रमासजममशलतहैं;

(6) "ववकास" से, इसकेव् माकरखणकरूपभेदोंसदहत, भूशम (जजसमेंनदी, झीलमाअन् मकोईजलकेनीचेकीभूशमसजममशलतहै) में, उसपरमाउसकेनीचेकीजानेवालीकोईभीभवनसांकक्रमाएं, इंजीिनिमरी, िननमाअन्

मसांकक्रमाएंमाककसीभवनमाभूशमकेउपमोगमेंकोईताजत्वकपररवतचनकरनाऔरककसीभूशमकापुनववकास औरअशभन् मास, औरउप-ववभाजनतथाकृवर्, उद्धान-कृवर्, फूलोंकीेती, वनलगाना, डेमरीववकास, कुक कुटपालन, सूअरपालन, पुिप्रजनन, मत् स् मपालनऔरअन् मऐसेहीकक्रमाकलापअशभप्रेतहैं; और "ववकासकरना" कातदनुसारअथचलगामाजामेगा;

(7) "ववकासक्षेत्र" सेधारा 29 कीउप-धारा (1) केअधीनइसरूपमेंघोवर्तक्षेत्रअशभप्रेतहैजजसमेंस् कीमों, पररमोजनाओंद्वारामाअन् मथा, ककसीसमुिचितकालाविधकेभीतरववकासकाककमाजानाप्रस् ताववतहै; (8) "सरकार" सेराजस् थानराज मकीसरकारअशभप्रेतहै;

(9) "भूशम" मेंभूशमसेउत् पन् नफामदे, औरजमीनसेसांलग नवस् तुएंमाजमीनसेस् थामीरूपसेजुडीहुईवस् तुएंसजममशलतहैं;

(10) "स् थानीमप्रािधकारी" सेनगरपाशलकामापांचामतअशभप्रेतहै;

(11) "नगरपाशलका" सेराजस् थाननगरपाशलकाअिधिनमम, 2009 (2009 काअिधिनममसां.18) केअधीनबीकानेररीजनमेंस् थावपतकोईनगरपाशलकाअशभप्रेतहै;

भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र,अप्रेल 03,2025158

(12) "अिधभोगी" केअन् तगचतआताहै,-

(क) स् वामीअथवाकोईव् मजकतजो, अशभव् मक तमावववक्षक्षतसांववदाकेशसवाम, ककसीभवन माभूशमकेस् वामीकोककरामासांदत् तकररहाहोमासांदामकरनेकादामीहो; मा (ि) कोईभीव् मजकतजोककसीभूशममाभवनकेस् वामीकोऐसेककसीसांपूणचभवनमाभूशम कामाउसकेककसीभागकासदोअिधभोगकरनेकेशलएनुकसानीकासांदामकरने कादामीहो; और

(ग) ककसीभवनमाभूशमकाककरामा-मुक तअिधभोगी;

(13) "स् वामी" केअन् तगचतऐसाव् मजकतआताहैजोककसीअशभव् मक तमावववक्षक्षतसांववदाकेशसवाम, चाहेअपनेस् वमांकेशलएअथवाककसीअन् मव् मजकतकेशलएमाककसीधाशमचकअथवापूतचसांस् थाकेशलएएकअशभकताच, न् मासी, सांरक्षक, प्रबन् धकअथवाररसीवरकेरूपमेंककसीभवनमाभूशमकाककरामामालाभप्राप तकररहाहैमाप्राप तकरनेकाहकदारहै;

(14) "पांचामत" सेराजस् थानपांचामतीराजअिधिनमम, 1994 (1994 काअिधिनममसां.13) केअधीनबीकानेररीजनमेंस् थावपतकोईपांचामतअशभप्रेतहै;

(15) "मोजना" सेइसइसअिधिनममकेअधीनतैमारकीगमीअथवातैमारकीहुईसमझीगमीकोईमास्

टरववकासमोजनामाजोनलववकासमोजनाअशभप्रेतहैऔरअशभव् मजकत "कोईमोजना"
कातदनुसारअथचलगामाजामेगा;

(16) "ववदहत" सेइसअधिनममकेअधीनबनामेगामेनिममोंद्वाराववदहतअशभप्रेतहै;

(17) "लोकप्रमोजन"

मेंऐसाकोईभीप्रमोजनसजममशलतहैजोजनतामाजनताकेककसीवगचमाप्रवगचऔरइसअधिनममकेअधीनककसीमो
जना, पररमोजनाअथवास् कीममेंआरक्षक्षतमाअशभदहतभूशमकीअपेक्षाअथवाककसीअन्
मप्रमोजनकेशलएउपमोगीहै;

(18) "वविनमम" सेइसअधिनममकेअधीनप्राधिकरणद्वाराबनामागमावविनममअशभप्रेतहै; (19)

"निमम" सेइसअधिनममकेअधीनसरकारद्वाराबनामागमाविनममअशभप्रेतहै;

(20) "अधिकरण" सेइसअधिनममकेउपबन् धोंकेअधीनगदठतअधिकरणअशभप्रेतहै;

(21) "जोन" सेउनिण् डोंमेंसेकोईण्

डअशभप्रेतहैजजनमेंबीकानेररीजनकोइसअधिनममकेअधीनववकासकेप्रमोजनकेशलएववभाजजतककमाजामे;
और

(22) उनिब दोँऔरअशभव् मजकतमोंका, जजनकाइसअधिनमममेंप्रमोगककमागमाहैककन् तुजजन्
हेंइसमेंपररभावर्तनहींककमागमाहै, वहीअथचलगामाजामेगाजोउनकोराजस् थाननगरसुधारअधिनमम, 1959 (1959
काअधिनममसां. 35) औरराजस् थाननगरपाशलकाअधिनमम, 2009 (2009 काअधिनममसां.18) मेंददमागमाहै।

अध्याय 2

प्राधिकरणकीस्थापनाऔरगठन

3. बीकानेरविकासप्राधिकरणकीस्थापना.- (1)राज मसरकारइसअधिनममकेप्रारम भकेपश चात्माथिक
मीघराजपत्रमेंअधिसूचनाद्वारा, इसअधिनममकेप्रमोजनोंकेशलएएकप्राधिकरणकीस् थापनाकरेगी, जो
"बीकानेरविकासप्राधिकरण" कहलामेगा (जजसेइसमेंइसकेपश चात् "प्राधिकरण" कहागमाहै)। (2) उक
तप्राधिकरणपूवोक तनामसेएकिनगशमतिनकामहोगाजजसेिाश वतउत् तराधिकारप्राप
तहोगाऔरजजसकीसामान् ममुहरहोगीऔरजजसेइसअधिनममकेउपबन् धोंकेअध मधीनजांगमतथास् थावर

159 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4 (क)

दोनोंप्रकारकीसांपजत्तमोंकाअजचन, धारणएवांव ममनकरनेऔरसांववदाकरनेकीजिकतहोगीऔरअपने
निगशमतनामसेवहवादलासकेगामाउसकेववरुद्धवादलामाजासकेगा।

(3) राजस् थानसाधारणिण् डअधिनमम, 1955 (1955 काअधिनममसां. 8) मेंमथापररभावर्तपद
"स् थानीमप्राधिकारी" केअथाचन् तगचतप्राधिकारीकोस् थानीमप्राधिकारीसमझाजामेगा।

4. बीकानेरविकासप्राधिकरणकीसंरचना.- (1) प्राधिकरणमेंनिम नशलखितसदस् महोंगे, अथाचत्:-

- अध मक्ष, जोराज मसरकारद्वारानिमुक तककमाजामेगा;
- बीकानेरविकासआमुक त, बीकानेरजोउपाध मक्षहोगा;
- िासनसिचव, नगरीमिसन (ववकासऔरआवासनववभाग); माउसकाप्रितिनिधजो
उपसिचवकीरैंकसेनीचेकानहो;

स्पष्टीकरण:-इसिण् डकेप्रमोजनकेशलएअशभव् मजकत "सिचव" सेववभागका

प्रभारीिासनसिचवअशभप्रेतहैऔरइसमेंकोईअतररक तमुख मसिचवऔरप्रमुि
सिचवजबवहउसववभागका/कीप्रभारीहो, सजममशलतहै।

- उपआवासनआमुक त, राजस् थानआवासनबोडच, जमपुर (बीकानेररीजन);
- अतररक तमुख मअशभमांता, जनस् वास् थ मअशभमाजन्तकीववभाग, बीकानेर;
- अतररक तमुख मअशभमांता, सावचजिनकिनमाचणववभाग, बीकानेर;
- जजलाकलक टर, बीकानेर;
- पुशलसअधीक्षक, बीकानेरिहर;
- प्रबांधिनदेिक, राजस् थानराज मऔद्वोगिकववकासएवांवविनमोजनिनगमशलशमटेडमा
उसकाप्रितिनिधजोमहाप्रबांधककीरैंकसेनीचेकानहो;
- प्रबांधिनदेिक, राजस् थानराज मपथपररवहनिनगम (रा.रा.प.प.ि.) माउसकाप्रितिनिधजो
मुख मआगारप्रबांधककीरैंकसेनीचेकानहो;
- जोधपुरववद्युत्ववतरणिनगमशलशमटेडकाप्रितिनिधजोअतररक तमुख मअशभमन् ता

कीरैंकसेनीचेकानहो;

- (xii) महापौर/प्रासक, नगरिनगम, बीकानेर;
- (xiii) अध मक्ष/प्रासक, नगरपाशलकाबोडच, नापासर;
- (xiv) अध मक्ष/प्रासक, नगरपाशलकाबोडच, देिनोक;
- (xv) जजलाप्रमुि, जजलापररर्द्, बीकानेर;
- (xvi) वररष् ठनगरिनमोजक, बीकानेरजोन, बीकानेर;
- (xvii) प्रबांधिनदेिक, बीकानेरडेमरी, बीकानेर;
- (xviii) सातसेअनिधकगैर-सरकारीसदस् म, राज मसरकारद्वारानामिनदेशितककमेजानेवाले;

और

- (xix) सिचव, बीकानेरववकासप्रािधकरण- जोसदस् म-सिचवहोगा।

(2) उप-धारा (1) मेंिनददचष् टसदस् मोंकेअतररक त, राज मसरकार, मददउचितसमझेतोककसी कृत् मकारीबोडचकेअध मक्षकोभीप्रािधकरणकासदस् मिनमुक तकरसकेगी।

- (3) प्रािधकरणकाअध मक्ष, प्रािधकरणकीओरसेसमस् तकक्रमाकलापोंकापमचवेक्षणकरेगाऔरउन परिनमांत्रणरिगाऔरऐसीजिकतमोंकाप्रमोगऔरऐसेकतचव् मोंकापालनकरेगाजोइसअिधिनममके अधीनउसकोप्रदत्तककमेगमेहोंऔरऐसीअन् मिजकतमोंकाप्रमोगऔरऐसेअन् मकतचव् मोंकापालनकरेगा

भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025160

जोप्रािधकरण, वविनममोंद्वारा, समम-

सममपरअवधाररतकरे।वहप्रािधकरणकेअधिकाररमोंऔरइसअिधिनममकेउपबांधोंकेअधीनगदठतसशमितमोंकेव विनश चमोंका, प्रािधकरणद्वाराउसकीअगलीबैठकमेंपुजष्टकरणकेअध मधीनरहतेहुए, उपांतरणभीकरसकेगा।

- (4) उपाध मक्षऐसीजिकतमोंकाप्रमोगऔरऐसेकतचव् मोंकापालनकरेगाजोप्रािधकरणकाअध मक्ष, आदेिद्वारा, उसेप्रत् मामोजजतकरेऔरअध मक्षकीअनुपजस्थितमेंवहअध मक्षकेकृत् मोंकापालनऔरिजकतमोंकाप्रमोगकरेगा।

- (5) सदस् म, प्रािधकरणमाउसकीककसीसशमितमािनकामकीबैठकोंमेंहाजजरहोनेमासदस् मकेरूपमेंककन् हींअन् मकृत् मोंकासम पादनकरनेमेंककमेगमेव् मजकतगतव् ममकोपूराकरनेकेशलएऐसेभत्तेप्राप तकरेंगेजोववदहतककमेजामें।

- (6) जहांकोईव् मजकतककसीपदकोधारणकरनेकेआधारपरमासांसद्वाराज मववधान-मण् डलमाककसीस् थानीमप्रािधकारीमाककसीअन् मप्रािधकारी, िनगम, पररर्द्, बोडचमािनकामका, चाहेवहिनगशमतहोमानहीं, सदस् महोनेकेकारणप्रािधकरणकासदस् महोजाताहैमानामिनदेशितककमाजाताहैवहांवह, मथाजस्थित, ऐसेपदकाधारकमासदस् मनरहनेपरप्रािधकरणकासदस् मभीनहींरहेगा।

- (7) पदेनसदस् मोंसेशभन् न, प्रािधकरणकाकोईभीसदस् मककसीभीसममअध मक्षकोस् वमांद्वाराशलखितसांबोधनद्वाराअपनेपदसेत् मागपत्रदेसकेगाककन् तुवहतबतकसदस् मबनारहेगाजबतकअध मक्षद्वाराउसकात् मागपत्रस् वीकारनकरशलमाजामे।

- (8) उप-धारा (1) केिण् ड (xviii) केअधीननामिनदेशितप्रािधकरणकेगैर-सरकारीसदस् मोंकीपदाविधदोवर्चकीकालाविधकेशलएहोगी:

परन् तुउसदिमेंजबउपमुचक तककसीसदस् मकापदमृत् मुहोजाने, हटामेजाने, त् मागपत्रदेदेनेकेकारणमाअन् मथाररक तहोगमाहोतोउसररजकतकोउप-धारा (1) केिण् ड (xviii) केउपबांधोंकेअनुसारनमेनामिनदेिनद्वाराभराजामेगा।

- (9) प्रािधकरण, माउसकेककसीबोडच, सशमितमाअन् मिनकामकाकोईकामचमाकामचवाहीककसीभीसममकेवलइसआधारपरअवविधमान् मनहींसमझीजामेगीककप्रािधकरणमाऐसेिनकामकेककसीसदस् मकानामिनदेिनमािनमुजकतनहींकीगमीहैमाककसीअन् मकारणविप्रािधकरणमाऐसेिनकामकेगठनकेमाबैठककेसममवहअपनापदसांभालनेकेशलएउपलब धनहींहैमाकोईव् मजकतएकसेअधिकहैशसमतसेसदस् महैमाप्रािधकरणमाऐसेिनकामकेककन् हींसदस् मोंकेपदोंकीएकमाअधिकररजकतमांहैं।

5. प्रािधकरणकीबैठकें.- (1) प्रािधकरणकीिहमासमेंकमसेकमएकबारबैठकऐसेस् थानपरऔरऐसेसममपरहोगीजोअध मक्षवविनजशचतकरे, औरधारा 6 केउपबांधोंकेअध

मधीनरहतेहुएउसकीबैठककेकामचसांचालन (उसमेंगणपूितचकोसजममशलतकरतेहुए)
सांबांधीप्रकक्रमाकेऐसेिनममोंकाअनुपालनककमाजामेगाजोवविनममोंद्वाराअधिकथतककमेजामें।

(2) अध मक्षमाउसकीअनुपजस्थितमेंउपाध मक्ष, प्रािधकरणकीप्रत् मेकबैठककीअध
मक्षताकरेगा।मददककसीकारणविअध मक्षऔरउपाध
मक्षदोनोककसीबैठकमेंउपजस्थितहोनेमेंअसमथचहोंतोप्रािधकरणकाकोईअन् मसदस् म,
जजसेबैठकमेंउपजस्थितउसकेसदस् मोंद्वारािनवाचिचतककमाजामे, बैठककीअध मक्षताकरेगा।

6. सदस्यताकीसमाम्पत्.- (1) प्रािधकरणकाकोईसदस् म,

जोप्रािधकरणद्वाराउसकेिनशमत्तकीगमीमाककमेजानेकेशलएप्रस् ताववतककसीसांववदा, उधार, प्रबन् धमाप्रस्
तावमेंप्रत् मक्षमाअप्रत् मक्षरूपसेकोईमरअथवाधनसांबांधीअन् मदहतरीताहैमाअजजचतकरताहै,
प्रािधकरणकासदस् मनहींरहेगा:

161 राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025भाग4(क)

परन् तुककसीसदस्

मकोकेवलइसीकारणऐसािंमरधारीमादहतधारीनहींसमझाजामेगाककवहऐसीककसीसांववदा, उधार, प्रबन्
धमाप्रस् तावमेंककसीपजबलकशलशमटेडकम पनी/समुत् थानकािंमरधारीहैमाककवहस्
वमांमाउसकाकोईसांबांधीप्रािधकरणद्वाराउसकेिनशमत्तिनमोजजतहैमाककप्रािधकरणकेसदस्
मकीहैशसमतसेउसकाऐसाकोईमरमादहतहैमाककउसकीसम पजत्तमाऐसीकोईसम
पजत्तजजसमेंउसकािंमरमादहतहै, करारद्वारामातत्
सममप्रवृत्तककसीवविधकेअनुसारप्रािधकरणद्वाराउसकेिनशमत्तअजजचतकीमापट्टेपरलीजातीहैअथवाकीमालीजार
हीहै।

(2) मददकोईऐसाप्रश नउत्पन् नहोजामेकक माप्रािधकरणकाकोईसदस् मउप-धारा (1)
मेंउजललखितिनरहचताओंकेअधीनआगमाहैतोमहप्रश नराज मसरकारकोवविनश
चमकेशलएभेजाजामेगाऔरउसकावविनश चमअजन्तमहोगा।

7. काययकारीसममनतकागठनऔरशमत्तयां.- (1)प्रािधकरणकीएककामचकारीसशमितहोगी,
जजसमेंिनम नशलखितसदस् महोंगे, अथाचत्:-

- (i) बीकानेरववकासआमुक त, जोअध मक्षहोगा;
- (ii) सिचव, नगरीमिसन (ववकासतथाआवासन) काप्रितिनिध, जोउपसिचवकीरैंकसे
नीचेकानहो;

स्पष्टीकरण.-इसउप-धाराकेप्रमोजनकेशलएअशभव् मजकत "सिचव" सेववभाग
काप्रभारीासनसिचवअशभप्रेतहैऔरइसमेंकोईअतिररक तमुख मसिचवऔरप्रमुि सिचव,
जबवहउसववभागका/कीप्रभारीहो, सजममशलतहै।

- (iii) जजला कलेक टर, बीकानेर;
- (iv) पुशलस अधीक्षक, बीकानेर िहर;
- (v) सिचव, बीकानेर ववकास प्रािधकरण, जो सशमित का सदस् म-सिचव होगा;
- (vi) अतिररक त मुख म अशभमन् ता, सावचजिनक िनमाचण ववभाग, बीकानेर रीजन, बीकानेर,
राजस् थान;
- (vii) अतिररक त मुख म अशभमन् ता, जन स् वास् थ म अशभमांत्रकी ववभाग, बीकानेर रीजन,
बीकानेर, राजस् थान;
- (viii)जोधपुर ववद्युत् ववतरण िनगम शलशमटेड का प्रितिनिध जो अतिररक त मुख म अशभमन्
ता की रैंक से नीचे का न हो;
- (ix) प्रबांध िनदेिक, राजस् थान राज म औद्योगिक ववकास एवं वविनमोजन िनगम
शलशमटेड मा उसका प्रितिनिध जो महाप्रबांधक की रैंक से नीचे का न हो;
- (x) प्रबांध िनदेिक, राजस् थान राज म पथ पररवहन िनगम मा उसका प्रितिनिध जो
महाप्रबांधक की रैंक से नीचे का न हो;
- (xi) उप िनदेिक, पमचटन, बीकानेर;

- (xii) प्राधिकरण का निदेशिक, अशभमांत्रिकी;
- (xiii) प्राधिकरण का निदेशिक, नगर निमोजन;
- (xiv) प्राधिकरण का निदेशिक, ववत् त;
- (xv) प्राधिकरण का निदेशिक, वविध;
- (xvi) आमुक त, नगर निगम, बीकानेर;
- (xvii) कामचपालक अधिकारी, नगर पाशलका बोडच, नापासर; और

भाग 4(क) 1/2 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 162

(xviii) कामचपालक अधिकारी, नगर पाशलका बोडच, देनोक।

(2) कामचकारीसशमितनम नशलखितितजकतमोंकाप्रमोग औरनम नशलखितकतचव् मोंकापालनकरेगी, अथाचत्:-

- (i) प्राधिकरणकेडडवीजनोंऔरकक्रमांलीलइकाइमोंकासांगठन;
- (ii) वविनममों के प्रारूप तैमार करना और प्राधिकरण को उनके बनाने की शसफाररि करना;
- (iii) बीकानेर रीजन ववकास निधमों का प्रचालन;
- (iv) पररमोजनाएं और स् कीमें तैमार करना;
- (v) पररमोजनाओं और स् कीमों के शलए निववदाएं स् वीकार मा अस् वीकार करना;
- (vi) सरकार के पूवच अनुमोदन से प्राधिकरण के अधीन पदों का सृजन ऐसे स् तर तक करना जो वविनममों द्वारा अवधाररत हो;
- (vii) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षकत धनराशि उधार लेना और पुनः उधार लेना;
- (viii) बीकानेर रीजन ववकास निध की अधिर् राशि का वविनमोजन;
- (ix) पररमोजनाओं और स् कीमों के शलए ककसी स् थानीम अथवा अन् म प्राधिकारी मा व मजकत को अनुदान, धन सांबांधी सहामता, उधार मा अरिमम देना मा उसके िचच में दहस् सा देना;
- (x) प्राधिकरण के निशमत्त वविधक कामचवादहमां सांजस्थत करना मा प्रत् माहत करना; और
- (xi) अपने अध मक्ष मा प्राधिकरण के ककसी अधिकारी को अपनी िजकतमों और कृत् मों

में से ककसी का प्रत् मामोजन करना।

(3) कामचकारीसशमितइसअधिनममकेअन् मउपबन् धोंकेअधीनअपनेकोप्रदत् तिजकतमोंऔरकृत् मोंकेअतररक तऐसीअन् मिजकतमोंकाप्रमोगऔरऐसेअन् मकृत् मोंकापालनकरेगीजोप्राधिकरणद्वाराउसेसमम-सममपरप्रत् मामोजजतककमेजामें।

(4) कामचकारीसशमितकीबैठकऐसेस् थानऔरऐसेसममपरहोगीजैसाकउसकेअध मक्षद्वारा निमतककमाजामेऔरवहकामचसांचालनसांबांधीप्रकक्रमाकेऐसे निममोंकापालनकरेगीजोवविनममोंद्वारा अवधाररतककमेजामें।

8. बीकानेरविकासआयुत्त, ननदेशकों, सधचिआददकीननयुम्तत.- (1) राज

मसरकारअपनेअधिकाररमोंमेंसेककसीअधिकारीकोबीकानेरववकासआमुक तकरूपमेंऐसेवेतनऔरभत्तोंपरऔरसेवाकेऐसे निबन् धनोंऔरितचपरिनमुक तकरेगी, जोराज मसरकारद्वाराअवधाररतकीजामें। वहप्राधिकरणकामुख मकामचपालकअधिकारीहोगाऔरप्राधिकरणमाकामचकारीसशमितमाककसीअन् मसशमितमाककसीकृत् मकारीबोडचमाउसकेककसी निकाममेंप्रितिनमुजकतपरसमम-सममपरिनमुक तसरकारीअधिकाररमोंसदहतप्राधिकरणकेसमस् तअधिकाररमोंऔरकमचाररमोंकेकामचकापमचवक्षणकरेगाऔरउनपरिनमांत्रणरिगा। वहप्राधिकरणकोदेमसमस् तराशिमोंकेसारिमहऔरउसकेद्वारासांदेमसमस् तराशिमोंकेसांदामकेशलएउत् तरदामीहोगा। वहप्राधिकरणकीनकदिर्शिंसदहतसमस् तआजस्तमोंकीपमाचप तसुरक्षासु निजशचतकरेगा। उपमुचक तिजकतमोंऔरकतचव् मोंतथाप्राधिकरणमाकामचकारीसशमितमाककसीअन् मसशमितमाककसीकृत् मकारीबोडचमाउसकेककसी निकामद्वाराप्रत् मामोजजतिजकतमोंतथाकतचव् मोंकेअलावा

163 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

वहिनम नशलखितितजकतमोंकाप्रमोग, निम नशलखितकृत् मोंकापालनऔरनिम नशलखितकतचव् मोंका निवचहनकरेगा, अथाचत्:-

- (i) प्राधिकरणकीप्रवतचनइकाइमोंकाप्रबन्ध औरपमचवेक्षणकरना;
 - (ii) अन् मथाउपबजन्धतकेशसवाम, प्राधिकरणमा, मथाजस्थित, कामचकारीसशमितद्वारा स्वीकृतसांख्य माकेअनुसारकमचाररमोंकीनिमुजकत, जजसमेंप्राधिकरणद्वाराबनामेगमे वविनममोंकेअनुसारउनकोहटामाजाना, पदच मुतककमाजानामाअन् मथादण्ड देनाभी सजममशलतहै;
 - (iii) प्राधिकरणकेप्रबन्धकेशलएआन् तररकप्रकक्रमाप्रख मावपतकरना;
 - (iv) प्राधिकरणकीपररमोजनाओंएवांस् कीमोंकाप्रिसन;
 - (v) प्राधिकरणकीओरसेइसअधिनममकेअधीनदीजानेकेशलएअपेक्षकतकोईअनुज्ञादेना माउसेदेनेसेइन् कारकरना;
 - (vi) निववदाएंआमांत्रतकरना, उनकीसांवीक्षाकरनाऔरमददउनकामूल मएककरोड़रुपमेसे अधिकनहोतोनकाअनुमोदनकरनामाउनकोरद्दकरनाऔरजबमूल मएककरोड़ रुपमेसेअधिकहोतोकामचकारीसशमितकोशसफारिकरना;
 - (vii) प्राधिकरणकेशलएऔरउसकीओरसेकरारकरनाऔरसांववदाकरना; और
 - (viii) अन् मसभीजिकतमां, कृत् मऔरकतचव् म, जोवविनममोंद्वाराअवधाररतकमेजामें। (2)
- बीकानेरववकासआमुक तकोसहमोगऔरसलाहदेनेकेशलएराज मसरकारिनम नशलखितिनदेिकोंकीनिमुजकतकरेगी:-

- (i) निदेिक, अशभमांत्रकी, जोशसववलसांनिमाचणकेमुख मअशभमांताकीरैंकसेनीचेकानहीं होगा;
 - (ii) निदेिक, नगरिनमोजन, जोवररष् ठनगरिनमोजकऔरस् थापत् मसलाहकारकीरैंकसे नीचेकानहींहोगा;
 - (iii) निदेिक, ववत्, जोवररष् ठलेिाधिकारीकीरैंकसेनीचेकानहींहोगा; और
 - (iv) निदेिक, वविध, जोराजस् थानराज मवविधकसेवाकेसांमुक तवविधपरामिकीरैंकसेनीचे कानहींहोगा।
- (3) राज मसरकार, प्राधिकरणकेशलएसिचवकीनिमुजकतकरेगीजोकामचकारीसशमित, अन् मसशमितमों, मददकोईहैंऔरसमस् तकृत् मकारीबोडचकेसिचवकेरूपमेंभीकामचकरेगा। वहबीकानेरववकासआमुक तकेनिमांत्रणएवांपमचवेक्षणाधीनरहतेहुएप्राधिकरण, कामचकारीसशमित, समस् तकृत् मकारीबोडच, प्राधिकरणकीसशमितमोंमाककसीनिमामकाकामचवत्तअशभशलखितकरेगाऔरउससेसुसांगतसमस् तअशभलेिोंकेसाथकामचवत्तपुजस्तकारिगाऔरऐसीजिकतमोंकाप्रमोग, ऐसेकृत् मोंका निववहनऔरऐसेकतचव् मोंकापालनकरेगाजोप्राधिकरण, कामचकारीसशमित, बीकानेरववकासआमुक तमाककसीकृत् मकारीबोडचद्वाराउसेप्रत् मामोजजतकमेजामें।

(4) राज मसरकारबीकानेरववकासआमुक तकीसहामताकेशलएकमाअधिकअतिररक तआमुक तऔरअतिररक तसिचवभीनिमुक तकरसकेगीजोऐसेकृत् मोंकापालनऔरऐसेकतचव् मोंका निववहनकरेंगेजोउनकोबीकानेरववकासआमुक तद्वाराप्रत् मामोजजतकमेजामें।

भाग 4(क) 1/2 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 164

(5) उप-धारा (2), (3) और (4) केअधीननिमुक तअधिकारीप्राधिकरणकेअधिकारीसमझेजामेंगेऔरउनकेवेतनऔरभत्तेतथाउनकेसेवासांबांधीनिबांधनऔरितेंऐसी होंगीजोराज मसरकारद्वाराअवधाररतकीजामें।

9. प्राधिकरणकेमलएपृथक्सामान्यसेिासृज्जतकरनेकीशम्तत.- (1) तत् सममप्रवृत् तककसीअन् मवविधमेंअन् तववचष् टककसीबातकेहोतेहुएभी, राज मसरकार, राजपत्रमेंअधिसूचनाद्वारा, प्रिसनऔरिसनमेंएकरूपतासुनिजशचतकरतेहुए, प्राधिकरणकेशलएकोईपृथक्सामान्यसेवासृज्जतकरसकेगी।

(2) राजमसरकारकोउप-धारा (1) केअधीनसृज्जतसेवाकीनामपद्धित, सांरचनाऔरकाडरसदस् म-सांख्यमाअवधाररतकरनेकीजिकतहोगीऔरवहसमम-सममपरउसे, जैसावहसमुचितसमझे, उपांतरतमापुनरीक्षकतकरसकेगी।

(3) राजमसरकार, इसधाराकेअधीनसृज्जतसेवाकेसांबांधमें,-

(क) पदोंकेसृजन, उनकेवगीकरण, निमांत्रणऔरभती,

पदोन्नित तथा सेवा निवृत्त सदस्य सेवा के निबंधनों औरित चकोमांजूर कर सकेगी; और

(ि) सेवाओं में निमुक्त कक मेजाने वाले व्यक्तियों की अहताएं, निमुक्त की रीतिमां और कतव्य आदवदहत करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा निमनों को वरिष्ठ और प्रवित चत कर सकेगी।

10. समनत यों का गठन.- (1) प्राधिकरण, ऐसी रीति से और ऐसे प्रमोजनों और कृत्यों के शलए, जो प्राधिकरण के द्वारा विनमनों द्वारा विनदद चक कक मेजामें, ऐसी सशमित मों का गठन कर सकेगा जिनमें समस्त सदस्य उक्त प्राधिकरण के माकु सिदस्य प्राधिकरण के और कु निम्न व्यक्त हो गेंगे।

(2) इस धारा के अधीन गठित सशमित मों की बैठकें ऐसे स्थान और समय पर होंगी और ऐसी बैठकों में काम चलांचालन सांवांधी ऐसे प्रकक्रमा निमनों का पालन होगा जो विनमनों द्वारा उपबन्धित कक मेजामें। (3) सशमित मों के सदस्य मों को बैठकों में उपस्थित होने मा सशमित के अन् म काम चकरते समय कक मेजाने वाले व्यक्त गतिचक के शलए ऐसे भत्ते दद मेजामेंगे, जो वदहत कक मेजामें।

11. आदेशों आदद का अधिप्रमाणन.- प्राधिकरण, कामचकारी सशमित, अन् मसशमित मों और कृत्यकारी बोडच की समस् त कामचवा दह मों का अधिप्रमाणन, प्राधिकरण, कामचकारी सशमित, अन् मसशमित मा, मथाजस्थित, कृत्यकारी बोडच के अध मक्षमा, इसिन शमत्त अध मक्षद्वारा प्राधिकृत उसके कसी सदस् म के हस् ताक्षरों द्वारा होगा और प्राधिकरण के समस् त अन् म आदेशों एवं शलितों को, बीकानेर ववकास आमुक तमा उसके द्वारा इसिन शमत्त प्राधिकृत, प्राधिकरण के कसी अन् म सदस् म द्वारा अधिप्रमाणित कक मा जामेगा।

12.

सहायता करने या सलाह देने के मलएसरकारी और स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार यों को आमंत्रित करने के मलए उपबन्धित.- प्राधिकरण, कामचकारी सशमित, बीकानेर ववकास आमुक तमा कृत्यकारी बोडच अपनी बैठक मा बैठकों में हाजिर होने के शलए राज मसरकार मा स्थानीय प्राधिकारी मा अन् म प्राधिकारी के कसी भी अधिकारी मा कसी अन् म व्यक्त तिको कसी मा मेल मा मलों में सहामता करने मा सलाह देने के प्रमोजन के शलए वशिष् ट मा स्थानीय आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी मा व्यक्त त बैठक की कामचवा दह मों में भाग ले सकेंगे कक त् तु उन् हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

अध्याय 3

कृत्यकारी बोर्ड का गठन

165

राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4 (क)

13. बीकानेर यातायात नयन्त्रण बोर्ड की स्थापना.- (1) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के तुरन् तपश्चात् राज मसरकार, आदेशों द्वारा, प्राधिकरण के अधीन एक कृत्यकारी बोडच का गठन करेगी जसका नाम "बीकानेर माता मातिनमन् त्रण बोडच" होगा।

(2) बीकानेर माता मातिनमन् त्रण बोडच में निम्न नशलखित सदस् महोंगे, अथाचत्:-

- बीकानेर ववकास आमुक त, जो अध मक्ष होगा;
- जजलामजजस् ट्रेट, बीकानेर;
- पुशलस अधीक्षक, बीकानेरिहर;
- सिचव, बीकानेर ववकास प्राधिकरण;
- क्षेत्रीय पररवहन अधिकारी, बीकानेर, राजस् थान;
- मुख मप्रबन् धक, राजस् थानराज मपथ पररवहनिनगम, बीकानेर;
- अतिररक तमुख मअशभमांता, सावचजिनकिनमाचणववभाग, बीकानेर;
- अतिररक तमुख मअशभमन् ता, जनस् वास् थ मअशभमांत्रकीववभाग, बीकानेर;
- जोधपुर ववद्युत वतरणिनगम शलशमटेडका प्रितिनिध, जो अतिररक तमुख मअशभमन् ता की रैंक से नीचे कान हो;

- प्राधिकरण का निदेशिक, अशभमांत्रकी;
- प्राधिकरण का निदेशिक, नगरिनमोजन;
- प्राधिकरण का निदेशिक, ववत्त;

- (xiii) महापौर/प्रिासक, नगरिनगम, बीकानेर;
- (xiv) अध मक्ष/प्रिासक, नगरपाशलकाबोडच, नापासर;
- (xv) अध मक्ष/प्रिासक, नगरपाशलकाबोडच, देिनोक; और
- (xvi) प्रािधकरणकेअध मक्षद्वारानामिनदेशितककमेजानेवालेदोव् मजकत।

(3) बीकानेरमातामातिनमांत्रणबोडचिनम नशलखितितजकतमोंकाप्रमोगऔरिनम नशलखितकतचव् मोंकापालनकरेगा, अथाचत्:-

- (i) बीकानेरिहरमेंमातामातिनमांत्रणकेशलएमास् टरमोजनातैमारकरनाऔरउसके कामाचन् वमनकेशलएक्रमबद्धरीितसेकदमउठाना;
- (ii) मातामातिनमांत्रणव् मवस् थाकेआधुिनकीकरणकेशलएकदमउठाना;
- (iii) हल केऔरभारीमानोंकेमातामातलाईसेसजारीकरनेकेशलएनीितिअधिकथतकरना;
- (iv) एकतरफामातामातकीनीितिवधाररतकरना, कुिसड़कोंपरकितपमप्रकारके मातामातकितपमसममकेशलएिनबचन् धनअधरोवपतकरना, कितपमसड़कोंपर कितपममानोंकोवजजचतकरना, पाककिंगस् थानों, स् टैण् डों, रुकनेकेस् थानोंऔरसाईककल मागचऔरउनसेसम बद्धअन् ममामलोंकावधारणकरना;
- (v) सांकेत-िचह्, रोधऔरगितरोधकलगानेकेशलएददि-िनदेिअधिकथतकरना; (vi) ववशभन् नप्रमोजनोंकेशलएककसीव् मजकत, सरकारीववभाग (केन् द्रीममाराज म) ककसी स् थानीमप्रािधकारीमाककसीअन् मिनकामकोसड़ककाटनेकेशलएअनुज्ञादेनाऔर उसकेशलएितैअधरोवपतकरना;
- (vii) मातामातकेपररसांकटों, अवरोधोंकोतोड़नाऔरऐसेमामलोंमेंवविनममोंकेअनुसार प्रितकरवधाररतकरना;

भाग4(क)½

राजस् थानराज-पत्र,अप्रेल 03,2025166

- (viii) मातामातिनमांत्रणऔरमातामातशिक्षाकेशलएनागररकोंऔरख माितप्राप तसांस् थाओंसे, सलाहदेनेऔरनिधइकट्टीकरनेकेशलएिनममोंकेअनुसारसहामतामांगना;
- (ix) मातामातशिक्षाकीव् मवस् थाकरना; और
- (x) मातामातकेसुधारऔरिनमांत्रणसेसम बजन्थतअन् मसमस् तकक्रमाकलापऔरऐसेकृत् म करनाजोप्रािधकरणद्वारािनदेशितककमेजामें।

14. अन््यकृत्यकारीबोर्डोंकागठनऔरशम्ततयां.- (1) प्रािधकरणकेउद्देश

मोंकीपूितचकेशलएप्रािधकरणकीसलाहपरराज मसरकार, राजपत्रमेंप्रकाशितआदेिद्वारा (i) पररवहनतथासांचारबोडच (ii) जल-सांसाधनप्रबन् धबोडच (iii) आवासन, नगरीमनवीकरणऔरपाररजस्थितकीबोडचऔरऐसेनामोंसे, जजन् हेंवविनददचष् टकरनावहठीकसमझे, समम-सममपरअन् मकृत् मकारीबोडचकागठनकरेगीजजनमेंप्रत् मेकमें, उप-धारा (2) मेंमथाउपबजन्थतसदस् महोंगे।

(2) उप-धारा (1) केअधीनराज मसरकारद्वारागदठतप्रत् मेकृत् मकारीबोडचमेंअध मक्षऔरइतनेअन् मसदस् म (पांचसेअनिधक) होंगेजजतनेराज मसरकारद्वारािनमुक तककमेजामें।सदस् मोंमेंसेकमसेकमदोऐसेहोंगेजोकृत् मकारीबोडचद्वारासम पाददतककमेजानेवालेववर्मकेबारेमेंवविज्ञानिऔरअनुभवरितेहों।

(3) राज मसरकार, मददवहलोकदहतमेंऐसाकरनाठीकसमझेतो, उप-धारा (1) केअधीनगदठतककसीकृत् मकारीबोडचकेअध मक्षमाककसीसदस् मकींनिमुजकतसमाप तकरसकेगीमाककसीभीसममउसकापुनगचठनकरसकेगी।

(4) प्रत् मेकृत् मकारीबोडचअपनेकामचक्षेत्रकेभीतरकेक्षेत्रोंकेववर्मोंकेसांबंधमें,-

- (क) पररमोजनाओंऔरस् कीमोंकीआमोजनाकरेगा, उन् हेंपररलक्षक्षतकरेगा, सवेक्षणप्रारम भकरेगा औरअन् वेर्णोंकासांचालनकरेगा (स् वमांमाककन् हींअन् मसमुिचतएजेजन्समोंकोलगाकर) तथा प्रािधकरणकेववचाराथचवविनधानप्रमोजनोंकेशलएकामचक्रमएवांप्रस् तावतैमारकरेगाजजसमें उसकेिन्ष् पादनकेशलएलगामेजानेवालेप्रािधकारीऔरएजेजन्समांभीउपदशिचतकीजामेंगी;
- (ि) प्रािधकरण, कामचकारीसशमितमाबीकानेरववकासआमुक तककोसलाहदेगा;
- (ग) प्रािधकरणमाकामचकारीसशमितद्वाराउसेसौपीगमीककसीपररमोजनामास् कीमको कामाचजन्वतकरेगा; और

(घ) ऐसीअन् मिजकतमोंकाप्रमोगतथाऐसेकृत् मोंऔरकतचव् मोंकापालनकरेगाजोउसेप्रािधकरण द्वाराप्रत् मामोजजतककमेजामेंमाजोकामचकारीसशमितमाबीकानेरववकासआमुक तद्वारा समम-सममपरउसेसमनुदेशितककमेजामें।

15. कृत्यकारीबोर्डयकीबैठकें.- (1) इसअध मामकेअधीनगदठतसमस् तकृत् मकारीबोडचकीबैठकेंऐसेस् थानपरऔरऐसेसममपरहोंगीजैसाककउसकेअध मक्षद्वाराअवधाररतककमाजामेऔरउसकीबैठकमेंकामचसांचालनसांबांधीऐसेप्रकक्रमािनिममोंकापालनककमाजामे गाजोवविनममोंद्वाराअवधाररतककमेजामें। (2) कृत् मकारीबोडचकेसदस् मोंकोबोडचकीबैठकोंमेंउपजस्थतहोनेऔरबोडचकेअन् मकामचकरतेसममककमेजानेवालेव् मजकतगतिचचकेशलएऐसेभत्तेदमेजामेंगेजोववदहतककमेजामें।

अध्याय 4

प्राधिकरणकीशम्ततयांऔरकृत्य

16. प्राधिकरणकेकृत्य.-प्रािधकरणकामुख मउद्देश मबीकानेररीजनकाएकीकृतववकासकरनाहोगाऔरउसप्रमोजनकेशलएप्रािधकरणकेिनिम नशलखितकृत् महोंगे:-

167 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4 (क)

- (क) नगरआमोजनाजसकेअन् तगचतमास् टरववकासमोजनाऔरजोनलववकासमोजनाएंतेमार करनाऔरइसप्रमोजनकेशलएसवेक्षणकरवानाऔरउनमेंऐसेपररवतचनभीकरना, जो आवश मकसमझेजामें;
- (ि) बीकानेररीजनमाउसकेककसीभागकेववकासकेशलएपररमोजनाएंबनानाऔरउनकोस् वीकृतकरना;
- (ग) पररमोजनाओंऔरस् कीमोंकािनिष् पादनसीधेहीस् वमांकरनामाककसीस् थानीमप्रािधकारीमा ककसीअन् मएजेन् सीद्वाराकरवाना;
- (घ) बीकानेररीजनकेसम पूणचववकासकेशलएऐसेककसीमामलेमाककसीप्रस् तावकेसम बन् धमें राज मसरकारकोशसफारिकरनाजसमेंराज मसरकार, केन् द्रीमसरकार, ककसीस् थानीम प्रािधकारीमाककसीअन् मप्रािधकारीद्वाराकारचवाईकीजानीअपेक्षतहो;
- (ङ) बीकानेररीजनकेववकासकेशलएककसीअन् मप्रािधकारीकेसाथभागीदारीकरना;
- (च) बीकानेररीजनकेववकासकेशलएपररमोजनाओंऔरस् कीमोंकेिनिष् पादनमेंसमन् वमस् थावपत करना;
- (ि) ऐसीककसीपररमोजनामास् कीमकी, जजसकािचाचसम पूणचतः माभागतः बीकानेररीजन ववकासिनिधमेंसेककमाजानाहै, आमोजनाऔरिनिष् पादनकापमचवेक्षणमाउसपरअन् मथा मथोचितपमचवेक्षणसुनिजशचतकरना;
- (ज) स् कीमेंतेमारकरनाऔरकृवर्, उद्धानकृवर्, फूलोंकीींती, वनलगाना, डेमरीववकास, पररवहन, सांचार, स् कूलिलना, सांस् कृितककक्रमाकलापों, िलकूद, िचककत् सा, पमचटन्, मनोरांजनऔरऐसेअन् मकक्रमाकलापोंकेववस् तारकेशलएस् कीमेंबनानेऔरउन् हेंहाथमेंशलमे जानेकेसांबांधमेंसांबांधितप्रािधकाररमों, ववभागोंऔरएजेजन्समोंकोसलाहदेना;
- (झ) राज मसरकारकेिनिदेिानुसारपररमोजनाओंऔरस् कीमोंकािनिष् पादनकराना;
- (ञ) बीकानेररीजनमेंआवासीमकामचहाथमेंलेना:
परन् तुराजस् थानआवासनबोडचऔरप्रािधकरणकेबीचआवासनकेउत्तरदािमत् वकाउल लेि राज मसरकारद्वाराककमाजामेगा, जोउसकेद्वारािनिमतकीजानेवालीतारीिसेप्रभावत हो;
- (ट) जांगममास् थावरसम पजत्तका, जैसाककवहआवश मकसमझे, अजचन, धारण, प्रबन् धऔरव् ममन करना;
- (ठ) प्रािधकरणद्वाराअपनेकृत् मोंकेिनिष् पादनकेशलएआवश मकसमझाजानेपरककसीव् मजकतमा सेगठनकेसाथसांववदा, करारमाव् मवस् थाकरना;
- (ड) मातामातिनमांत्रणऔरप्रबन् धकेशलएमास् टरमोजनातेमारकरना, मातामातकोसुगमबनाने औरउससेसांबांधितमामलोंकेशलएनीितऔरकामचवाहीकेकामचक्रमबनाना;
- (ढ) नगरनवीनीकरण, पमाचवरणऔरपाररजस्थितकी, पररवहनएवांसांचारऔरजलिजकतसांसाधनों

केप्रबन् धकेशलएराज मसरकारद्वारासीधेहीमाअन् मववभागों/एजेजन्समोंके, जोराज म सरकारवविनददचष टकरे, माध ममसेउसेप्रत् मामोजजतककमेगमेकृत् मकरना;
(ण) बीकानेररीजनमेंमाप्रािधकरणद्वारामथावविनददचष टउसकेककसीभागमेंत्रबलों, ववज्ञापन- पट्टों, मागचपट्टोंऔरनामबोडचकेलगामेजानेकावविनममनकरना;

भाग4(क)^{1/2} राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025168

(त) प्रािधकरणद्वारामथावविनददचष टबीकानेररीजनमाउसकेककसीभागमेंभवनोंमाभवनोंके िनकलेहुएभागोंकेिनिमाचणमापुनिनचमाचण, उसमेंककमेजानेवालेताजत्वकपररवतचन, औरिले स् थानोंकीव् मवस् थाकरनेकेकामचकोवविनमशमतकरना;

(थ) सावचजिनकमागच, िुलेस् थानोंऔरसरकारमाप्रािधकरणमेंिनिदहतसम पजत्तमोंसेबाधाओंएवं अितक्रमणोंकोहटाना;

(द) ऐसेअन् मकृत् मऔरबातेंकरनाजोउनमामलोंकेशलएआवश मकमाआनुर्ांगिकमासाधकों, जोइसकेकक्रमाकलापोंकेकारणउत् पन् नहुएहोंऔरजोउनउद्देश मोंकोप्राप तकरनेकेशलए आवश मकहोंजजनकेशलएप्रािधकरणकीस् थापनाकीगमीहै; और

(ध) ऐसेअन् मकृत् मकरनाजोइसअधिनममकेउद्देश मोंकीपूितचकेशलएराज मसरकारद्वारा अशभदहतककमेजामें।

17. प्राधिकरणकीअनुज्ञाकेत्रबनाकोईअन् यप्राधिकारीयाव्यम्ततविकासकाययनहींकरायेगा.-(1) तत् सममप्रवृत्तककसीवविधमेंकोईबातहोनेपरभीकोईप्रािधकारीमाव् मजकतप्रािधकरणकीपूवचअनुज्ञाकेत्रबनाबीकानेररीजनकेभीतरउसप्रकारकाववकासकामचनहींकरवामेगाजैसाक कप्रािधकरणद्वाराराजपत्रमेंप्रकाशितअधिसूचनाद्वारासमम-सममपरवविनददचष टककमाजामेऔरजजसकेकारणबीकानेररीजनकेसमरिमववकासपरप्रितकूलप्रभावपड़नेकीसांभावनाहो।

(2) उप-धारा (1) मेंिनिददचष टववकासकामचकरनेकाइच िुककोईभीप्रािधकारीमाव् मजकतऐसाववकासकामचकरनेकेशलएअनुज्ञाकेशलएप्रािधकरणकोशलखितआवेदनकरेगा:

परन् तुऐसाव् मजकतसांबांिधतस् थानीमप्रािधकारीकेजररमेऐसीअनुज्ञाकेशलएआवेदनकरसकेगाऔरऐसास् थानीमप्रािधकारीउसकेआवेदनकोअपनीशसफारिरीं, मददकोईहों, केसाथप्रािधकरणकोभेजेगा। (3) प्रािधकरणऐसीजांच, जोवहआवश मकसमझे, करनेकेपश चात्औरउप-धारा (2) केअधीनआवेदनप्राप तहोनेकेसाठददनकेभीतरककन् हींितचकेत्रबनामाऐसीककन् हींितचकेसाथ, जजन् हैंअधरोवपतकरनावहउचितसमझे, ऐसीअनुज्ञादेदेगामाऐसीअनुज्ञादेनेसेइन्कारकरदेगा।मददऐसीअनुज्ञामथापूवक तसाठददनकेभीतरनहींदीजातीहैमाउससेइन्कारनहींककमाजाताहैतोआवेदक, प्रािधकरणकेसिचवमाइसिनशमत्तउसकेद्वारानामिनददचष टककसीभीअन् मअधिकारीकोवैमजकतरूपसेमाअपनेप्रािधकृतप्रतिनिधकेमाध ममसेप्रस् तुतशलखितसांसूचनाकेद्वारा, अनुज्ञादेनेमाउसेदेनेसेइन्कारकरनेमेंहोरहेलोपमाउपेक्षाकीओरप्रािधकरणकाध मानआकवर्चतकरसकेगा, औरमददऐसालोपमाउपेक्षा, ऐसीसांसूचनाकेप्राप तहोनेसेतीसददनकीऔरकालाविधतकजारीरहतीहैतोमहसमझाजामेगाककप्रािधकरणनेप्रस् ताववतववकासकीअनुज्ञादेदीहैऔरऐसेववकासको, आवेदनमेंवविनददचष टरीितसे, अरिमसरककमाजासकेगा:

परन् तुइसमेंअन् तववचष टककसीभीबातकामहअथचनहींलगाजामेगाककवहककसीभीव् मजकतकोइसअधिनमममातदधीनबनामेगामेिनममों, वविनममोंमाककमेगमेआदेिकेककन् हींभीउनउपबन् धोंकेउल लांघनमेंकामचकरनेकेशलएप्रािधकृतकरतीहैजोइसअधिनममकेअधीनककसीभीसुधारकाजजम मालेनेमाउसेकामाचजन्वतकरनेसेपहलेप्रािधकरणकीअनुज्ञाप्राप तकरनेकीअपेक्षाशेषभन् नककसीभीमामलेसेसम बजन्धतहैं।

(4) उप-धारा (3) केअधीनप्रािधकरणकेवविनश चमसेव् मिथतकोईप्रािधकारीमाव् मजकतऐसेवविनश चमकेववरुद्धराज मसरकारकोतीसददनकेभीतरअपीलकरसकेगाजजसकावविनश चमअांितमहोगा:

169 राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025भाग4(क)

परन् तुऐसीअपीलप्रस् तुतकरनेवालाव् मिथतप्रािधकारीमददकेन् द्रीमसरकारकेप्रािसिनकिनमांत्रणाधीनहोतोअपीलकेन् द्रीमसरकारसेपरामिचकरनेकेपश चात्राज

मसरकारद्वारावविनजशचतकीजामेगी।

(5) उसदिमेंजबकककोईव मजकतमाप्राधिकारीइसधाराकेअधीनककमेगमेवविनश चमकेप्रितकूलकोईकामचकरेतोप्राधिकरणकोऐसेवविनश चमकेप्रितकूलककमेगमेकसीववकासकामचकोिगराने, तोड़नेमाहटानेऔरइसप्रकारिगराने, तोड़नेमाहटानेकािचाचसांबांधितव मजकतमाप्राधिकारीसेवसूलकरनेकीजिकतहोगी।

18. प्राधिकरणकीननदेशदेनेकीशम्तत.- (1) तत् सममप्रवृत्तककसीअन् मवविधमेंकोईबातहोनेपरभीप्राधिकरणककसीस् थानीमप्राधिकारीमाअन् मप्राधिकारीमाव मजकतकोऐसीककसीपररमोजनामास् कीमकी, जजसेधारा 16 केअधीनववतीमसहामतादीगमीहै, कामाचजन्वितकेसांबांधमेंऐसेिनदेिदेसकेगाजोवहउचितसमझेऔरऐसाकोईस् थानीमप्राधिकारीमाअन् मप्राधिकारीमाव मजकतऐसेिनदेिोंकापालनकरनेकोआबद्धहोगा।

(2) जबउप-धारा (1) केअधीनककसीस् थानीमप्राधिकारी, अन् मप्राधिकारीमाव मजकतकोकोईनदेिददमाजाताहैतोऐसाप्राधिकारीमाव मजकतऐसािनदेिप्राप तहोनेकीतारीिसेपन् द्रहददनकेभीतरऐसेिनदेिकेववरुद्धराज मसरकारकोअपीलकरसकेगाऔरउसपरराज मसरकारकावविनश चमअंितमहोगा। (3) प्राधिकरणधारा 16 केिण्ड (ि) मेंिनददचष टपमचवेक्षणकीजिकतमोंकाप्रमोगइसप्रकारकरेगाजोमहसुिनजशचतकरनेकेशलएआवश मकहोककप्रत् मेकपररमोजनामास् कीमकािनष् पादनबीकानेररीजनकेसमरिमववकासकेदहतमेंऔरतत् सममप्रवृत्तककसीवविधकेअधीनअनुमोददतमाराज मसरकारद्वारासम मकूपसेअनुमोददतककसीमोजना, पररमोजनामास् कीमकेअनुसारककमाजारहाहै।

19.

कनतपयमामलोंमेंस्थानीयप्राधिकारीसेउततरदानयतिलेनेकीअपेिाकरनेकीप्राधिकरणकीशम्तत.- (1) जहांप्राधिकरणद्वाराकोईसुववधाएंउपलब धकरामीगमीहोंवहांप्राधिकरणउनसुववधाओंकेरि-शिवकाउत्तरदािमत् वसांभाललेगाजोउसकेद्वाराउपलब धकरामीगमीहोंमावहस् थानीमप्राधिकारीमाककसीअन् मप्राधिकारीसेजजसकीअधिकारताकेभीतरइसप्रकारववकशसतक्षेत्रआताहै, ऐसाउत् तरदािमत् वसम भाललेनेकीअपेक्षाकरसकेगा।

(2) प्राधिकरणस् थानीमप्राधिकारीमाककसीअन् मप्राधिकारीसेऐसेिनबन् धनोंऔरितचपरजजनपरसह मितहोजामे, औरजहांप्राधिकरणस् थानीमप्राधिकारीमा, मथाजस्थित, ककसीअन् मप्राधिकारीऔरप्राधिकरणकेसाथपरामिचकरकेऐसेिनबन् धनोंऔरितचपरजोककराज मसरकारद्वारावविनददचष टकीजामेंऐसीअन् मसुववधाओंकेशलएउपबन् धकरनेकीअपेक्षाभीकरसकेगाजोउसकेद्वारावविनददचष टकीजामेंऔरजजनकेशलएप्राधिकरणद्वाराउपबन् धनहींककमागमाहै।

20. प्राधिकरणकीककसीयोजनाकोननष्पाददतकरनेकीशम्तत.- (1)

जबप्राधिकरणकामहसमाधानहोजामेककधारा 18 कीउप-धारा (1) केअधीनउसकेद्वाराककसीपररमोजनामास् कीमकेसांबांधमेंददमेगमेककसीिनदेिकोउसमेंिनददचष टस् थानीमप्राधिकारीमाअन् मप्राधिकारीमाव मजकतद्वारावविनददचष टसममकेभीतरकामाचजन्वतनहींककमागमाहैमाऐसाप्राधिकारीमाव मजकतबीकानेररीजनकेककसीभागकेववकासकेशलएअपनेद्वाराहाथमेंलीगमीककसीपररमोजनामास् कीमकाकामाचन् वमनपूरीतौरसेकरनेमेंअसमथचहैतोप्राधिकरणराज मसरकारकीमांजूरीसेऐसेिनमाचणकामचकोस् वमांकरवामेगाऔरऐसीपररमोजनाओंकेिनष् पादनमा, मथाजस्थित, ऐसीस् कीमोंकीकामाचजन्वितकेशलएकोईचाचउपगतकरसकेगा।

भाग4(क)½

राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025170

(2) प्राधिकरणराज मसरकारकेिनदेिानुसारबीकानेररीजनमेंमास् टरववकासमोजनामाजोनलववकासमोजनामाककसीअन् मपररमोजनामा, मथाजस्थित, स् कीमकेअनुसारकोईकामचहाथमेंलेसकेगाऔरऐसाव ममकरसकेगाजोिनमाचणकामचकेिनष् पादनकेशलएआवश मकहो।ऐसािनदेिप्राधिकरणकोकेवलतबहीजारीककमाजामेगाजबराज मसरकारकीराममें –

(क) ऐसेकामचकाउत् तरदािमत् वलेनेवालाकोईअन् मउपमुक तप्राधिकरणनहींहो, मा

(ि) ऐसाप्राधिकरणहोककन् तुवहऐसेकामचकाउत् तरदािमत् वलेनेमेंअनच िुकमाअसमथचहो, मा

(ग) जबप्राधिकरणनेऐसाकामचउसेसौंपनेकेशलएराज मसरकारसेवविरूपसेिनवेदनककमा हो।

(3) जबउप-धारा (1) केअधीनप्राधिकरणद्वाराकसीकामचकाउत् तरदांमत् वशलमागमाहोतोउसेऐसेकामचकेिनष् पादनकेप्रमोजनकेशलएवेसमस् तिजकतमांहींगीजोउप-धारा (1) मेंिनददचष् टस् थानीमप्राधिकारी, अन् मप्राधिकारीमाव् मजकतद्वारातत् सममप्रवृत्तककसीवविधमाउसकेअधीनप्रमुक्त कीजासकतीहैं।

(4) प्राधिकरणउप-धारा (1) और (2) केप्रमोजनकेशलएबीकानेररीजनकेभीतरककसीक्षेत्रकेसवेक्षणकाउत् तरदांमत् वलेसकेगाऔरउसप्रमोजनकेशलएप्राधिकरणकेककसीसदस् म, अधिकारीमाकमचारीकेशलऐनम नशलखितकामचकरनावविधपूणचहोगा:-

(क) ऐसीभूशमकेतलमापनकेशलएककसीभूशममेंमाउसपरप्रवेिकरना;

(ि) अधोमृदाकींुदाईमाबेधन;

(ग)

िचहलगाकरऔरिडिंदकरतलमापऔरसीमाओंकेिचहलगाना; और
मथासवेक्षणपूणचनहींहोसकताहोमातलमापऔरसीमाएंिचजहृतनहींकीजा
तोबाड़माजांगलकाटनामासाफकरना:

(घ) जबअन्
सकतीहों,

परन्

तुककसीभूशमपरप्रवेिकरनेसेपूवचप्राधिकरणऐसाकरनेकेअपनेआमकानोदटसऐसीरीितमेंदेगाजोवविनममोंमेंव विनददचष् टकीजामे।

अध्याय 5

मास्टरविकासयोजनाऔरजोनलविकासयोजनाएं

21. नागररकसैिणऔरमास्टरयोजनातैयारकरना.- (1)

प्राधिकरणभूशमकेमोजनाबद्धएकीकृतववकासऔरउपमोगकोसुिनजशचतकरनेकेशलएबीकानेररीजनकानागरर कसवेक्षणकरेगाऔरउसकेशलएमास् टरववकासमोजनातैमारकरेगा।

(2) मास् टरववकासमोजनामेंबीकानेररीजनकेनागररकोंकेउसजीवनकोजजसकेिनवाचहकीइच िावे(i) वर्च 2031 ई. मेंमध ममश्रेणीकेपररप्रेक्ष ममें (ii) वर्च 2040ई. मेंऔरउसकेपश चात्दीघचकालीनपररप्रेक्ष ममें, तथा (iii) राज मसरकारकेिनदेिानुसारऐसेअन् मअन् तवचतीचरणोंमेंरितेहैं, बीकानेरनगरऔरबीकानेररीजनकेअन् मववकासोन् मुिक्षेत्रोंकीआवश मकताओंकीपूितचकेशलएसांतुशलतऔरसममबद्धववकासको, लोकउपमोिंगताओं, नागररकसुववधाओं, सामुदािमकप्रसुववधाओं, आवासीम, सांचारऔरपररवहनकेजालत्रबिनेको, प्राकृतिकसांसाधनोंकेपरररक्षणऔरववकासकेशलएपररमोजनाओंऔरस् कीमोंकोऔरबीकानेररीजनकेएकीकृतववकासपरप्रभावडालनेवालीऐसीअन् मबातोंकोस् पष् टत: पररभावर्तककमाजामेगाऔरउसमेंिनम नशलखितकेशलएवविर्पबन् धककमाजासकेगा:-

171 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

- पररवहनऔरसांचारजैसेसड़कें, राजमागच, रेलवे, नहरें, अन् तरराष् ट्रीमहवाईअड्डे, एमर कागोर्कोमप लेक सऔरबस-सेवातथाउनकाववकाससजममशलतहैं;
- जल-प्रदाम, जल-िनकास, मल-नाली, मल-िनकासऔरअन् मलोकउपमोिंगताएं, सुववधाएं औरसेवाएंजजनमेंववद्युत्औरगैसभीसजममशलतहैं;
- प्राकृतिकदृश मावली, िहरकेवनों, वन् मप्राखणमों, प्राकृतिकसांसाधनोंऔरस् थलदृश मोंके क्षेत्रोंकापरररक्षण, सांरक्षणऔरववकास;
- ऐतहाशसक, प्राकृतिक, स् थापत् ममावैज्ञानिकरुचिऔरिक्षक्षकमूल मोंकीवस् तुओं, आकृतिमों, इमारतोंमास् थानोंकापरररक्षण;
- भूशमकटावरोकना, वनरोपणमापुन: वनरोपणकीव् मवस् थाकरना, जलप लावतक्षेत्रों, नददमों, नालों, झीलोंऔरतालाबोंकासुधारकरना;
- शसांचाई, जल-प्रदामएवांजलववद्युत्सांकमच, बाढ़िनमांत्रणऔरजलऔरवामुप्रदूर्णको रोकना;

- (vii) िैक्षकऔरचिकित्सासुवधाएं;
- (viii) जजलाव् मावसांमिककेन् द्र, अन् मिवापांगकॉमप लेक स, िनमाचतोन् मुिऔद्योगिकक्षेत्र, िनकासगृह, स् थामीप्रदिचनीकेन् द्र, पुिमेलैऔरबाजार;
- (ix) िेलकूदकामप लेक सजोअन् तरराष् ट्रीमिलोंकाआमोजनकरनेमोग महों;
- (x) आमोद-प्रमोदकेशलएउद्धानजजनमेंडडज नीलैण् डिलीकेकामप लेक स, सफारीउद्धानऔर अन् मबागऔरउद्धान, वपकिनकस् थानऔरददनकेआमोद-प्रमोदजजनमेंकृत्रमझीलें औरजलांमिसजममशलतहैं;
- (xi) सांस् कृितिककामप लेक सजजनमेंनाटमगृह, शसनेमा, रांगमांच, स् टूडडमो, मनोरांजनकेन् द्र, सम मेलनहालकॉमप लेक स, कन् सटचहाल, टाउनहालऔरसभाभवनसजममशलतहैं;
- (xii) पमचटनकॉमप लेक सजजनमेंहोटलऔरमोटल, कारककरामेपरलेनेकीसेवाएं, पमचटनऔर मात्राएंआमोजजतकरनासजममशलतहैं;
- (xiii) नमेकस् बोंकेववकासकेसाथ-साथबीकानेररीजनमेंउपनगरोंकाववकासऔरबीकानेर िहरकेसाथउनकासमुचितएकीकरण;
- (xiv) ववशभन् नउपमोगोंकेशलएभूशमकाआबांटनकरना, भूशमकासामान् मववतरणकरनाऔर वहसामान् मजस्थितऔरसीमाबतलानाजजसतकआवासीम, वाखणजजमक, औद्योगिक, कृवर्मावनकेरूपमेंमांिनजसमुपमोजनकेशलएमाअन् मप्रमोजनोंकेशलएभूशमका उपमोगककमाजासके;
- (xv) िुलेस् थानों, बागों, मनोरांजनस् थानों, िचडड+माघरों, प्राकृितिकआरक्षक्षितमों, पुिअभमारण् म, दुग धिलाओंतथास् वास् थ मस् थलोंऔरअन् मप्रमोजनोंकेशलएक्षेत्रोंकाआरक्षणकरना;
- (xvi) अधिकजनसांख् मावालेऔरऔद्योगिकरूपसेसांकुशलतक्षेत्रोंसेजनसांख् मामाउद्योगको पुनः स् थावपतकरनाऔरबीकानेररीजनकेककसीभीक्षेत्रमेंमांजूरककमेजानेवाले जनसांख् माकेघनत् वमाउद्योगोंकेकेन् द्रीकरणकोइंांगितकरना;
- (xvii) आवासन, जजसमेंरिमामीणआवासनभीसजममशलतहैं;
- (xviii) नीचे, दलदलीमाअस् वास् थ मकरक्षेत्रोंकोभरनामाठीककरनामाभूशममोंकोसमतल करना;

भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025172

- (xix) ववद्वमानिनशमचतक्षेत्रोंकापुनः ववकासऔरसुधारकरना;
- (xx) “आबादी” केववकासकोसजममशलतकरतेहुएशभन् न-शभन् नजोनोंकेशलएमोजनामानक औरजोिनांगवविनममबनाना; और
- (xxi) नगरीमववकासप्रबांधकेशलएबीकानेररीजनकीमोजनाबनानाऔरउससेसांबांिधत समस् तमामलोंऔरइसअधिनममकेउद्देश् मोंसेसांगतअन् ममामलोंकेशलएमोजना बनाना।

(3) मास् टरववकासमोजनामेंवेववशभन्

नजोनभीपररिनजशचतककमेजामेंगेजजनमेंववकासकेप्रमोजनोंकेशलएबीकानेररीजनकोववभाजजतककमाजामेगा औरउसमेंवहरीितजजसमेंववकासककमाजानाहै, औरप्रत् मेकजोनकीभूशम, जजसकाउपमोगककमाजानाप्रस् ताववतहै (चाहेउसमेंववकासकामचकरकेअथवाअन् मथा), औरवेचरणजजनमेंऐसाववकासककमाजामेगा, बतलामेजामेंगेऔरवहउसढांचेकाआधारभूतनमूनाहोगी, जजसकेभीतरववशभन् नजोनोंकीजोनलववकासमोजनातैमारकीजासकेगी:

परन् तुप्रािधकरण, मददलोकदहतमेंऐसाआवश मकसमझेतो, ककसीभीजोनकेक्षेत्रकोबदलसकेगा।

22. जोनलविकासयोजना.- (1) मास् टरववकासमोजनातैमारकरनेकेसाथ-साथमाउसकेतुरन् तपश चात्प्रािधकरणप्रत् मेकउसजोनकेशलए, जजसमेंबीकानेररीजनकोववभाजजतककमाजामे, जोनलववकासमोजनातैमारकरनेकीकामचवाहीकरेगा।

(2) जोनलववकासमोजनामें,-

- (क) धारा 21 कीउप-धारा (2) मेंमथा-उजललखितववकासकक्रमाकलापोंकेशलएउपबन् धहोगा;
- (ि) जोनकेववकासकाएकस् थलरेिंांांकहोगाऔरऐसीबातेंजैसेककसावचजिनकभवनऔरअन् म सावचजिनकिनमाचणकामचऔरउपमोिगताएं, सड़कें, आवासन, आमोद-प्रमोद, उद्योग, व् मवसाम,

बाजार, स् कूल, अस् पताल, सावचजिनकएवांनिजीुलेस् थान, औरअन् मसावचजिनकऔरिनजी उपमोगकीसीमावतीजस्थितमोंऔरजोनमेंप्रस् ताववतभूशमकेउपमोगकीसीमाददामी जामेगी;

- (ग) आबादीकीसघनताऔरभवनोंकीसघनताकेस् तरमानवविनददचष् टककमेजामेंगे;
- (घ) जोनकाऐसाप्रत् मेकक्षेत्रददामाजामेगा, जोप्रािधकरणकीराममेंवकासमापुनववचकासके शलएअपेक्षक्षतहोमाघोवर्तककमाजासकताहो; और
- (ङ) ववित्तः, िनम नशलखितसभीबातोंसेमाउनमेंसेककसीसेसांबांिधतउपबन् धहोंगे, अथाचत्:-
- भवनिनमाचणकेशलएककसीस् थलकाभू-िण् डोंमेंववभाजन;
 - सड़कों, िुलेस् थानों, बागों, आमोद-प्रमोदकेस् थलों, ववदालमों, बाजारोंऔरअन् म सावचजिनकप्रमोजनोंकेशलएभूशमकाआबांटनमाआरक्षण;
 - ककसीक्षेत्रकाकस् बेमाकालोनीकेरूपमेंववकासऔरवेिनिबचन् धनऔरितेंजजनके अध मधीनरहतेहुएऐसावकासककमाजासकेगामाकक्रमाजन्वतककमाजासकेगा; (iv) ककसीस् थलपरभवनोंकापररिनमाचणऔरभवनोंमेंमाउनकेचारोंओररिजानेवालेिुले स् थानकेबारेमेंिनिबिंधनऔरितेंऔरभवनोंकीऊंचाईऔरउनकास् वरूप;
 - ककसीस् थलपरभवनोंकापांजकत-बन् धन;
 - ककसीस् थलपरिनशमचतककमेजानेवालेककसीभवनकीऊंचाईमाअरिमभागकास् थापत् म स् वरूप;
 - ककसीप लाटमास् थलपरबनामेजानेवालेआवासीमभवनोंकीसांख मा;
- 173 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4 (क)
- (viii) ककसीस् थलमाऐसेस् थलपरबनेभवनोंकेसांबांधमेंउपलब धकरामीजानेवालीसुि- सुववधाएंजोचाहेभवनोंकेिनिमाचणसेपूवचउपलब धकरामीजामेंमाउसकेपश चात्और व मजकतमाप्रािधकारीजजसकेद्वारामाजजसकेिचेपरऐसीसुि-सुववधाएंउपलब धकरामी जानीहैं;
- (ix) ककसीपरक्षेत्रमेंवविप्रमोजनकेशलएपरकजलपतदुकानों, वकचापों, भाण् डागारोंमा कारिनोमावविनददचष् टवास् तुकलासांबांधीस् वरूपकेभवनोंकेिनिमाचणकेसांबांधमेंप्रितर्ेध मािनिबचन् धन;
- (x) दीवारों, बाड़बजन्दमों, झाड़बजन्दमोंमाककसीअन् मसांरचनात् मकिनमाचणमावास् तुसांबांधी िनिमाचणोंकारि-रिावऔरवहऊंचाईजहांतकउन् हेंबनामेरिनाहै;
- (xi) ककसीस् थलकेभवन-िनिमाचणसेशभन् नप्रमोजनकेशलएउपमोगककमेजानेकेसांबांधमें िनिबचन् धन; और
- (xii) कोईअन् मबातेंजोजोनमाउसकेककसीक्षेत्रकीमोजनाकेअनुसारसमुिचितववकासके शलएऔरऐसेजोनमाक्षेत्रमेंभवनोंकेअक्रशमकिनमाचणकोरोकनेकेशलएआवश मकहों। 23.

योजनातैयारकरनेऔरउसेमंजूरककयेजानेकेसंबंिमेंअपनायीजानेिालीप्रकिया.- (1)

ककसीमोजनाकोअजन्तमरूपसेतैमारकरनेकेपूवचप्रािधकरणमोजनाकाएकप्रारूपतैमारकरेगाऔरउसेप्रकाशितकरा मेगाऔरउसकीएकप्रितिनरीक्षणाथचउपलब धकरामेगाऔरएकनोदटसऐसेप्ररूपऔररीितमेंप्रकाशितकरामेगाजोवविनममोंद्वाराअवधाररतकीजामेऔरउसकेद्वारा ककसीभीव् मजकतसेऐसीतारीिकेपूवच, जोनोदटसमेंवविनददचष् टकीजामे, मोजनाकेप्ररूपकेसांबांधमेंआक्षेपऔरसुझावआमांत्रतककमेजामेंगे। (2) प्रािधकरणप्रत् मेकस् थानीमप्रािधकारीकोभीजजसकीस् थानीमसीमाओंकेभीतरजस्थतभूशमकोमोजनास् पिचकरतीहै, उसमोजनाकीबाबतककसीभीप्रकारकाअभ मावेदनकरनेकामुजकतमुक तअवसरदेगा।

(3) प्रािधकरणउनसमस् तआक्षेपों, सुझावोंऔरअभ मावेदनोंपर, जोउसेप्राप तहों, ववचारकरनेकेपश चात्मोजनाकोअजन्तमरूपदेगा।

(4) मोजनाकेआकारऔरउसकीअन् तवचस् तुकीबाबतऔरउसकेबारेमेंअपनामीजानेवालीप्रकक्रमाकीबाबतऐसीमोजनातैमारकरनेएवांमांजूरकरनेसेसांबांिधतक कसीअन् ममामलेमेंवविनममोंद्वाराउपबन् धककमेजासकेंगे।

(5) उप-धारा (1) से (4) तकमेंकोईबातहोनेपरभीउक तउप- धाराओंमेंअधिकथतप्रकक्रमाकाउसमामलेमेंअपनामाजानाअपेक्षक्षतनहींहोगाजबककसीजोनमेंककसीपरमोजनामा

स् कीमकावकासमाउसमेंकोईसुधारप्राधिकरणमेंनिदहतककसीभूशमपरकामाचजन्वतककमाजानाहो।

24. योजनाकेप्रिनतयतहोनेकीतारीख.- प्राधिकरणद्वारामोजनामांजूरककमेजानेकेतुरन् तपश चात्वहएकनोदटसऐसीरीतिसेप्रकाशितकरेगाजोवनिममोंद्वाराअवधाररतहोजसमेंमहकथनहोगाककमोजनाकाअनु मोदनकरददमागमाहैऔरउसमेंउसस् थानकाभीनामहोगाजहांसभीमुजकतमुक तसममोंपरमोजनाकीप्रितकांनिरीक्षणककमाजासकेगाऔरउपमुचक तनोदटसकेप्रथमप्रकांनिकीतारीिकोवहमोजनाप्रवितचतहोजामेगी।

25. योजनाओंकापश्चात्तीउपांतरण.- (1) धारा 24 केउपबन् धोंकेअनुसारमोजनाकेप्रवितचतहोनेकेपश चात्ककसीभीसममप्राधिकरणमोजनामेंऐसेउपान् तरणकरसकेगाजोवहउचितसमझे, उपान् तरण भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025174

उसकीराममेंऐसेहोंजजन्सेमोजनाकेस् वरूपमेंताजत्वकपररवतचननआनेपामेंऔरजोभूशमकेउपमोगकेववस् तारमाजनसांख माकीसघनताकेमानकोंसेसांबांधितनहों।

(2) प्राधिकरणराज

मसरकारकेअनुमोदनसेबीकानेररीजनकेककसीभागकेमोजनाबद्धवकासकाअधिकदक्षतापूणचरीतिसेउन् नमनकरनेकेशलएमोजनामेंकोईअन् मउपान् तरणकरसकेगा।

(3) प्राधिकरणमानगरिनगम, बीकानेर, नगरपाशलकाबोडच, नापासरऔरनगरपाशलकाबोडच, देिनोक, माकोईभीअन् मिनकाममासशमित, जजसेराज मसरकारद्वाराइसिनशमत्तप्राधिकृतककमाजामे, बीकानेररीजनमेंककसीभागकेमोजनाबद्धवकासकाअधिकदक्षतापूणचरीतिसेसांप्रवतचनकरनेकेशलए, ऐसक्षेत्रकीमोजनाकीभूशमकेउपमोगमेंऐसेउपांतरणकरसकेगीजोराज मसरकारद्वाराराजपत्रमेंअधिसूचनाद्वारावनिददचष् टककमेजामें।

(4) मोजनामेंकोईभीउपान् तरणककमेजानेसेपूवचप्राधिकरण, नगरिनगम, बीकानेर, नगरपाशलकाबोडच, नापासरऔरनगरपाशलकाबोडच, देिनोक, माकोईभीअन् मिनकाममा, मथाजस्थित, सशमितएकनोदटसऐसेप्ररूपऔररीतिसे, जोवनिममोंद्वाराअवधाररतकीजामे, प्रकाशितकरेगीजजसकेद्वाराउसनोदटसमेंवनिददचष् टतारीिसेपूवचआक्षेपएवांसुझावआमांत्रतककमेजामेंगेऔरप्राधिकरण, नगरिनगम, बीकानेर, नगरपाशलकाबोडच, नापासरऔरनगरपाशलकाबोडच, देिनोक, माककसीभीअन् मिनकाममा, मथाजस्थित, सशमितद्वाराप्राप तसमस् तआक्षेपोंऔरसुझावोंपरववचारककमाजामेगा।

(5) इसधाराकेउपबन् धोंकेअधीनककमेगमेप्रत् मेकउपान् तरणकोप्रकाशितककमाजामेगाऔरउपान् तरणकाप्रवतचनमातोप्रकांनिकीतारीिसेहोगामाउसतारीिसेहोगाजोप्राधिकरण, नगरिनगम, बीकानेर, नगरपाशलकाबोडच, नापासरऔरनगरपाशलकाबोडच, देिनोक, माकोईअन् मिनकाममा, म थाजस्थित, सशमितराजपत्रमेंप्रकाशितनोदटसद्वारांनिमतकरे, जजसकेउपरान् तउपान् तररतमोजनाहीइसअधिनममकेसमस् तआमोंऔरसमस् तप्रमोजनोंकेशलएप्रवितचतहोगी।

(6) ककसीउपान् तररतमोजनाकाप्रवतचनहोनेपरइसअध मामकीपूवचगामीधाराओंकेशसवामअन् मककसीधारामेंमास् टरवकासमोजनामाजोनलवकासमोजनाकेप्रितककसींनिदेिकाअथचइसधाराकेउपबन् धोंकेअधीनमथा-उपान् तररतमास् टरवकासमोजनामाजोनलवकासमोजनाकेप्रितिनदेिसेलगामाजामेगा।

26. योजनाकाकियान्ियन.- प्राधिकरणककसीमोजनाकाप्रवतचनहोनेपरमथांीघ्रमोजनाकेकक्रमान् वमनकेशलएऐसीकामचवाहीकरेगाजोइसअधिनममकेउपबन् धोंकेअधीनरहतेहुएआवश मकसमझीजामे।

27. इसअधिननयमसेपूयितैयारकीगयीयोजनाएंइसअधिननयमकेअीनतैयारकीगयीसमझीजायेंगी.- इसअधिनममकेप्रारम भसेपूवचप्रवृत्तककसीभीअन् मवविधकेउपबन् धोंकेअधीनतैमारकीगमीकोईभीमास् टरमोजनामाजोनलमोजनाइसअधिनममकेउपबन् धोंकेअधीनतैमारकीगमीसमझीजामेगीजजसपरमास् टरमोजना/मास् टरवकासमोजनाकीस् वीकृति, उपान् तरणऔरप्रवतचनसेसांबांधितपूवचवतीधाराओंकेउपबन् ध, मथावश मकपररवतचनोंसदहतलागूहोंगे:

परन् तुबीकानेरकेनगरीमक्षेत्रकेशलएवविधकेककन् हींभीअन् मउपबन् धोंकेअधीनस् वीकृतकोईमास् टरमोजनामाजोनलमोजनाइसअधिनममकेउपबन् धोंकेअधीनककसीमोजनाकेस् वीकृतहोतेहीप्रवृत्तनहींरहेगी।

28. योजनाकापुनवियलोकन.-

इसअधिनमममेंककसीबातकेहोनेपरभीइसअधिनममकेअधीनककसीमोजनाकेप्रवितचतहोजानेकीतारीिसेदसवर्ष केभीतरककसीभीसमममददराज मसरकारमा

175 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

प्राधिकरणकीमहरामहोककऐसीमोजनाकापुनरीक्षणआवश मकहैतोरारज मसरकारप्राधिकरणकोऐसीमोजनाकापुनरीक्षणकरनेकािनदेदेसकेगी, माप्राधिकरणस् वप्रेरणासे, मददआवश मकहो, बीकानेररीजनकानवीननागररकसवेक्षणकरालेनेऔरवतचमानमेंउपमोगमेंआमीभूशमकानक ितैमारकरालेनेकेपश चातुसकापुनरीक्षणकरसकेगाऔरतबइसअध मामकेपूवचवतीउपबन् ध, जहांतकवेलागूककमेजासकतेहैं, ऐसीमोजनाकेपुनरीक्षणपरउसीप्रकारलागूहोंगेजसप्रकारककमेउपबन् धककसीमोजनाकीतैमारी, प्रकािनऔरस् वीकृतिपरलागूहोतेहैं।

अध्याय 6

योजनाओंमेंसम्भममलतभूममकेविकासऔरउपयोगकाननयंत्रण

29. विकासित्रोंकीघोषणाएं- (1) धारा 24 मेंमथा-उपबजन्धतककसीमोजनाकेप्रवतचनमेंआनेकेपश चातप्राधिकरणमथासांभर्वीघ्नराजपत्रमेंअधसूचनाद्वाराबीकानेररीजनकेककसीभीक्षेत्रकोइसअधिनममकेप्रमोजनोंकेश लएववकासक्षेत्रघोवर्तकरसकेगा।

(2) इसअधिनमममेंमथा-उपबजन्धतकोोड़कर, प्राधिकरणककसीभीऐसेक्षेत्रमेंभूशमकेववकासकाउत्तरदािमत् वनहींलेगामाउसकाववकासनहींकरेगाजोववकासक्षेत्रनहींहै।

(3) राजपत्रमेंउप-धारा (1) केअधीनप्रकाशितअधसूचनाकीतारीिकोमाउसकेपश चात, कोईभीव मजकतप्राधिकरणमानगरिनगम, बीकानेर, नगरपाशलकाबोडच, नापासरऔरनगरपाशलकाबोडच, देिनोक, कीउनकीअपनीअधिकाररताकेभीतरशलखितअनुज्ञाकेत्रबनासांभांधितअधिकाररतामेंकीककसीभीभूशमकेउपमोगके आरांभमापरवतचनमाभूशमकेववकासकाकक्रमान् वमन, ककसीलोकमागचकोतोड़कर, िोलनेकेशसवाम, जजसकेशलएबीकानेरमातामातिनमांत्रणबोडचकीशलखितपूवाचनुज्ञालीजामेगी, नहींकरेगा:

परन् तुनिम नशलखितकेशलएऐसीकोईअनुज्ञाआवश मकनहींहोगी:-

- (i) ककसीभवनकेरिरिव, सुधारमाअन् मफेरबदलकेऐसेकामचकेशलएजोकेवलभवनके अन् दरूनीभागकोप्रभाववतकरतेहैंमाजोउसकेबाहरीस् वरूपकोताजत्वकरूपसेप्रभाववत नहींकरतेहैं;
- (ii) तत् सममप्रवृत्तककसीभीवविधकेअधीनककसीभीप्राधिकारीद्वाराददमेगमेआदेिमा िनदेिकेअनुपालनमेंककमेजानेवालेकामचकेशलए;
- (iii) तत् सममप्रवृत्तककसीभीवविधकेअधीनककसीप्राधिकारीद्वाराअपनीजिकतमोंकाप्रमोग करतेहुएककमेजानेवालेकामचकेशलए;
- (iv) केन् द्रमाराज मसरकारमाककसीस् थानीमप्राधिकारीद्वाराककमेजानेवालेककन् हींभीकामच केशलएजो-
 - (क) ककसीराजमागच, सड़कमालोकमागचकेरिरिवमासुधारकेशलएअपेक्षतहों; वे ऐसेकामचहोंजोऐसेराजमागच, सड़कमालोकमागचकीसीमामेंआमीभूशमपरककमे गमेहों;
 - (ख) ककन् हींनाशलमों, मलनाशलमों, मुख मनाशलमों, पाइपों, केबलों, टेलीफोनोमाअन् म साधित्रोंकेिनरीक्षण, मरम मतमानवीकरणकेप्रमोजनकेशलएहों;
- (v) कृवर्कामचकेसामान् मअनुक्रमकेदौरानसाधारणतः ककमेगमेउत् िनन (कुओंसदहत) केशलए;
- (vi) सड़ककेसांिनमाचणकेशलएजोकेवलकृवर्प्रमोजनकेशलएभूशमपरपहुंचनेकेआमसेहों;

भाग 4(क) 1/2 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 176

- (vii) उसभूशमकेसामान् मउपमोगकेशलएजसकाअस् थामीरूपसेउपमोगअन् मप्रमोजनकेशलए ककमाजारहाहो;
- (viii) ऐसीभूशमकेमामलेमेंजसकाउपमोगसामान् मतः एककामचकेशलएहोताहोऔरमदाकदा ककसीअन् मप्रमोजनकेशलएहोताहोतबमदाकदाउसअन् मप्रमोजनकेशलएभूशमका उपमोगकरनेकेशलए; और
- (ix) मानवआवासकेशलएककसीभवनकेउपमोगकेआनुर्ांगिकप्रमोजनकेशलएमाऐसेभवनसे सांलग नककसीभवनमाभूशमकेउपमोगकेशलए।

30. विकासकी अनुज्ञाके प्रनतसंहरण और उपान्तरणकी शम्तत.- (1)

मददप्राधिकरणको महप्रतीतहो ककतैमारकी गमीमा तैमारकी जारही ककसी योजनाको धमानमैरितेहु एमहसमी चीनहै ककइस अधिनमममा ककसी अन्मवविधके अधीन ककसी भूशमके ववकासके शलए दीगमी अनुज्ञाका प्रितसांहरणमा उपान्तरणकरदमा जामे तो प्राधिकरण एसे प्रितसांहरणमा उपान्तरणके ववरुद्धसां बांधितव मजकतको सुनवाईका अवसरप्रदान करनेके पश चात् आदेिद्वारा अनुज्ञाका उससीमा तक प्रितसांहरणमा उपान्तरणकरसके गाजोउसे आवश मकप्रतीतहो:

परन् तु-

(क) जहां ववकासक कसी भवनमा अन् मककसी सांकक्रमा के िनष् पादनसे सां बांधितहो तो ऐसा कोई भी आदेि ऐसी ककन् हीं सांकक्रमा ओंको प्रभावतन हीं करे गाजो पहले हीं िनष् पाददतकी जा चुकी हों मा आदेित भी पाररतक मा जामे गा जबक इन् सांकक्रमा ओंकी सारवान्प्रगितहो चुकी हो मा सांकक्रमा एं पूणचहो चुकी हों;

(ख)

जहां ववकास भूशमके उपमोगमें पररवतचनसे सां बांधितहो वहां पररवतचन हो जानेके पश चात् ककसी भी समम ऐसा कोई आदेि पाररतन हीं कक मा जामे गा:

परन् तुमह और कक जहां अनुज्ञाका प्रितसांहरणमा उपान्तरणलोकदहतमें आवश मकहो वहां प्रथम परन् तुकके उपबांधला गून हीं होंगे।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कक मेगमे आदेिद्वारा ककसी अनुज्ञाका प्रितसांहरणमा उपान्तरणकक मागमा हो और कोई भीस् वामी ववदहतसमममें और रीितसे ऐसी अनुज्ञाके जो प्रितसांहरणमा उपान्तरणद्वारा बेकार कर दीगमी हो, अनुसरणमें कक मेगमे ववकासमें हु एव् ममके शलए प्रितकरका दावा करे तो प्राधिकरणस् वामीको उसकी सुनवाई ऐसे अधिकारी द्वारा जसे उसने इ सिनशम तिनमुक तक कमा है, की जाने का मुजकत मुक त अवसरप्रदान करनेके पश चात् और उसकी ररपोट चपरववचार करनेके पश चात् एसे प्रितकरका िनधा चरण करे गा औरस् वामीको समुचित प्रितकर देने का प्रस् ताव करे गा।

(3) मददस् वामी महप्रितकरस्

वीकारन हीं करता है और अपनी इन्कारी कानोदतसी सददनके भीतर देता है तो प्राधिकरण इस मा मलेकोन् मामिनण चमनके शलए अधिकरणको भेजे गा और अधिकरण का वविनश चमउक तस् वामी और प्राधिकरणके शलए आबद्ध कर हो गा।

31. अप्राधिकृत विकासया योजनाके अनुरूपसे अन् यथा उपयोगके मल एशा म्सत.- (1) कोई व् मजकत जोस् वप्रेरणसे मा ककसी अन् मव् मजकतकी प्रेरणा पर ऐसा कोई ववकास प्रारम भ करता है, ववकास का दािमत् वलेता है मा उसका मचजन्वत करता है मा ककसी भूशमके उपमोगका ऐसा प्रारम भ मा पररवतचन करता है जो-

(क) इस अधिनममके अधीन अपेक्षत अनुज्ञाके त्रबना कक मा जाता है; मा

(ि) जो मांजूर कीगमी ककसी अनुज्ञाके अनुसरणमें नहीं है मा जो ककसी ऐसी ितचके उल लांघनमें है जसके अध मधीन ऐसी अनुज्ञा मांजूर कीगमी थी; मा

177 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

(ग) ववकासकी अनुज्ञाका सम मकूपसे प्रितसांहरण करनेके पश चात् कक मा जाता है; मा

(घ) उस अनुज्ञाके उल लांघनमें है जसका सम मकूपसे उपान्तरणकक मागमा है,

दोर्शसवद्ध पर,

ऐसे जुमा चनेसे दजण्डतक कक मा जामे गा जो पांच हजार रुपमे तक का हो सके गा और अपराधके जारी रहने पर एसे और जुमा चनेसे दजण्डतक कक मा जामे गा जो प्रथम बारके अपराधके शलए दोर्शसवद्धके पश चात् प्रितददन एक सौरुपमे तक का हो सके गा।

(2) कोई भी व् मजकत जो धारा 17 के अधीन ऐसा करनेके शलए अनुज्ञातकक मे त्रबना ककसी योजनाके उपबन् धोंके उल

लांघनमें ककसी भवनमा भूशमका उपमोग जारी रित है मा अनुज्ञात करता है मा जहां एसे उपमोगको जारी रितना उस धाराके अधी न अनुज्ञातकक मे जाने पर एसा उपमोग उसकाला विधके पश चात् भी जारी रहता है जसके शलए मह अनुज्ञातकक मागमा था, मा उनि नबन् धनों औरितचका अनुपालन कक मे त्रबना जजनके अधीन एसे उपमोगका जारी रितना अनुज्ञातकक मागमा है, उसका उपमोग जारी रित है तो दोर्शसवद्ध पर, उसे ऐसे जुमा चनेसे दजण्डतक कक मा जामे गा जो दस हजार रुपमे तक का हो सके गा;

और अपराधकारी रहने पर ऐसे जुमाचने से और दण्ड तक का माजामेगा जो प्रथम बार के अपराध के शल ए दोष सवद्ध के पश चाप्रित ददन पांच सौरुप मेतक का हो सकेगा।

32. अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति.- (1) जहां धारा 31 की उप-धारा (1) में उपदिशित के अनुसार भूशम का कोई विकासक मागमा हो वहां प्राधिकरण, इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे विकास के दसवर्ष के भीतर सुवामी को नोदटस दे सकेगा जिसमें उससे अपेक्षा की जा मेगी कवहनोदटस की तामील के पश चातुस में वविनददचषु ट ऐसी कालाविध के भीतर जो एक मास से अधिक की नही होगी, निम्न नशलिखित ऐसे कदम उठा मे जो नोदटस में वविनददचषु ट हों-

- (क) धारा 31 की उप-धारा (1) के िण्ड (क) मा (ग) में वविनददचषु ट मामलों में भूशम को उसी जस्थित में प्रत् मावित चत करना जो उसकी जस्थित तक तववकास के होने के पहले थी;
- (ि) धारा 31 की उप-धारा (1) के िण्ड (ि) मा (घ) में वविनददचषु ट मामलों में ितचमामथा उपान् तररत अनुज्ञा का अनुपालन सुनिजश चत करना;
परन्तु जहां नोदटस में भूशम के कसी उपमोग को रोकना अपेक्षित हो, वहां प्राधिकरण अधिभोगी पर भी नोदटस की तामील कर मेगा।
- (2) वविशषु टतः, ऐसे नोदटस में उप-धारा (1) के प्रमोजन के शल ए अपेक्षा की जा मेगी क-
(i) कसी भवन मासांकमचको तोड़ दद माजामेगा उसमें फेर बदल क माजामे;
(ii) भूशम पर कसी भवन का िनमाचणमा अन् मसांकक्रमां की जामे; मा
(iii) भूशम के कसी उपमोग को रोक दद माजामे।
- (3) ऐसे नोदटस से व मिथत कोई भी व मजकत नोदटस में ववदहत कालाविध के भीतर और वविनमों द्वारा अवधाररती ित से भूशम पर कसी भवन मासांकमच के प्रितधारण के शल ए मा भूशम के कसी उपमोग को जारी रने के शल ए जस से नोदटस बांिधत है, धारा 17 के अधीन अनुज्ञा के शल ए आवेदन कर सकेगा और आवेदन का अजन्तम रूप से अवधारण होने मा उसे वापस ले शल मे जाने के दौरा न भवनों मासांकमच के प्रितधारण मा ऐसे उपमोग को जारी रने पर केवल नोदटस का कोई प्रभावन ही होगा।
- (4) इस अध मा मके पूवचवती उपबन्ध, जहां तक मेलागू हों, उप-धारा (3) के अधीन ककमेग मे आवेदन पर लागू होंगे।
- (5) आवेद दत अनुज्ञा मद मांजूर कर ली जाती है तो नोदटस प्रत् माहत मा ना जामेगा; ककन् तु ऐसी आवेद दत अनुज्ञा मद मांजूर नही की जाती है तो नोदटस मा वत बनार हेगा मा मदद अनुज्ञा केवल कुि भवनों मा

भाग 4 (क) 1/2 राजस् थान राज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 178

सांकमच के प्रितधारण के शल ए मा भूशम के केवल कसी भाग के उपमोग को जारी र जाने के शल ए दी गमी हो तो नोदटस ऐसे भवनों मासांकमच मा भूशम के ऐसे भाग के सांबांध में प्रत् माहत मा ना जामेगा ककन् तु अन् मभवनों मासांकमच मा भूशम के अन् मभागों, जैसी भी जस्थित हो, के सांबांध में मा वत बनार हेगा और तब सुवामी से अपेक्षा की जा मेगी कवह ऐसे अन् मभवनों, सांकमच मा भूशम के भाग के सांबांध में उप-धारा (1) के अधीन नोदटस में वविनददचषु ट कदम उठा मे।

(6) मदद नोदटस में वविनददचषु ट कालाविध के भीतर मा उप-धारा (4) के अधीन आवेदन के िनपटरे के पश चातुस की कालाविध के भीतर नोदटस का, जजतना भी महमावतर होता है, अनुपालन नही क मा जाता है तो प्राधिकरण-

(क) नोदटस का अनुपालन न करने पर सुवामी का और जहां नोदटस में भूशम के कसी उपमोग के जारी न रिजाने की अपेक्षा की गमी हो वहां कसी अन् मव मजकत का भी, जो भूशम का उपमोग करता है मा नोदटस के उल लांघन में भूशम का उपमोग कराता है मा उसकी अनुज्ञा देता है, अशभमोजन कर सकेगा; और

(ि) जहां नोदटस में कसी भवन मासांकमचको तोड़ दद मे जाने मा उसमें पररवतचन करने मा कसी भवन अथवा अन् मसांकक्रमाओं के िनष् पादन की अपेक्षा की गमी हो वहां पर सुवमां ववकास होने के पहले वाली जस्थित का प्रितधारण कर मेगा और अनुज्ञा की ितचमामथा उपान् तररत अनुज्ञा का अनुपालन करने हेतु कसी भवन मासांकमचको तोड़ ने मा उसमें पररवतचन करने अथवा कसी भवन मा अन् मसांकक्रमाओं के िनष् पादन सदहत ऐसे कदम उठा मेगा जो प्राधिकरण आवश मक समझे और इसिन शमत्त उसके द्वारा िचचकी गमी रकम सुवामी से भू-राजस् वकी बका मा के रूप में वसूल करेगा।

(7) उप-धारा (6) के िण्ड (क) के अधीन अशभमोजजतकोईव् मजकत दोर्शसवद्धपर, ऐसे जुमाचनेसे दजण्डतक कमाजामे गाजोपांच हजार रुपमे तक का हो सकेगा और अपराधजारी रहने के दौरान इस प्रकार जारी रिकेने शल ए दोर्शसवद्धपर उसे ऐसे और जुमाचनेसे दजण्डतक कमाजामे गाजो प्रथम बार के अपराध के पश चात्प्रित ददन पांच सौरुपमे तक का हो सकेगा।

33. अप्राधिकृत विकास रोकने की शक्त.- (1) जहां धारा 31 की उप-धारा (1) में मथा- उपदशित भूशमकावकासक कमाजार हा हो कन् तु पूण चन हीं हु आ हो तो वहां प्रािध करणस् वामी पर और वकास करने वालेव् मजकत पर एक नोद सतामील करामे गाज जसमें अपेक्षा की जा मेगी क भूशमकावकास नोद स की तामील के समम से बन् द कर दद माजामे और तब धारा 32 की उप-धारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन् ध, जहां तक मेला गू हो सके, ऐसे नोद स के सां बांध में उसी प्रकार लागू होंगे जस प्रकार वे धारा 32 के अधीन नोद स के सां बांध में लागू होते हैं।

(2) कोई भीव् मजकत, जो ऐसे नोद स के तामील हो जाने के पश चात्, चाहे अपने शल ए माचा हेस् वामी अथवा क क सी अन् मव् मजकत के शल ए भूशमकावकास जारी रित है तो वह दोर्शसवद्धपर ऐसे जुमाचनेसे दजण्डतक कमाजामे गाजो पांच हजार रुपमे तक का हो सकेगा और मदद उसका अननुपालन जारी रित है तो वह ऐसे और जुमाचनेसे भी दजण्डतक कमाजामे गाजो नोद स की तामील की तारी कि पश

चात् अननुपालन क क मे जाने मा अननुपालन जारी रित जाने के दौरान प्रित ददन पांच सौरुपमे तक का हो सकेगा।

(3) इस अध माम में क क सी बात के अन् तववचष् ट होने पर भी, जहां कोईव् मजकत उप-धारा (1) के अधीन नोद स प्राप त करने के पश चात् अनिध कृत वकास जारी रित है, वहां प्रािध करण मा उसके द्वारा इसिन शमत्त प्रािध कृत कोई भी अधिकारी, इस अधिनमम के अधीन, प्रारम भक क मे जा सकने वाले क क सी भी अशभमोजन मा

179

राजस् थान राज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4 (क)

अन् मकाम चवा दह मों मा कार चवाई के अतिररक त, क क सी भी पुशल स अधिकारी से उसव् मजकत को जस के द्वारा भवन का पररिन मा चण जारी रित है और उसके समस् त सहामकों और कम चकारों को, ऐसे समम के भीतर जो अध मपेक्षा में व विन दद चष् ट क क माजामे, अनिध कृत वकास के स् थान से हटाने की अपेक्षा करने के शल एसिक त होगा और ऐसा पुशल स अधिकारी अध मपेक्षा का तदनुसार अनुपालन करेगा। व् मजकत में के ऐसे हटाने जाने के अतिररक त प्रािध करण ऐसी िन मा चण सामरिमी, औजारों, आदद को अधिहृत भी कर सकेगा जस से ऐसाव् मजकत अनिध कृत वकास के शल ए उपमोग में लार हा था।

(4) उप-धारा (3) के अधीन के अध मपेक्षा आदे ि का अनुपालन हो जाने के पश चात् कोई भीव् मजकत मा उसके सहामक और कम चकार, जो बाद में अनिध कृत वकास जारी रिते हैं, दोर्शसवद्धपर, उप-धारा (3) के अधीन की कार चवाई के अतिररक त, इस अधिनमम की धारा 69 के अधीन दण् डनी म होंगे।

(5) ऐसे क क सी भी नुकसान के शल एक क क सी भीव् मजकत द्वारा प्रित कर का कोई दावान हीं क क माजामे गाज जसे वह अनिध कृत वकास के, इस अधिनमम के अधीन बांदक क मे जाने के पररणामस् वरूप उठा मे।

34. अप्राधिकृत विकास का प्रशमन.- इस अध माम में इसके पूर्व चक क सी बात के अन् तववचष् ट होने पर भी, जहां क क सी भीव् मजकत ने स् थामी प्रकृ ित का कोई भी वकास मा भूशम के उपमोग का पररवतचन,-

(क) इस अधिनमम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के त्रबना, मा

(ि)

जो क क सी प्रदत् त अनुज्ञा के अनुसार नहीं है मा क कन् हीं भी ऐसी ित च के उल लांघन में है जजने के अध मधीन रहते हु ए कोई भी अनुज्ञा दी गमी है, मा

(ग) प्रदत् त मा सम मकूप से उपांतर तक क क सी भी अनुज्ञा के उल लांघन में, कर शल मा है वहां ऐसा वकास मा भूशम के उपमोग का पररवतचन प्रािध करण द्वारा, ऐसे िन बांध नों पर और ऐसी फी सत था प्रभारों के, जो राज मसरकार द्वारा समम-समम परवदहत क क मे जा में, सां दाम पर प्रिशमत क क माजामे सकेगा।

35. संक्षिप्त प्रक्रिया से अप्राधिकृत अस्थायी विकास को हटाना या बन् द करना.- (1) इस अध माम में इस से पूर्व चक क सी बात के होते हु ए भी, जहां क क सीव् मजकत ने धारा 31 की उप-धारा (1) में मथा- उपदशित अस् थामी प्रकार का वकास अप्रािध कृतरूप से कर शल मा है तो प्रािध करण, शल खित आदे ि द्वारा, उसव्

मजकतकोआदेिप्राजपतकेपन्

द्रहददनकेभीतरककसीपररिनशमचितमांनिमाचणकामचकोहटानेमाभूशमकामथापूवोक तअप्रािधकृतउपमोगबन् दकरनेकांनिदेिदेसकेगाऔरमददउसकेपश चात्वहव् मजकतउक

तकालाविधकेभीतरआदेिकाअनुपालननहींकरताहैतोप्रािधकरणमाइसकेद्वाराइसिनशमत्प्रािधकृतकोईभीअधिका रीसांक्षक्षप

तप्रक्रमासेऐसेनिमाचणकामचकोहटासकेगामाआदेिमेंमथांनिदेशितउपमोगकोत्रबनाककसीनोदटसकेसांक्षक्षप

तप्रक्रमाद्वाराबन् दकरासकेगाऔरअप्रािधकृतरूपसेकफरसेकमागमाकोईववकासइसीप्रकारसांक्षक्षप

तप्रक्रमाद्वारामथापूवोक तकोईआदेिजारीककमेत्रबनाहटाददमामाबन् दकरददमाजामेगा:

परन् तुिड़ीफसलोंकोसांक्षक्षप तप्रक्रमासेनहींहटामाजामेगाऔरसम बजन्धतव्

मजकतकोफसलकाटनेऔरएकत्रकरनेकेशलएप्रािधकरणद्वाराहिमाससेअनिधककीसमुचितकालाविधअनुज्ञातकी जामेगी।

(2) अस् थामीप्रकारकाववकासक माहै, इसप्रश नपरप्रािधकरणकावविनश चमअंतिमहोगा।

36. अप्रािधकृतविकासकोसीलकरनेकीशमत्त.- (1) प्रािधकरण, धारा 32 माधारा 33 माधारा 35 के

अधीनककसीववकासकोहटानेमाबांदकरनेकेशलएआदेिदेनेसेपूवचमापश चात्ककसीभीसमम, इस

अधिनममकेउपबांधोंकोकामाचजन्वतकरनेकेप्रमोजनकेशलएमाऐसेववकासकीप्रकृतिऔरववस् तारकेबारेमें

भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र,अप्रेल 03,2025180

ककसीभीवववादकांनिवारणकरनेकेशलएऐसेववकासकोववदहतरिीतसेसीलककमेजानेकांनिदेिदेतेहुए आदेिदेसकेगा।

(2) जहांककसीववकासकोसीलकरददमागमाहो, वहांप्रािधकरणमाउसकेद्वाराइसिनशमत् त

प्रािधकृतअधिकारी, राज मसरकारमाउसकेद्वाराइसिनशमत् तप्रािधकृतअधिकारीकीपूवचअनुज्ञासे, ऐसे ववकासकोहटानेमारोकरनेकेप्रमोजनकेशलए, उससीलकोहटामेजानेकाआदेिदेसकेगा।

(3) कोईभीव् मजकतएसीसीलको-

(क) उप-धारा (2) केअधीनपाररतककसीआदेिद्वारा; मा

(ि) अधिकरणकेककसीआदेिद्वारा,

केशसवामनहींहटामेगा।

(4) कोईभीव् मजकतजोउप-धारा (3) केउपबांधोंकाउल लांघनकरताहै, दोर्शसवद्धपर, ऐसेजुमाचनेसेजो पच चीसहजाररुपमेतककाहोसकेगा, दांडडतककमाजामेगा।

37. प्रािधकृतविकासयाउपयोगकोहटायेजानेकीअपेिाकरनेकीशमत्त.- (1)

मददप्रािधकरणकोमहप्रतीतहोककतैमारकीगमीमोजनाकोध मानमेंरितेहुएइसकेक्षेत्रों (सुि-सुववधाओंसदहत) कोउपमुक तरूपसेमोजनाबद्धकरनेकेशलएमहसमीचीनहै,-

(क) ककभूशमकेककसीउपमोगकोबन् दकरदेनाचादहए; मा

(ि) ककउसकेजारीरिनेपरकोईतिंअधरोवपतकीजानीचादहएं; मा

(ग) ककककसीभवनमांनिमाचण-कामचकोपररवितचतकरददमामाहटाददमाजानाचादहए, तोप्रािधकरणस् वामीपरनोदटसतामीलकरवाकर-

(i)उसउपमोगकोबांदककमेजानेकीअपेक्षाकरसकेगा; मा

(ii) उसेजारीरिजानेकेशलएऐसीतिंअधरोवपतकरसकेगाजोनोदटसमेंवविनददचष् टकीजामें; मा (iii)

नोदटसकीतामीलकेपश चात्, मथाजस्थित, ककन् हींभवनोंमासांकमचकोहटानेमाउनमेंफेरबदल करनेकेऐसेकदम, उसमेंवविनददचष् टएकमाससेअन् मूनकीऐसीअविधमेंउठानेकीअपेक्षाकर सकेगाजैसेनोदटसमेंवविनददचष् टककमेजामें।

(2) ऐसेनोदटससेव् मिथतकोईभीव् मजकतउक

तकालाविधकेभीतरऔरववदहतरिीतसेअधिकरणकोअपीलकरसकेगा।

(3) उप-धारा (2)

केअधीनदामरकीगमीककसीअपीलपरअधिकरणअपीलाथीऔरप्रािधकरणकोसुनवाईकामुजकतमुक

तअवसरप्रदानकरनेकेपश चात्अपीलाररजकरसकेगामानोदटसकोअशभिंडडतकरतेहुएमाउसमेंफेरफारकरतेहुए,

जैसा भी वह ठीक समझे, अपीलमांजूर कर सकेगा।

(4) मदद कोई व मजकत,-

(i) जजसेनोदटसके अनुपालनके पररणामस्वरूप उस भूशममें, जजसका वह हकदार है, ककसी दहत के अवक्षमणद्वारामा भूशमके उपमोगमें ववघ नद्वारामा अन् मथानुकसानहुआ है; मा (ii)

जजसेनोदटसके अनुपालनमें कोई नमाचणकामचकरा में हैं, ववदहतसमममें और रीतिसे

प्राधिकरणसे उस नुकसानमानोदटसके अनुपालनके शलए अपनेद्वारामुजकतमुक्त तरूपसे

ककमेगमें चिकके सांबांधमें प्रितकरका दावाककमा है तो ऐसे दावेके सांबांधमें धारा 30 की

उप-धारा (2) और (3) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जजसप्रकार वे इन उपबन्धों के अधीन

प्रितकरके दावों पर लागू होते हैं।

181

राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

38. भूखण्डके उप-विभाजनयाननजीमागय बनाने की मांजूरी.- (1) प्रत् मेकव मजकत, जो धारा 23

के अधीन राजपत्रमें प्रारूपमोजनाके प्रकाशित की तारीख को माउसके पश चात् अपनी भूशममा भूण्डको उप-

ववभाजत करने का मांजूरी भूशममा भूण्डपरिनजीमागय बनाने माउसका अशभन् मास करने का आमरित है,

ऐसे प्रमोजनके शलए आमित प्रारूप अशभन्

मासव विनममों मासरकारके आदेशों द्वारा अवधाररत ववशिष्टों और ऐसी फीस सदहत,

मांजूरीके शलए प्राधिकरणको पेश करेगा।

(2) प्राधिकरण, विनममोंमें विनददचष्ट कालाविधके भीतर मातंत्र बनाउपान् तरणोंके मांसे उपान्

तरणोंमा चिकके अधीन, जो वह समीचीन समझे,

ऐसी मोजनाको मांजूरी कर सकेगा मा मद प्राधिकरणकी महरामहोकक इस प्रकार उप-

ववभाजत ककमा जाना मा मागय का बना मा जाना मोजनाके प्रस्

तावोंसे ककसी भी रूपमें सांगत नहीं है तो मांजूरी करने से इन्कार कर सकेगा।

(3) ककसी मांजूरी की इन्कारीके शलए मांजूरीमें अधिरोव पत उपान्

तरणमा चिकके शलए कोई भी प्रितकर सां दे मनीं होगा।

(4) मदद कोई व मजकत उप-धारा (1) के उल लांघनमें माउ उप-धारा (2) के अधीन दी गमी मांजूरीमें ककन् हीं उपान्

तरणोंमा चिकके उल लांघनमें माउक त उप-धारा (2)

के अधीन मांजूरी से इन्कारीके बावजूद भी कोई नमाचणकामचकरता है तो प्राधिकरण शलखित नोदटसद्वारा ऐसे व

मजकतको चालू निमाचणकामचको रोकने का निदेश सकेगा और विनममों द्वारा अवधाररत रीतिसे जांच करनेके पश

चात् ककसी भी निमाचणकामचको हटा सकेगा मा गिरा सकेगा मा भूशमको उसकी मूलजस्थितमें ला सकेगा।

39. ककये गये खचों की सूची.- प्राधिकरण द्वारा धारा 32, 33, 35, 37, और 38

के अधीन ककमागमा चिक इस अधिनममके अधीन व मितक्रमी द्वारा मा भूशम अथवा भूण्डके स्

वामी द्वारा प्राधिकरणको दे मराशि होगी और वह भू-राजस् वकीबकामाके रूपमें वसूल की जा मेगी।

अध्याय 7

पररयोजनाएं और स्कीमें

40. पररयोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और उन की अन्तियस्तु.- (1) इस अधिनमममा तत्

सममप्रवृत्त ककसी अन् मवविधके अधीन रहते हुए, प्राधिकरण ककसी भी मोजनामें प्रस् तावोंके क्रमान्

वमनके शलए बीकानेर रीजन अथवा उसके ककसी भागके एकीकृत ववकास हेतु ऐसी पररमोजनाएं और स्

कीमें बना सकेगा जो आवश मकों।

(2) ककसी पररमोजनामा स् कीममें निम नशलखित समस् तमाइनमें से ककन् हीं भी मामलोंके शलए उपबन्ध ककमा जा सकेगा, अथात्:-

(i) धारा 21 और 22 में विनददचष्ट ककन् हीं भी मामलोंके शलए;

(ii) लोक उपमो गिताओं, जैसे सड़कों, मागय, िली जगहों, पाकय, उद्यानों, मनोरांजन और ल- मैदानों, अस् पतालों, और्धालमों, शिक्षण-सांस् थाओं, हररत-पदट्टमों, दुग धिलाओं, आवासन ववकास, बाजारों का ववकास, िवापांग सेंटरों, वाखणजमककाम प लेक सों, सांस् कृितककेन् द्रों,

प्रासिनककेन् द्रों, पररवहन सुववधाओं और समस् त प्रकारके लोक प्रमोजनोंके शलए भूशमके अजचन, ववकास, आर क्षण और ववक्रममाउसे पट्टे पर देनेके शलए;

- (iii) िालीभूशममापहलेसेिनशमचितवालीभूशमकाअजचन, अशभन् मासमापुनः अशभन् मासगलतढांग सेअांककतमागन् दीबजस्तमोंमाकच चीबजस्तमोंकेरूपमेंववकशसतमाववकृतऐसेक्षेत्रोंकापुनः िनमाचणमापुनः स् थापन, नीचे, दलदलीअथवाअस् वास् थ मकरक्षेत्रोंकीभूशममोंकोभरनामा काममेंलानेमोग मबनानामाभूशममोंकोसमतलबनानेकेशलए;

भाग4(क)½

राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025182

- (iv) वाखणजजमक, औद्योगिक, पररवहन, कृवर्-मांडडमोंऔरअन् मसमानप्रमोजनोंकेशलएक्षेत्रोंका अजचनऔरववकासकरनेकेशलए;
- (v) सड़केंत्रबिनेमामागचकीप्रणालीकोनमारूपदेनेकेप्रमोजनकेशलएभूशमकाअजचनऔर ववकास, नमेमागचमासड़कोंकोत्रबिने, मागचऔरसड़कोंकेसांिनमाचण, मोड़ेजाने, ववस् तारण, पररवतचन, सुधार, बन्दककमेजानेऔरसांचाररोकददमेजानेकेशलए;
- (vi) भवनों, सड़कों, जलिनकास, मलवहन, सतहीऔरअधोमृदाजलिनकास, मलिनवचतचनसदहत औरऐसीहीअन् मसुववधाओंकेप्रमोजनकेशलएभू-िण् डोंकापुनः सांिनमाचणकरनेकेशलए; (vii) भवनों, पुलोंऔरअन् मिनशमचितमोंकेसांिनमाचण, पररवतचनऔरहटामेजानेकेशलए;
- (viii) प्रकाि्व मवस् थाएवांजलप्रदामकेशलए;
- (ix) ऐतहाशसकमाराष् ट्रीमअशभरुिचमाप्राकृितिकसौंदमचकीवस् तुओंऔरउनभवनोंकेपरररक्षणके शलएजजनकावास् तवमेंधाशमचकप्रमोजनकेशलएउपमोगककमाजाताहै;
- (x) अनुसूचितजातिमों, अनुसूचितजनजातिमों, वपिड़ेवगचऔरसमाजकेकमजोरतबकोंके सदस् मोंकेशलएआवासस् थानउपलब धकरानेहेतुकसीस् कीममेंउससीमातकभूशमका आरक्षणकरनेकेशलएजैसाककवविनममोंद्वाराउपबांिधतहो;
- (xi) भवनोंकेचारोंतरफरीजानेवालीजगहोंके, भूिण्डकेशलमेभविनमाचणक्षेत्रकेप्रितित के, वविनददचष् टक्षेत्रोंमेंअनुज्ञातभवनोंकीसांख मा, आकार, ऊंचाईऔरस् वरूपके, उनप्रमोजनोंके, जजनकेशलएभवनमावविनददचष् टक्षेत्रवविनमोजजतककमेजामेंमानककमेजामें, भू-िण् डोंके उप-ववभाजनकेशलएवविनददचष् टकालाविधमोंमेंकसीक्षेत्रमेंभूशममोंकेआक्षेपणीमउपमोगों कोबन् दकरनेके, पाककिंगस् थानोंकेशलएकसीभीभवनके, लदाईतथाउतराईकीजगहके औरिनकलेहुएभागों, ववज्ञापनसांकेतोंऔरववज्ञापन-पट्टोंकेआकार, माअवस् थापनकेसांबांध मेंितचऔरिनबन् धनोंकेअधरोपण;
- (xii) तत् सममप्रवृत्तऐसीकसीवविधकेअधीनजसेबनानेकेशलएराज मववधान-मण् डलसक्षमहो, बनामेगमेकसीिनमम, उप-वविध, वविनमममाजारीकीगमीअधसूचनामाआदेिकोस् कीम केसमुचितकक्रमान् वमनकेशलएिनलजमबतकरनेकेशलए, जहांतकऐसाकरनाआवश मकहो: परन् तुइसिण् डकेअधीनककमागमाकोईनलम बनस् कीमकेप्रत् माहरणकीदिमैं माअजन्तमस् कीमकेलागूहोजानेपरप्रवृत्तनहींरहेगा;
- (xiii) इसप्रकारकेअन् मकामचकेशलएजोपमाचववणीमसुधारलामेऔरजोप्रािधकरणद्वाराहाथमें शलमेजामेंऔरअन् मऐसेसमस् तमामलोकेशलएजोइसअधिनममकेउद्देश मोंसेअसांगतन हों।
- (3) प्रारूपपररमोजनामास् कीममेंिनम नशलखितववशिजष्टमांंहोंगी, अथाचत्:-
- (क) प्रत् मेकमूलभूिण्डकाक्षेत्रफल, स् वाशमत् वऔरभूधृति;
- (ि) उप-धारा (2) केिण् ड (ii) केअधीनआबांदटतमाआरक्षक्षतभूशमकीववशिजष्टमांंसाथहीउन उपमोगोंकेसाधारणसांकेतजजनकेशलएऐसीभूशमरीजानीहैऔरवेिनबन् धनऔरितें जजनकेअधीनऐसीभूशमऐसेउपमोगोंकेशलएरीजानीहै;
- (ग) वहपररसीमाजहांतकमूलभू-िण् डोंकीसीमाओंकोपररवितचतककमाजानाप्रस् तावतहै; (घ) समुचितप्रािधकारीद्वारावहनकीजानेवालीस् कीमकीिुद्धलागतकाप्राक कलन;
- (ङ) उप-धारा (2) केअधीनस् कीमकेब मौरेकापूणचवणचनजोककलागूहो;

183

राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025भाग4(क)

- (च) उसभूशमकाअशभन् मासमापुनः अशभन् मासजोमातोिालीहोमाजजसपरपहलेसेहीकोई िनमाचणककमाहुआहो;
- (ि) िनचले, दलदली, माअस् वास् थ मकरक्षेत्रोंकाभराजानामासुधारकरनामाभूशमकोसमतल करना; और

(ज) अन् मववशिजष्टमांजोवविनममोंद्वारा अवधाररतकीजामें।

41. पररयोजनाओं और स्कीमों का तैयार कर दिया जाना.- (1) प्राधिकरण, सांकल पद्धति, ककसीववकासक्षेत्रमें धारा 40 में मथाउपबां धितके अनुसार पररमोजनामास् कीमतैमार करनेके अपने आमकीघोर्णाकर सकेगा।

(2) ऐसी पररमोजनामास्

कीम बनानेके आमकीघोर्णाकी तारीं से तीसददनके भीतर प्राधिकरण घोर्णाको राजपत्रमें और ऐसी अन् मरीतिसे, जो वविनममोंद्वारा अवधाररतकीजामे, प्रकाशित करेगा। (3) उप-धारा (2)

के अधीन घोर्णाके प्रकाशित की तारीं से दोवर्षके भीतर प्राधिकरण पररमोजनामास्

कीम का प्रारूप तैयार करेगा और इसे एक नोटसके साथ, जजसमें वविनददचष टतारीं से पूवचउक त पररमोजनामास् कीमके प्रारूपके सांबंधमें ककसीभीव मजकतसे ऐसी तारीं से पूवच,

जो नोटसके प्रकाशित की तारीं से तीसददनसे पूवचकी नही होगी,

आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करके मगमे हों ऐसी रूपमें और ऐसी रीतिसे प्रकाशित करेगा जो वविनममोंद्वारा अवधाररतकीजामे।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (3) के अधीन नोटसमें वविनददचष टकालाविधके भीतर प्राप्त होनेवाले समस्त आक्षेपों और सुझावों पर वचार करेगा और उससे प्रभावित और सुनवाईके शलएइच िक एसेव मजकतमें कोसमुचित अवसर प्रदान करनेके पश चात् प्राधिकरण राजपत्रमें और ऐसी रीतिसे, कीम को अनुमोदित करेगा माउसमें ऐसे उपान् तरण करेगा जो वही ठीक समझे।

(5) उप-धारा (4) के अधीन ककसी पररमोजनामास् कीम का उपान् तरणों सदहत मारदहत अनुमोदन ककमे जानेके तुरन् तपश चात् प्राधिकरण राजपत्रमें और ऐसी रीतिसे, जो वविनममोंद्वारा अवधाररतकीजामे, अंतिम पररमोजनामास् कीम प्रकाशित करेगा और वह तारीं वविनददचष ट करेगा जजसको महप्रवित्तत होगी।

(6) पूवचवती उप-धाराओं में ककसी बातके होने पर भी, उनमें अधिकित प्रक्रमा का पालन करनेकी अपेक्षा उन मामलों में नहीं कीजामेगी जब कक पररमोजनामास् कीम का क्रमान् वमन ककसी ऐसी भूशम परकरना हो जो प्राधिकरण में निदहत हो और ककसी भवन का तोड़ना माउसमें रहनेवालेव मजकतमें को हाटामा जाना इसके निष् पादनमें अन् तरिमचस् तन हो।

42. ककसी स्कीम की घोषणा के पश्चात् भूमि के उपयोग और विकास पर नबयन् िन.- (1) उस तारीं को माउसके पश चात् जजसको धारा 41 के अधीन प्रारूपस् कीम प्रकाशित हुई है, कोई भीव मजकत पररमोजनामास् कीम में सजमम शलतक्षेत्रके भीतर ककसी भवन मा भूशमके उपमोग का तबतक प्रारम भन हीं करेगा माउसे नही बदलेगा मा ककसीववकासको क्रमाजन्वत नही करेगा जबतक कक एसेव मजकतने ऐसा करनेके शलएइसिन शमत्त बना मगमे वविनममोंके अनुसरणमें आवश मक अनुज्ञा प्राप्त करनेके शलए प्राधिकरण को आवेदन ककमा हो और उससे प्राप्त तन कर शलमा हो:

परन् तुरिमाम आबादी पररसीमाओं के भीतर ककसीव मजकतके शलए ऐसा ववकासस् थानी मपांचामत द्वारा दीगमी अनुज्ञाके अनुसार उस सीमा तक करना वविध पूण चहो गा जहां तक ऐसी अनुज्ञा ऐसी प्रारूपस् कीम मास् कीमों से सांगत हो।

(2) धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित पररमोजनामास् कीमके शलए अध माम 6 के उपबांधम थावश मक पररवतचनों सदहत लागू होंगे।

भाग 4(क) 1/2 राजस् थान राज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 184

43. स्कीम का व्यपगत होना.- मदद प्राधिकरण धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित ककसी पररमोजनामास् कीम को उसके धारा 41 की उप-धारा (5) के अधीन प्रकाशित होने की तारीं से पांचवर्ष की कालाविधके भीतर का माचजन्वत करनेमें ववफल रहता है तो मह पररमोजनामास् कीम पांचवर्ष की उक तकालाविध की समाप्त परव् मपगत होजामेगी।

44. पररयोजना या स्कीम का उपान् तरण या प्रत्याहरण.- (1) प्राधिकरण की राम, मदद उसके द्वारा ऐसी जांच करनेके पश चात्, जो वह उचित समझे, मह हो कक एसा ककमा जाना आवश मक मासमी चीन है तो वह राजपत्रमें प्रकाशित अध सूचना द्वारा मह घोर्णा कर सकेगा कक धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित पररमोजनामास् कीम का प्रत् माहरण कर शल मागमा है और ऐसी घोर्णा करने पर ऐसी पररमोजनामास्

कीमकेसांबांधमेंआगेकोईकामचवादहमांनहींकीजामेंगी।

(2) मददप्राधिकरणधारा 41 कीउप-धारा (4) केअधीनककसीपररमोजनामास् कीमकेअनुमोदनकेपश्चात् उसमेंककसीभीसममकितपमउपान् तरणकरनाआवश मकसमझे, जोउसकीराममेंपररमोजनामास् कीमकेस्वरूपमेंसारवान्पररवतचननहींकरतेहैं, तोवहउसमेंउपमुक्ततउपान् तरणकरसकेगा।

45. ककसीपररयोजनायास्कीमकीव्याप्ति-मतत.- इसअधिनममकेककन् हींउपबांधोंमाइसकेअधीनस्वीकृतककसीमोजनामेंककसीबातकेहोतेहुएभी, प्राधिकरण, उक्त तमोजनामेंसमाववष् टनकीगमीऐसीकोईपररमोजनामास् कीमबनानेऔरउसकोकक्रमाजन्वतकरनेकेशलएस्वतांत्रहोगाजसकोकक्रमाजन्वतककमाजानाप्राधिकरणकीराममेंलोकदहतमेंआवश मकमासमीचीनहो, औरउक्त तमोजनाउससीमातकउपान् तररतसमझीजामेंगी।

अध्याय 8

भूममकाअजयनऔरननपटारा

46. करारद्वारायिकरनेयापट्टेपरदेनेकीशमत्तत.- प्राधिकरणककसीऐसीभूशमकोक्रमकरने, पट्टेपरदेनेमावविनममकरनेकेशलएककसीभीव मजकतसेकरारकरसकेगाजसेप्राधिकरणअजजचतकरनेमाऐसीभूशममेंकोईदहतरीनेकेशलएप्राधिकृतहै।

47. भूममअजयतकरनेकीराज्यसरकारकीशमत्तत.- जहांप्राधिकरणद्वाराकमेगमेककसीअभ मावेदनपरराज मसरकारकोमहप्रतीतहोककअपनेककन् हींकृत् मोकेविनवचहन, ककन् हींकतचव मोकेपालनमाअपनीककन् हींजिकतमोंकाप्रमोगकरनेमेंमाअपनीककन् हींपररमोजनाओंमास् कीमोंमाववकासकामचक्रमकोकक्रमाजन्वतकरनेमेंसमथचबनानेकेशलएमहआवश मकहैककबीकानेररीजनकेककसीभागमेंकोईभीभूशमअजजचतकीजानीचादहएतोरामसरकार, भूशमअजचन, पुनवाचसऔरपुनव् चमवस् थापनमेंउचितप्रितकरऔरपारदशिचताकाअधिकारअधिनमम, 2013 (2013 काकेन् द्रीमअधिनममसां. 30) केअधीनऔरअनुसरणमेंइसभूशमकाअजचनकरसकेगी।

48. प्राधिकरणकोकब्जाउपलब्धिकरायाजाना.- जहांकोईभूशमकब जेमेंलीजामे, वहांराज मसरकार, वहभूशमप्राधिकरणकोउसकेकृत् मोकापालनकरने, उसकेकतचव मोकाविनवचहनकरनेऔरउसकीजिकतमोंकाप्रमोगकरनेकेशलएउपलब्धकरादेगी।

49. भूममकाप्राधिकरणमेंनदहतहोनाऔरउसकाव्ययन.- (1) राजस् थानभू-राजस् वअधिनमम, 1956 (1956 काअधिनममसां. 15) मेंककसीबातकेहोनेपरभी, उसअधिनममकीधारा 103 मेंमथा-पररभावर्तभूशम, उक्त तधाराकेण्ड (क) केउप-ण्ड (ii) मेंवविनददचष् टभूशमकोऔरबीकानेररीजनमेंउसअधिनममकीधारा 102-ककेअधीनऐसेस् थानीमप्राधिकारीकेपासरिगमीनजूलभूशमकोडकर, इसअधिनममकीधारा 3 केअधीनप्राधिकरणकेस् थावपतहोनेकेतुरन् तपश्चात्प्राधिकरणकोसौपीगमीऔर

185 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

उसमेंनदहतहुईसमझीजामेंगीजोउसभूशमकोराज

मसरकारकेशलएऔरउसकेनिशमत्तरिमहणकरेगाऔरउसकाइसअधिनममकेप्रमोजनकेशलएउपमोगकरसकेगाऔरउसकाआबांटन, निमशमतीकरणमानीलामकेरूपमेंव ममनऐसीितचतथाविनबचन् धनोंकेअधीनरहतेहुएजैसाकराज मसरकारसमम-सममपरअधिकितकरे, औरऐसीरीितसेकरसकेगाजैसाककमहसमम-सममपरवदहतकरे:

परन् तुप्राधिकरणककसीभीऐसीभूशमकाव् ममन-

(क) उसपरकोईववकासकमेत्रबनामाकरामेत्रबना; मा

(ि)

ऐसाववकासकमेमाकरामेजानेकेपश्चात्जोवहठीकसमझे, ऐसेव मजकतकोऐसीरीितसे

औरऐसीप्रसाववदाऔरितचकेअधीनरहतेहुएकरसकेगाजोवहमोजनाकेअनुसारववकास

सुनिजशचतकरनेकेशलएसमीचीनसमझे।

(2)

प्राधिकरणकेद्वारामाउसकेनिमांत्रणऔरपमचवेक्षणकेअधीनकेशसवामककसीभूशमकाववकासककमामाकरामान हींजामेंगी।

(3) मददप्राधिकरणमेंनदहतककसीभूशमकीककसीभीसममनगरिनगम, बीकानेर, नगरपालिकाबोडच,

नापासरमानगरपाशलकाबोडच, देिनोकद्वाराअपनेकृत् मोंकेपालनकेशलए, माराज मसरकारद्वाराककसीभीअन् मप्रमोजनकेशलएअपेक्षाकीजामेतोराज मसरकार, राजपत्रमेंअधिसूचनाद्वारा, ऐसीभूशमनगरिनगम, बीकानेर, नगरपाशलकाबोडच, नापासरऔरनगरपाशलकाबोडच, देिनोक, माराज मसरकारकेककसीववभागको, ऐसेिनबांधनोंऔरितचपरसौंपसकेगी, जोउचितसमझीजामें।

(4) प्राधिकरणद्वाराअजजचत, माराज मसरकारद्वाराअजजचतऔरप्राधिकरणकोअन् तररतसमस् तभूशममोंकाव् ममनप्राधिकरणद्वाराउसीरीितसेककमाजामेगाजोककउप-धारा (1) मेंभूशमकेशलएववदहतकीजामे।

50. कनतपयभूमयोंकाआबंटन, ननयममतीकरणआदद.- (1) राजस् थानभू-राजस् वअधिनिमम, 1956 (1956 काअधिनिममसां. 15) कीधारा 90-ककेअधीनप्राधिकरणकेव् ममनाधीनरीगमीसमझीगमीकोईभूशम, प्राधिकरणद्वारा, उसधारामेंवेविनददचष् टककमेगमेव् मजकतमा, मथाजस्थित, व् मजकतमोंको, उसधाराकेअधीनववदहतनबांधनोंऔरितचकेअध मधीनरहतेहुए, औरउद्रिमहणीमऔरवसूलीमनगरीमिनधाचरणमाप्रीशमममादोनोंकाप्राधिकरणकोसांदामककमेजानेपरआबांटनमा िनमशमतीकरणकेशलएउपलब धहोगी। (2) उप-धारा (1) केअधीनवसूलककमेगमेप्रभारराज मकीसमेककतिनिधमेंऔरप्राधिकरणकीिनिधमें, जैसाककराज मसरकारद्वाराअवधाररतककमाजामे, जमाककमेजामेंगे।

51. अन्तरणकापूणयसिाममर्तियापट्टािृतनआरपरहोना- (1) धारा 49 माधारा 50 केअधीनभूशमकाप्रत् मेकअांतरणमातोपूणचस् वाशमत् वआधारपरमापट्टाधृतिआधारपरहोगा।

(2) पट्टाधृतिआधारपरववक्रीत, आबांटन, िनमशमतमाअन् मथाअन् तररतककसीभीभूशमकोऐसेिनबांधनोंऔरितचकेअध मधीनरहतेहुएऔरऐसेसांपररवतचनप्रभारोंकेसांदामपर, जोववदहतककमेजामें, पूणचस् वाशमत् वभूशमकेरूपमेंसांपररवितचतककमाजासकेगा।

स्पष्टीकरण.- इसधाराकेप्रमोजनोंकेशलए "पूणचस् वाशमत् वभूशम" सेववरासतऔरअन् मसांकामणकेअधिकारसदहतिश वतभूधृतिअशभप्रेतहै।

52. आबंटनकाप्रनतसंहरणऔरपट्टाविलेखकारदकरण.- (1) इसअधिनिमममातत् सममप्रवृत्त ककसीअन् मवविधमेंअांतववचष् टककसीप्रितकूलबातकेहोतेहुएभी, इसअध मामकेअधीन, मातोपट्टाधृति आधारपरमापूणचस् वाशमत् वआधारपरव् ममिनतभूशमकेसांबांधमेंपट्टाववलेिकेिनिष् पाददतऔररजजस् ट्रीकृत ककमेजानेसेपूवचमापश चात्, मदद, ककसीभीसमम, न् मासकेपासमहववश वासकरनेकेकारणहैंककतथ मोंके भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 186दुव् चमपदेिनद्वारामाशमथ मादस् तावेजोंकेआधारपरमादुस् सांधिकरकेमावविधकाउल लांघनकरकेभूशमकाआबांटनप्राप तककमागमाहैऔरपट्टाववलेिनिष् पाददतककमागमाहैतोवह, कारणदशिचतकरनेकेशलएककभूशमकेआबांटनकेप्रितसांहरणऔरपट्टाववलेिकेरदकरणकाआदेिक मोंनहींकरददमाजानाचादहए, इसमेंइसकेपश चात्उपबांधितरीितसेशलखितनोदटसजारीकरेगा।

(2) नोदटसमें-

(क) वेआधारवेविनददचष् टहोंगेजजनपरभूशमकेआबांटनकेप्रितसांहरणऔरपट्टाववलेिके रदकरणकाआदेिददमाजानाप्रस् ताववतहै; और

(ि) ऐसेसांबांधितसमस् तव् मजकतमोंसे, अथाचत्उनसमस् तव् मजकतमोंसेजोभूशमके अधिभोगीहोंमाहोसकतेहोंमाउसमेंदहतकादावाकरतेहोंमाकरसकतेहों, ऐसीतारीिकोमा उससेपूवचजोनोदटसमेंवेविनददचष् टकीजामे, जोउसकेजारीहोनेकीतारीिसेसातददवससेपूवचकी तारीिनिहो, प्रस् ताववतआदेिकेववरुद्धकारण, मददकोईहो, दशिचतकरनेकीअपेक्षाकीजामेगी। (3) मदद,

उप-धारा (1) केअधीननोदटसकेअनुसरणमेंककसीव् मजकतद्वारादशिचतककमागमाकारण, मददकोईहो, औरऐसाकोईसाक्ष म, जोवहउसकेसमथचनमेंपेिकरे, परववचारकरनेकेपश चात्औरउसेसुनवाईकामुजकतमुक तअवसरदेनेकेपश चात्, प्राधिकरणकामहसमाधानहोजाताहैककपट्टातथ मोंकेदुव् चमपदेिनद्वारामाशमथ मादस् तावेजोंकेआधारपरमादुस् सांधिकरकेमावविधकाउल लांघनकरकेप्राप तककमागमाहैतोप्राधिकरण, भूशमकेआबांटनकेप्रितसांहरणऔरपट्टाववलेिकेरदकरणकाआदेिदेसकेगाऔरउसमेंलेिबद्धकारणोंसे, महिनददष् टकरतेहुएककभूशम, उनसमस् तव् मजकतमोंद्वारा, जोउसकेमाउसकेककसीभागकेअधिभोगीहोंमाहोसकतेहों, िलीकरदीजामे, बेदिलीकाआदेिभीदेसकेगाऔरआदेिकीएकप्रितभूशमकेबाहरीद्वारपरमाककसीअन् मसहजदृश

मभागपरलगवामेगा।

53.

कनतपयभूमयोंमेंअधिकारोंकेअभ्यपयणकीसीीकृनतऔरपूणयसीममतिपट्टाजारीककयाजाना.- (1)

कोईव मजकतजोप्रािधकरणकीअधिकारताकेभीतर, प्रािधकरणद्वाराजारीककसीपट्टेमाअनुज्ञपतकेअधीनसेअन् मथागैर-कृवभूशमधाररतकरताहैतोवहप्रािधकरणसेपूणचस् वाशमत् वअधिकारोंकोअशभप्राप तकरनेकेप्रमोजनकेशलएऐसीभूशममेंअपनेअधिकारोंकाप्रािधकरणकेपक्षमें, ववदहतरीितसे, अभ मपचणकरसकेगा, प्रािधकरणएऐसेअधिकारोंकोस् वीकारकरसकेगाऔरपूणचस् वाशमत् वपट्टाजारीकरसकेगा।

(2) कोईव मजकतजोककसीअन्

मवविधकेअधीनजारीकोईआदेिमापट्टाधाररतकरताहैतोवहभीप्रािधकरणसेपूणचस् वाशमत् वअधिकारोंकोअशभप्राप तकरनेकेप्रमोजनकेशलएऐसीभूशममेंअपनेअधिकारोंकाप्रािधकरणकेपक्षमेंअभ मपचणकरसकेगा, प्रािधकरणएऐसेअधिकारोंकोस् वीकारकरसकेगाऔरपूणचस् वाशमत् वपट्टाजारीकरसकेगा।मददऐसीभूशमपट्टाधृितआधारपरहैतोएकबारीमपट्टाराशि, जोववदहतकीजामे, जमाकरामेजानेपरपूणचस् वाशमत् वपट्टाजारीककमाजामेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) केअधीनप्रािधकरणद्वाराअधिकारोंकेस् वीकारकरशलमेजानेपर, उक तभूशममेंधारककेसमस् तअधिकारप्रािधकरणमेंिनदहतहोजामेंगेऔरप्रािधकरण, इसअधिनिममकेअन् म

187 राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025भाग4(क)

उपबांधोंऔरतदधीनबनामेगमेंनिममोंकेअध मधीनरहतेहुएऔरधारकद्वारा, ऐसीफीसमाप्रभारोंकेसांदाम पर, जोराज मसरकारद्वाराअवधाररतकमेजामें, उक तभूशमकेधारककोपूणचस् वाशमत् वपट्टाजारीकरेगा।

(4) उप-धारा (3) केअधीनजारीपूणचस् वाशमत् वपट्टाउनसमस् तप्रसांववदाओंऔरववल लांगमोंकेअध मधीनहोजाजोभूशमसेसांलग नथेऔरउप-धारा (1) और (2) केअधीनप्रािधकरणद्वाराअधिकारोंकीस् वीकृितसेतुरन् तपूवचववदमानथे।

अध्याय 9

वितत, बजटऔरलेखे

54. प्राधिकरणकीननधियां.- (1) प्रािधकरणकीअपनीिनिधहोगीजो "बीकानेररीजनववकासिनिध" (जजसेइसमेंइसकेपश चात "िनिध" कहागमाहै) कहलामेगी, जजसमेंप्रािधकरणद्वाराप्राप तसमस् तधनराशिमांजमाहोंगीऔरजजसमेंिनम नशलखितभीसजममशलतहोंगे-

(क) अशभदामकीऐसीरकमजोराज मसरकारद्वारावावर्चकमाप्रत् मेकवर्चमेंऐसीककस् तोंमें, जो राज मकीमोजनामेंसजममशलतस्कीमोंकेअनुसारअवधाररतकीजामेऔरइसिनशमत्त सम मकूपसेकमेगमेवविनमोगकेअधीनदीजातीहै, ऐसेअशभदामकाउपमोगप्रािधकरण द्वाराबीकानेररीजनकेववकासकेशलएककमाजामेगा;

(ि)

ऐसेअन् मधनजोककराज मसरकार, केन् द्रीमसरकारमाककसीअन् मप्रािधकारीमाअशभकरण द्वाराअनुदान, उधार, अिरिमममाअन् मथाप्रािधकरणकोसांदत्तकमेजामें;

(ग) िालीभूशमकेद्ववतीमऔरपश चात् वतीववक्रमकेप्रीशममसेव् मुत् पन् नआम;

(घ) ररक तभूशमपरउद्रिमहणसेआम;

(ङ) इसअधिनिमममातत् सममप्रवृत्तककसीअन् मवविधकेअधीनप्रािधकरणद्वाराप्राप तकी गमीसमस् तफीसैं, लागतेंऔरप्रभार;

(च)

प्रािधकरणद्वाराभूशम, भवनऔरअन् मसम पजत्त, जांगमऔरस् थावरकेव् ममनसेतथापट्टे कीधनराशिनगरिनधाचरण, ववकासप्रभारऔरभूिण्डधारकोंसेवसूलेगमेऐसेहीप्रभारोंको सजममशलतकरतेहुएअन् मसांवमहारोंसेप्राप तसमस् तधन;

(ि) ववत्तीमसांस् थानोंसेशलमेगमेउधारकोसजममशलतकरतेहुएप्रािधकरणद्वाराउधारशलमा गमासमस् तधन;

(ज) प्रािधकरणद्वाराककरामेऔरलाभकेरूपमेंमाककसीअन् मरीितसेअथवाककसीअन् मस्रोत सेप्राप तसमस् तधन; और

(झ) प्राधिकरणद्वाराप्राप्त तककमेजानेवालेसमस् तदान।

(2) प्राधिकरणककसीअनुसूचितबैकमाककसीसहकारीमाइसिनशमत्तराज मसरकारद्वाराअनुमोददतअन् मबैकमेचालूितातामाजमाितारिसकेगा, इसिनिधमेसेऐसीधनराशि, जोप्राधिकरणद्वाराअवधाररतकीजामेऔरउक तराशिसेअधिककोईधनराशिऐसीरीतिसेवनिदहतकीजामेगीजोककवनिममोंद्वारावदहतकीजामे।

(3) ऐसीताताकासांचालनबीकानेरवकासआमुक तद्वारामाप्राधिकरणकेऐसेअन् मअधिकारीद्वाराककमाजामेगाजोककइसिनशमत्तबनामेगमेवनिममोंद्वाराउसकेद्वाराप्राधिकृतककमाजामे।

55. डिारननधि.- (1) निधकेभागरूपमें, प्राधिकरणववशभन् नबैकितोंमें (क) उधारलेनेवालोंद्वाराउधारपरब माजकेसांदामकेसाथ-साथउधारकीककस् तोंकेप्रितसांदामोंकोसजममशलतकरतेहुएउसके

भाग4(क)^{1/2} राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025188

द्वाराउधारशलमेगमेसमस् तधनकोप्राप्त करने, (ि) प्राधिकरणद्वारास् थानीमप्राधिकाररमोंऔरअन् मप्राधिकाररमोंमाव् मजकतमोंकोउधारअथवाअिरिममकेरूपमेंउपलब्ध करवानेकेशलएसमस् तधनकाप्रबन्ध करने, (ग) इसअिधिनममकेप्रमोजनकेशलएप्राधिकरणद्वाराशलमेगमेउधारोंकाप्रितसांदामकरनेऔर (घ) पररमोजनाओंऔरस् कीमोंपरव् ममकरनेकेप्रमोजनोंकेशलएकउधारिनिधस् थावपतकरेगा।

(2) उधारिनिधसेसांबिधतसमस् तमामलेइसिनशमत्तबनामेगमेवनिममोंद्वारावनिमशमतहोंगे। 56.

आरक्षितऔरअन्यनधियां.- (1) प्राधिकरणआरक्षक्षतिनिधकेशलएउपबन्ध करेगाऔरअन् मववशिष् टतः अांककतमूल निनिधमोंकेशलएउपबन्ध करसकेगा, जैसावहउचितसमझे।

(2) उप-धारा (1) मेंनिददचष् टिनिधमोंकाप्रबांधऔरउधारकेशलएसमम-सममपरअन् तररतहोनेवालीरकमऔरउसमेंसमाववष् टहोनेवालेधनकाउपमोजनप्राधिकरणद्वाराअवधाररतककमाजामेगा।

57. ननधियांइत्यादकाउपयोजन.- प्राधिकरणमेंनिदहतसमस् तसम पजत्तिनिधमांऔरअन् मआजस्तमांउसकेद्वाराइसअिधिनममकेप्रमोजनकेशलएऔरइसकेउपबन्धोंकेअधीनरहतेहुएधाररतकीजामेगीऔरउप मोजजतकीजामेगी।

58. प्राधिकरणकीडारलेनेकीशमत्त.-

प्राधिकरणइसअिधिनममकेप्रमोजनकोकामाचजन्वतकरनेकेशलएमाइसकेद्वाराअशभप्राप्त तउधारकेिधनकेशलएराज मसरकारकेपूवचअनुमोदनसेऐसीदरोंपरऔरऐसीितचपरजो, ककराज मसरकारधनउधारलेतेसममअवधाररतकरे, कोईभीधनउधारलेसकेगा। 59.

पररयोजनाऔरस्कीमोंकोविततऔरउनकेमलएशतेंअधिरवपतकरनेकीप्राधिकरणकीशमत्त.-

प्राधिकरणककसीस् थानीमप्राधिकारीमाबीकानेररीजनमेंअन् मप्राधिकारीमाककसीसरकारीववभागमाव् मजकतकोधारा 16 केप्रमोजनोंमेंसेककसीप्रमोजनकेशलएअनुदान, अिरिमममाउधारदेनेकेशलएमाउनकेव् ममोंमेंदहस् सालेनेकेशलएसक्षमहोगाऔरतत् सममप्रवृत्तककसीवविधमेंककसीबातकेहोनेपरभीऐसेस् थानीमप्राधिकारी, अन् मप्राधिकारी, सरकारीववभागमाककसीव् मजकतकेशलए, ऐसीनबन्ध नोंऔरितचकेअधीनरहतेहुएऐसेअनुदानों, अिरिममोंमाउधारोंमाव् ममोंमेंदहस् सेस् वीकारकरनावविधपूणचहोगाजोप्राधिकरणसमम-सममपर, ऐसीस् थानीमप्राधिकारी, अन् मप्राधिकारी, सरकारीववभागमा, मथाजस्थित, ककसीव् मजकतकेपरामिचसेवनिददचष् टकरे।

60. प्राधिकरणद्वारामलयेगयेयाददयेगयेडारोंपरराज्यकीप्रत्याभूनत.-राज मसरकार, प्राधिकरणद्वाराइसअिधिनममकेप्रमोजनोंकेशलए, शलमेगमेमाददमेगमेमाइसकोअन् तररतककमेगमेककसीउधारकेमूलधनऔरउसपरब माजकेप्रितसांदामकीप्रत् माभूितऐसीितचकेअधीनरहतेहुएदेसकेगीजजन् हेराज मसरकारअधिरवपतकरनाउचितसमझे।

61. लेखेऔरसंपरीा.- (1)

प्राधिकरणऐसेप्ररूपमेंऔरऐसीरीतिसेलेिेरिगाजोककइसिनशमत्तबनामेगमेवनिममोंद्वाराअवधाररतकीजामे।

(2) प्राधिकरणकेलेिे, परीक्षक, स् थानीमिनिधसांपरीक्षाद्वारा राजस् थानस् थानीमिनिधसांपरीक्षाअिधिनमम, 1954 (1954 काअिधिनममसां. 28) केउपबांधोंकेअनुसारसांपरीक्षाककमेजानेकेअध मधीनहोंगे। (3) प्राधिकरणसांपरीक्षाकेशलएऐसेप्रभारोंकासांदामकरेगाजोववदहतककमेजामें।

62. बजट.- (1) प्राधिकरणकाववत्तिनदेिकऐसेप्ररूपमेंऔरऐसेसममपर, जोवनिममोंद्वाराअवधाररतककमाजामे, प्राधिकरणकीप्राक कशलतप्राप्त ितमोंऔरसांववतरणोंकोबीकानेरवकासआमुक तकोददितेहुए,

आगामीववर्तीमवर्चकेशलएप्रितवर्चबजटतैमारकरेगाजोऐसेउपान् तरणकरनेकेपश चात्, जैसाककवहउचितसमझे, प्राधिकरणकोअनुमोदनकेशलएप्रस् तुतकरेगा।

189

राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

(2) बीकानेरववकासआमुक तप्राधिकरणद्वाराअनुमोदतबजटकीप्रितमांराज मसरकारकोअरिमेवर्तकरेगा।

63. िावषयकररपोटय.- प्राधिकरणपूवचवर्चकेदौरानककमेगमेअपनेकक्रमाकलापोंकीप्रत् मेकवर्चकीसमाजपतकेपश चात् (31 माचचकीसमाजपतपर) ररपोटचतैमारकरेगाऔरउसे 30 शसतम बरकेपूवचराज मसरकारकोप्रस् तुतकरेगा। राज मसरकारले िाववरणसदहतऐसीवावर्चकररपोटचराज मववधान-मण् डलकेसदनकेपटलपररिवामेगी।

अध्याय 10

कनतपयप्रभारोंकेउद्ग्रहणकीशम्तत

64. कनतपयप्रभारोंकेउद्ग्रहणकीशम्तत.- प्राधिकरणराज

मसरकारद्वाराराजपत्रमेंअधिसूचनाद्वारा िनददचष् टदर औरतारी िसे औरऐसीरी ितसे, जोइसिनशमत्तराज मसरकारद्वारावदहतकीजामे, िनम नशलखितप्रभारोंकाउद्रिमहणकरेगा, अथाचत:-

- (क) बीकानेररीजनमेंररक तभूशमकेद्ववतीममापश चात् वतीववक्रमपरप्रीशममम;
- (ि) बीकानेररीजनमेंररक तभूशमपरवावर्चकउद्रिमहण; और
- (ग) आवासीमप्रमोजनसेवाखणजजमकप्रमोजनमाअन् मप्रमोजनकेशलएभूशमकेउपमोगके सांपररवतचनकेशलएसांपररवतचनप्रभार।

स्पष्टीकरण.- इसअध माममेंप्रमुक तकीगमीअशभव् मजकत "ररक तभूशम" सेऐसीसमस् तभूशमअशभप्रेतहैजोराज मसरकार, प्राधिकरणमाककसीस् थानीमप्राधिकारीद्वारापट्टाधृ ितआधारपरआबांढतकीगमीहैमाबेचीगमीहैमाजोभूशमअन् मथास् वाशमत् वाधीनअथवाधाररतहैऔरजजसपरकोईभवनसां िनशमचतनहींककमागमाहैमामददककसीभवनकासां िनमाचणक कमागमाहैतोआच िाददतक्षेत्रभूशमकेकुलक्षेत्रके 1/5 सेकमहो।

65. प्राधिकरणकीननधिमेंजमाककयाजाने िालानगरीयननियरण (भू-ककराया).- (1) प्राधिकरण, राज मसरकारमाककसीअन् मस् थानीमप्राधिकारीद्वारापट्टाधृ ितआधारपरबेचीगमीभूशममाभू िण्डकेधारकोंसेनगरीमिनधाचरणमाभू-ककरामाऐसीदरोंपरऔरऐसीरी ितसेवसूलकरेगाजोवदहतकीजामे। (2) उप-धारा (1) केअधीनवसूलककमागमानगरीमिनधाचरणमाभू-ककरामाप्राधिकरणकी िनिधिमेंजमाककमाजामेगा।

66. कनतपयअनुज्ञम्पतयोंयाअनुज्ञाकेमलएप्राधिकरणफीसप्रभाररतकरसकेगा.- जबइसअधिनममकेअधीनप्राधिकरणद्वाराकोईअनुज्ञजपतप्रदानकीजातीहैमाइसकेद्वाराइसअधिनममकेप्रमोजनोंमेंसे ककसीप्रमोजनकेशलएकोईअनुज्ञादीजातीहैतोप्राधिकरणऐसीअनुज्ञजपतमाअनुज्ञाकेशलएऐसीफीसप्रभाररतकरसके गाजोवविनममोंद्वाराअवधाररतकीजामे।

अध्याय 11

अमभयोजन, िादऔरपुमलसकीशम्ततयां

67. अप्राधिकृतबा िाओंकेमलएशाम्सत.- जोकोई -

- (i) धारा 83 केअधीनउसधारामेंवखणचतप्रमोजनोंकेशलएबीकानेररीजनकेककसीभागमेंककसी भूशमपरमाभवनमेंप्रवे िकरनेकेशलएसिक तककसीव् मजकतकेप्रवे िमेंबाधापहुंजाताहै; मा(ii) ऐसप्रवे िकेपश चात्मापूवोक तऐसेव् मजकतकोउत् पीडड+तकरताहै; मा

भाग 4(क) 1/2

राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 190

- (iii) प्राधिकरणकेककसीसदस् ममाकमचारीकामासरकारकेककसीकमचारीकाउससममप्रितरोध करताहै, उसेबाधापहुंजाताहैमाउत् पीडड+तकरताहैजबककवहप्राधिकरणमासरकारमाऐसे सदस् ममाप्राधिकरणकेकमचारीमासरकारकेककसीकमचारीकोप्रदत्तिजकतमोंकाप्रमोगमा ककसीकतचव् मकापालनमाककसीकृत् मका िनवचहनकररहाहोताहै; मा

- (iv) ककसीभीऐसेव् मजकतकोबाधापहुंजाताहैमाउत् पीडड+तकरताहैजजसकेसाथप्राधिकरणमाराज म सरकारमाराज मकेककसीअधिकारीनेसांवदाकीहैमाप्राधिकरणकेककसीऐसेकमचारीको

बाधापहुं चाता है माउत् पीडड+तकरता है जो प्राधिकरण के मास सरकार के माइस अधिनमम के अधीन उसके द्वारा निम्न तक कसी अधिकारी के कतचव् मोंके पालन माकृत् मोंके निवचन के सम बन् धमें कसी भी बात को करने में विधि पूण चतौर पर लगा है, ऐसे जुमाचने से जो एक हजार रुपमे तक हो सकेगा, माकारावास से जो हिमास तक का हो सकेगा, मादोनों से, दण् डनीम होगा।

68.

ककसी भी काय के ननष्पादन के प्रयोजन के मल एखडी की गयी बाड इत्यादद को हटाने के मल एशा मसत.-

मदद कोई भी मजकत त्रबनाविधि पूण च प्राधिकरण के-

(क) इस अधिनमम के अधीन प्राधिकृत कोई काम करने के प्रमोजन के शल ए प्राधिकरण द्वारा ककसी भवन, दीवार मा अन् मवस् तुको आधार लगाने मास हारा देने हेतु उपमोग में ली गमी ककसी भी बाड मा ककसी भी काष्ठ को हटाता है मा ककसी भी प्रकाश को बुझाता है जो ऐसे ककसी भी स्थान पर कक माग मा है जहां गली मा अन् मजमीन को प्राधिकरण द्वारा िोला गमा है मा तो डी गमा है; मा

(ि) ऐसे ककसी भी चिह्न को हटाता है जो इस अधिनमम के अधीन प्राधिकृत ककसी भी काम के निष्पादन में कोई सतह मा ददा उप दशित करने के प्रमोजन के शल ए डी करना आवश मक है; मा

(ग) दद मेग मे ककसी भी आदेिका अतलांघन करता है मा इस अधिनमम के अधीन ककसी भी काम के निष्पादन के दौरान माता मात के शल ए ककसी भी गली को बन् द करने के प्रमोजन के शल ए प्राधिकरण द्वारा निमत ककसी भी लाका, जांजीर मा चौकी को हटाता है,

तो वह जुमाचने से, जो एक हजार रुपमे तक का हो सकेगा, दण् डनीम होगा।

69. अध्यापिका की अज्ञा करने और ममथ्या सूचना इत्यादद देने के कारण शा मसत.- जो कोई भी-

(क) जानबूझ कर मात्र बना ककसी भी मुजकत मुक तकरण के, इस अधिनमम के अधीन माइस के ककन् हीं भी उपबन् धों के अनुसरण में जारी ककसी भी अध मपेक्षामा अन् मवविधि पूण च आदेि मा निदेिकी अवज्ञा करता है; मा

(ि) इस अधिनमम के उपबन् धों में से ककसी के भी अधीन कोई ववरणी मा कोई सूचना देने की अपेक्षा कक मे जाने पर शमथ मा ववरणी मा शमथ मा सूचना देता है,

वह इतने जुमाचने से जो तीन हजार रुपमे तक का हो सकेगा, मा इतनी अविध के कारावास से जो ककतीन मास तक की हो सकेगी, मादोनों से, दण् डनीम होगा।

70. सायिजनन कभूम पर अनतिमण या बािा.- (1) जो कोई ऐसी ककसी भी भूशम मा स्थान पर,

जो निजी सम पजत्तन हीं है, चाहे ऐसी भूशम मा स्थान प्राधिकरण का हो मान हीं मा उस में निदहत हो मान हीं, ककसी भी सावचिन क माग च में नाश लमों के ऊपर बना मी गमी सी दढ+मोंके शसवाम, अतिक्रमण करता है, दोर्शसवद्ध पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का हीं होगा, ककन्तु जो दो वर्तक का हो सकेगा और ऐसे जुमाचने से,

191 राजस् थान राज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4 (क)

जो बीस हजार रुपमे तक का हो सकेगा, दजण्ड तक क मा जामेगा:

परन्तुन् मामालम ककन् हीं भी पमाचप त और विवरणों से, जजन का निणचम में उल लेिक क मा जामे, एक मास से कम की अ विध के कारावास का दण् ड देि अधिरोव पत कर सकेगा।

(2) जो कोई भी ऐसी ककसी भी भूशम मा स्थान पर, जो ककिन जी सम पजत्तन हीं है, चाहे ऐसी भूशम मा स्थान प्राधिकरण का हो मान हीं मा उस में निदहत हो मान हीं,

ककसी भी सावचिन क माग च में नाश लमों के ऊपर बना मी गमी सी दढ+मोंके शसवाम, बाधा उत् पन् न करता है, दोर्शसवद्ध पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, मा ऐसे जुमाचने से जो दो हजार रुपमे तक का हो सकेगा, मादोनों से, दजण्ड तक क मा जामेगा। (3)

प्राधिकरण मा उस के द्वारा इस निशमत्त प्राधिकृत ककसी भी अधिकारी को ऐसी ककसी बाधामा अतिक्रमण को हटाने की िज कत होगी और ऐसे हटाने का मम उसव् मजकत द्वारा सांदत क मा जामेगा जजने उक त बाधामा अतिक्रमण करत क मा है।

(4) जो कोई भी इस निशमत्त सम मकूप से प्राधिकृत न हो तेहुए, पूर्वोक्त ककसी भी भूशम मा स्थान से शमट्टी, रेत मा अन् मसामरि मी हटाता है, दोर्शसवद्ध पर, ऐसे कारावास से जो हिमास तक का हो सकेगा, मा ऐसे जुमाचने से जो दस हजार रुपमे तक का हो सकेगा, मादोनों से, दजण्ड तक क मा जामेगा।

(5) पूवचगामीउपबन् धोंमेंककसीबातकेहोनेपरभी, प्राधिकरणमाउसकेद्वाराइसिनशमत्प्राधिकृतअधिकारीको, इसधारामेंमथाउपबांधितकीगमीकारचवाईकेअतिररक तइसधारामेंनिददचष टभूशममास् थानपरपामीगमीमा, मथाजस्थित, ऐसीभूशममास् थानसेसांलगनमाऐसीभूशममास् थानसेसांलग नककसीचीजसेस् थामीरूपसेजकडीहुईसम पजत्तकाअशभरिमहणकरनेमाउसेकुचकरनेकीजिकतभीहोगी।

(6) जहांप्राधिकरणद्वाराप्राधिकृतककसीअधिकारीद्वाराकोईसम पजत्तअशभगृहीतमाकुचकीजातीहै, वहांवहप्राधिकरणकोऐसेअशभरिमहणमाकुकीकीररपोटचतत् कालकरेगा।

(7) प्राधिकरण, अधहरणकीकामचवादहमोंकेनिष् कचकेलांत्रबतरहते, अशभगृहीतमाकुचसम पजत्तकीसमुचितअशभरक्षकेशलएऐसेआदेिकरसकेगाजोवहउचितसमझेऔरमददसम पजत्तीघतमाऔरप्रकृत माक्षमिलहोमाऐसाकरनाअन् मथासमीचीनहोतोप्राधिकरणउसेवक्रीतमाअन् मथाव् ममिनतककमेजानेकेआदेिदेसकेगा।

(8) मददपूवोक तरूपसेकोईसम पजत्तवक्रीतकीजातीहैतोउसकेववक्रमागमकासांदामऐसेककसीववक्रमकेव् ममोंमाउससेसांबांधितअन् मआनुर्ांगिकव् ममोंकीकटौतीकरनेकेपश चात्-

(क) जहांप्राधिकरणद्वाराअधहरणकाकोईआदेिअन् ततोगत वापाररतनहींककमागमाहो; मा
(ि) जहांअपीलमेंपाररतआदेिकेद्वाराऐसाअपेक्षतहो, उसकेस् वामीकोमाउसव् मजकतकोककमाजामेगाजससेवहअशभगृहीतकीगमीहै।

(9) जहांउप-धारा (5) केअधीनकोईसम पजत्तअशभगृहीतमाकुचकीजातीहैवहांप्राधिकरणऐसीसम पजत्तकेअधहरणकाआदेिदेसकेगा।

(10) उप-धारा (9) केअधीनककसीसम पजत्तकेअधहरणकाआदेितबतकनहींककमाजामेगाजबतककऐसीसम पजत्तकेस् वामीमाउसव् मजकतकोजससेककवहअशभगृहीतमाकुचकीगमीहै –

(क) उनआधारोंकीउसेसूचनादेनेवालाएकशलखितनोदटस, जजनपरसम पजत्तकाअधहरण प्रस् तावतहै;

(ि) अधहरणकेआधारोंकेववरुद्धऐसेमुजकतमुक तसममकेभीतर-भीतर, जोनोदटसमें वविनददचष टककमाजामे, एकशलखितअभ मावेदनकरनेकाअवसर; और

(ग) मामलेमेंसुनवाईकामुजकतमुक तअवसर,

भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025192
नहींदेदमाजामे।

(11) इसधाराकेअधीनअधहरणकाकोईभीआदेिऐसेककसीदण्ड केअधरोपणकोनहींरोकेगाजससेअधहरणसेप्रभावतव् मजकतइसअधिनममकेअधीनदण्डनीमहै।

(12) जबकभीकोईसम

पजत्तइसधाराकेअधीनअधहरणकेलांत्रबतरहतेअशभगृहीतमाकुचकीजामेतबऐसीसम पजत्तकेकब जे, पररदान, व् ममन, निमुचजकतमावतरणकेसांबांधमेंआदेिकरनेकीअधिकारताप्राधिकरणमाइसअधिनममकीधारा 80 केअधीनगदठतअधकरणकोहोगीऔरतत् समप्रवृत्तककसीअन् मवविधमेंअन् तववचष टककसीप्रितकूलबातकेहोतेहुएभी, ककसीन् मामालम, अन् मअधकरणमाअन् मप्राधिकारीकोनहींहोगी।

(13) जहांकोईव् मजकतउप-धारा (1) माउप-धारा (2)

केअधीनककसीअपराधकेशलएअशभमोजजतहोताहै, तोसात्रबतकरनेकाभारककउसनेअपराधकाररतनहींककमाहै, स् वमांउसपरहोगा।

(14) इसधाराकेअधीनदण्डनीमअितक्रमणमाबाधाकोबन् दकरनेमारोकनेकेकतचव् मसेवविर्रूपसेन् मस् तजोकोईभीप्राधिकरणकाकमचारीऐसेअितक्रमणमाबाधाकोबन् दकरनेमारोकनेमेंजान-बूझकरमाजानतेहुएउपेक्षाकरताहैमाजान-बूझकरलोपकरताहै, दोर्शसवद्धपर, ऐसीअविधकेसादाकारावाससे, जोएकमासतककाहोसकेगा, माऐसेजुमाचनेसेजोएकहजाररुपमेतककाहोसकेगा, मादोनोंसे, दजण्डतककमाजामेगा:

परन् तुकोईभीन् मामालम, प्राधिकरणकीपूवचमांजूरीकेशसवाम, ऐसेकमचारीकेववरुद्धइसधाराकेअधीनदण्डनीमअपराधकासांज्ञाननहींलेगा।

(15) इसधाराकेअधीनकेककसीअपराधकाकोईभीअन् वेर्णपुशलसउप-

अधीक्षककीरैंकसेनीचेकेकसीअधिकारीकेद्वारानहींककमाजामेगा।

71. अपराधिोंकेदण्डकेमलएसामान्यउपबन्ि- जोकोईइसअधिनममकेउपबन् धोंमेसेकसीभीउपबांधमाउसकेअधीनबनामेगमेकसीनिमममावविनममोंमाककसीस् वीकृतमोजना, पररमोजनामास् कीमकाउल लांघनकरताहै, मददऐसेउल लांघनकेशलएकोईभीअन् मिजस्तउपबजन्धतनहींकीगमीहैतोवह- (क)

प्रथमअपराधकेशलएऐसेजुमाचनेसेजोएकहजाररुपमेतककाहोसकेगा; और

(ि) द्ववतीममापश चात् वतीअपराधकेशलएऐसेजुमाचनेसे, जोदोसौपचासरुपमेसेकमऔरपांच हजाररुपमेसेअधिकनहींहोगा, दण् डनीमहोगा।

72. कंपननयोंद्वाराअपराधि- (1) इसअधिनममकेअधीनअपराधकरनेवालाव् मजकतमददकोईकम पनीहैतोप्रत् मेकव् मजकत, जोअपराधककमेजानेकेसममउसकम पनीकेकारबारकेसांचालनकेशलएउसकम पनीकाप्रभारीऔरउसकेप्रितउत्तरदामीथा, औरसाथहीवहकम पनीभीउसअपराधकेदोर्ीसमझेजामेंगेऔरतदनुसारअपनेववरुद्धकामचवाहीककमेजानेऔरदजण्डतककमेजानेके भागीहोंगे:

परन् तुइसउप-धाराकीकोईभीबातइसअधिनमममेंउपबजन्धतकसीभीदण् डकेशलएऐसेव् मजकतकोभागीनहींबनामेगीमददवहमहसात्रबतकरदेताहैककअपराधउसकीजानकारीकेत्रबनाककमागमाथामाउस नेऐसेअपराधकेककमेजानेकोनिवाररतकरनेकेशलएसमस् तसम मक्तत् परताबरतीथी।

(2) उप-धारा (1) मेंकसीबातकेहोतेहुएभी, जहांइसअधिनममकेअधीनकोईअपराधककसीकम पनीद्वाराककमागमाहैऔरमहसात्रबतहोजाताहैककवहअपराधकम पनीकेकसीनिदेिक, प्रबन् धक, सिचवमाअन् मअधिकारीकीसहमितमामौनानुकूलतासेककमागमाहैमाउसकीउपेक्षाकेफलस् वरूपककमा

193 राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025भाग4(क)

गमाहैतोऐसानिदेिक, प्रबन् धक, सिचवमाअन् मअधिकारीभीउसअपराधकादोर्ीसमझाजामेगाऔरतदनुसारअपनेववरुद्धकामचवाहीककमेजानेऔरदजण्डतककमे जानेकाभागीहोगा।

स्पष्टीकरण- इसधाराकेप्रमोजनकेशलए-

(क) “कांपनी” सेकोईनगशमतिनकामअशभप्रेतहैऔरइसमेंफमचमाव् मजकतमोंकाअन् म सांगमसजममशलतहै; और

(ि) फमचकेसांबांधमें “निदेिक” सेफमचकाभागीदारअशभप्रेतहै।

73. अपराधिोंकासंज्ञान- कोईन् मामालमइसअधिनमममातदधीनबनामेगमेनिमम, वविनमममाआदेिकेअधीनदण् डनीमककसीअपराधकासांज्ञानप्रािधकरणद्वारामाउसिनशमत्तप्रािधकरणद्वारास् पष् टत: प्रािधकृतककसीव् मजकतद्वाराअपराधकेतथ मोंकीशलखितशिकामतपरककमेजानेकेशसवामनहींकरेगा:

परन् तुकोईभीव् मजकत, जजसकाउसकीस् वमांकीसम पजत्तकेउपमोगकाअधिकारधारा 31 कीउप-धारा (1) मेंमथादशिचतअनिधकृतववकाससेप्रितकूलत: प्रभावतहोताहै, ऐसेव् मजकतमाव् मजकतमोंकेववरुद्धजजन् होंनेउक तअनिधकृतववकासकादािमत् वशलमाहै, इसीरीितसेशिकामतभीकरसकेगा:

परन् तुमहऔरककऐसीकामचवादहमोंकासम मक्नोदटसप्रािधकरणकोभीददमाजामेगाऔरमददप्रािधकरणएकमुजकतमुक तकालाविधकेभीतरकामचवाहीकेहेतुककोहटादेताहैतोन् मामालमकीकामचवादहमोंका, ककसीभीऐसीअन् मकारचवाईमाकामचवादहमोंपरकोईप्रितकूलप्रभावडालेत्रबनाजजन् हेंप्रािधकरणनेप्रारम भककमाहोमाउसकेपश चाकरसकताहो, उपिमनहोजामेगा।

74. जुमायनािसूलहोजानेपरप्राधिकरणकोउसकासंदायककयाजाना- इसअधिनममकेअधीनअशभमोजनकेसांबांधमेंवसूलककमेगमेसमस् तजुमाचनेप्रािधकरणकोसांदत्तककमेजामेंगे।

75. विधिकमामलोंमेंप्राधिकरणकीशमत्त- प्रािधकरण,-

(क) ककसीभीवविधककामचवाहीकोसांजस्थतकरसकेगा, उसकाप्रितवादकरसकेगामाउसे वापसलेसकेगा;

(ि) इसअधिनममकेववरुद्धककसीअपराधकािमनकरसकेगा; और

(ग) ककसीभीवविधककामचवाहीमेंमाअन् मथाककमेगमेककसीदावेकोस् वीकारकरसकेगा,

उसका मिमनकरसकेगामाउसेवापसलेसकेगा:

परन् तुइसअधिनममकेअधीनककसीअपराधकाअशभमोजनन् मामालमकीअनुमितके
शसवामवापसनहींशलमाजासकेगा।

76. प्राधिकरणकीउन्मुम्तत.— प्राधिकरणकेववरुद्धमाप्राधिकरणमाउसकीकामचकारीसशमितमाअन्
मसशमितमोंमाककसीकृत् मकारीबोडचमाककसीनिकामकेअध मक्ष, सदस्
ममाककसीअधिकारीमाकमचारीकेनिदेिाधीनकामचकरनेवालेककसीअन् मव् मजकतकेववरुद्धऐसीककन्
हींबातोंमेंकोईदावा, अशभमोजनमाअन् मवविधककामचवाहीरिमाह्मनहींहोगीजोइसअधिनममकेअधीनवविधतः
औरसद्भावपूर्वचकऔरसम मवसावधानीऔरसतचकतासेकीगमीहै।

77. प्राधिकरणकेविरुद्धादकानोदटस.— (1) इसअधिनमममातदधीनककमेगमेककसीआदेि,
बनामेगमेककसीनिकाममावविनममकेअनुसरणमेंप्राधिकरणमाउसकेककसीसदस्
मकेमाउसकेककसीअधिकारीमाअन् मकमचारीकेववरुद्धमाप्राधिकरणमाउसकीकामचकारीसशमित,
उसकेककसीकृत् मकारीबोडच, अधिकरण, ककसीसशमितमाउसकेककसीनिकामकेककसीसदस् म,
ककसीअधिकारीमाअन् मकमचारीकेनिदेिाधीनककसीव् मजकतद्वाराकमेगमेमाककमेजानेकेशलएतात्
पिमचतककसीकामचकेबारेमेउसकेववरुद्ध

भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025194

कोईवादउसतारीसेदोमासकीसमाजपतकेपूर्वचसांजस्थतनहींककमाजामेगाजसकोउसव् मजकतके,
जजसकेववरुद्धवादलामाजानाहै, कामाचलममानिवासस्
थानपरएकशलखितनोदटसोड़ागमाहैजजसमेंककवादहेतुकका, इजचितअनुतोरकेप्रकारका,
दावाकृतप्रितकरकीरकमकाऔरसांभाव् मवाददमोंकेनामऔरनिवासस् थानकास् पष्
टकथनहोऔरजबतककऐसेवादमेंमहकथननककमाजामेककऐसानोदटसोड़ामापररदत्तककमाजाचुकाहै।

(2) उप-धारा (1) मेंवखणचतऐसाकोईवाद, जबतकककवहस् थावरसम पजत्तकेप्रत् मुद्धरणमाउसकेस् वत्
वकीघोणकिशलएनहो, ऐसीतारीसेएकवर्चकीसमाजपतकेपश
चात्सांजस्थतनहींककमाजामेगाजसकोवादहेतुकउत् पन् नहोताहै।

(3) उप-धारा (1) मेंअन् तववचष्
टकोईबातऐसेवादपरलागूनहींमानीजामेगीजजसमेंअनुतोरकेरूपमेंकेवलऐसेव्
मादेिकीहीमांगकीगमीहैजजसकाउद्देश मवादकानोदटसदेनेमावादसांजस्थतककमाजानास्
थिगतकरनेपरवफलहोजामेगा।

78. अमभलेखकेसबूतकीरीनत.— प्राधिकरणकेकब जेमेंकीककसीरसीद, आवेदन, मोजना, नोदटस,
आदेि, रजजस् टरकीप्रववजष्टमाअन् मदस् तावेजकोमददवहउसकेवैधअशभरक्षकद्वारामाबीकानेरववकासआमुक
तद्वारामाउसकेद्वाराइसिनशमत्तप्राधिकृतककसीव् मजकतद्वारासम
मकूपसेप्रमाखणतककमागमाहैतोवहउसप्रववजष्टमादस् तावेजकेप्रथमदृष् टमासाक्ष मकेरूपमेंप्राप
तककमाजामेगाऔरवहउससेप्रत् मेकमेंअशभशलखितमामलोंऔरसांवा मवहारोंकेसाक्ष
मकेरूपमेंउसीसीमातकरिमाह्महोगाजहांतकऐसेमामलेकोप्रमाखणतकरनेकेशलएमूलप्रववजष्टमादस्
तावेजरिमाह्महोतामददवहप्रस् तुतककमागमाहोता।

79. प्राधिकरणकेकमयचाररयोंकोदस्तािेजपेशकरनेकेमलएसमनकरनेपरप्रनतबन्ि.—
प्राधिकरणकेककसीसदस् म,
अधिकारीमाकमचारीसेककसीभिवविधककामचवाहीमेंजजसमेंप्राधिकरणपक्षकारनहींहै, कोईरजजस् टरमादस्
तावेज, जजसकीअन् तवचस् तुप्रमाखणतप्रितशलवपद्वारापूर्वचवतीधाराकेअधीनसात्रबतकीजासकतीहै,
पेिकरनेकीऔरउसमेंअशभशलखितमामलोंएवांसांवा
मवहारोंकोसात्रबतकरनेकेशलएसाक्षीकेरूपमेंहाजजरहोनेकीअपेक्षानहींकीजामेगी, जबतकककवविकारणसेन्
मामालमआदेिनिदे।

अध्याय 12

प्रकीणय

80. अधिकरणकागठन.— (1) इसअधिनममकेप्रमोजनकेशलएराज मसरकार, राजपत्रमेंअधिसूचनाद्वारा,
एकअधिकरणकागठनकरेगी।

- (2) अधिकरणमें एकव मजकतहोगा जो ककराज मसरकारका अधिकारी होगा, और उसे ऐसा वेतन और भत्ते ददमेजामेंगे, जो राज मसरकार अवधाररत करे।
- (3) राज मसरकार, अधिकरण की सहायता के शल ए प्राधिकरण को इतनी सांख्य मामें और ऐसे सांख्य के कमचाररमें की निमुकित करने का निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक मकसमझे।
- (4) अधिकरण के व मम प्राधिकरण द्वारा वहन ककमेजामेंगे।
- (5) इस अधिनमम के अधीन अधिकरण को निदद चषट अपीलों मावववादों के विनश चममें अधिकरण द्वारा अपना मीजाने वाली प्रक्रमावह होगी, जो वदहत कीजामे।
- (6) अधिकरण को उस निदद चषट अपील माक की सुनवाई मावविनश चम के सम बन्धमें वे ही जिकत मांहोंगी, जो शसवल प्रक्रमासांदहता, 1908 (1908 का केन् द्रीम अधिनमम सां. 5) के अधीन शसवलन् मामालम को हैं।

195 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

(7) मथा अन् मथा उपबजन्त के शसवाम, इस अधिनमम के ककसी उपबन्ध से उत्पन्न ववाद प्राधिकरण द्वारा अधिकरण को निदद चषट कक माजा सकेगा। अधिकरण का विनश चम अजन्तम होगा और उसके समस्त पक्षकारों पर बाध मकारी होगा।

(8) मथा अन् मथा उपबजन्त के शसवाम,—

- (क) प्राधिकरण के ककसी आदेमिनोदट से व मिथत कोई व मजकत, उसे ऐसे आदेमिनोदट से सांख्य चितककमेजाने से तीसददन के भीतर भीतर अधिकरण में अपील फाइल कर सकेगा; और
- (ि) प्राधिकरण की ओर से ककसी ऐसे आंककत काम चमाक्षित से व मिथत कोई भी व मजकत, जो उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाली हो, ऐसे आंककत काम चमाक्षित की सांख्यनामा जानकारी उसे प्राप्त होने से तीसददन के भीतर ववाद को अधिकरण को निदेशित कर सकेगा;

और अधिकरण का विनश चम अंतिम होगा।

81. ननपटारासममनतकागठन.— (1) राज मसरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण और अन् मजकत में के बीच ववादों को सुलझाने के शल अध मक्ष और इतने अन् मसदस् मौसे, जजतने वह उचित समझे, शमल करबनने वाली निपटारा सशमित कागठन कर सकेगी और ऐसी सशमित, सांख्यित व मजकत द्वारा जब भी निवेदन ककमाजामे, ववाद को सुलझाने का जजम मालेगी।

(2) निपटारा सशमित को ऐसी जिकत मांहोंगी और वह ऐसी प्रक्रमा अपना मेगी जो राज मसरकार द्वारा वदहत कीजामे।

(3) इस प्रमोजन के शल ए पूवचमें गदठत कोई भी सशमित इस अधिनमम के अधीन गदठत की हुई समझीजामेगी।

(4) ऐसी सशमित द्वारा ककमागमा विनश चम प्राधिकरण पर बाध मकारी होगा।

82. प्राधिकरण को देयिन की भू-राजस् की बकाया के रूप में सूली.— जहां कोई रकम (जो प्राधिकरण के ककसी पर सरके सम बन्धमें सांदेम करामान हो) जो चाहे ककसी अशभव मक तमाव वक्षक्षतरूप से ककसी करार के अधीन मा अन् मथा प्राधिकरण को सांदेम हो और निज शचत तारी पर माइसके पूवचसांदत्तन हीं की गमी है— (क) तथादा वाववाद रिमस् तन हीं है तो बीकानेर वकास आमुक त, माइसिन शमत उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकरण को देममा प्राधिकरण द्वारा दावा कृतराशि उप दशित कर तेहु एजला कलक टर को अपने हस् ताक्षर से ऐसा प्रमाण पत्र भेजेगा जजसमें वहरकम बतामी गमी है जो

प्राधिकरण को देममा जसका दावा प्राधिकरण द्वारा ककमाजाता है और तदुपरान् तजला कलक टर, देममा दावा की गमी रकम को भू-राजस् वकी बकामा के रूप में वसूल करेगा;

(ि) मदद दावा ववाद रिमस् त है तो वह अधिकरण को निदद चषट कक माजामेगा जो ऐसी जांच करने के पश चात्, जो वठीक समझे, और उस व मजकत को, जजसके द्वारा धन का सांदेम होना अशभ किथत है, सुनवाई का मुजकत मुक त अवसर ददमेजाने के पश चात् मामले का विनश चम करेगा और अपने विनश चम की सांख्यनामा प्राधिकरण को तुरन् त देगा। अधिकरण के विनश चम से व मिथत कोई व मजकत से विनश चम की तारी से तीसददन के भीतर राजस् व बोडच को अपील कर सकेगा। राजस् व बोडच का विनश चम अंतिम होगा और ककसी भीन् मामालम में प्रश नगतन हीं ककमाजामेगा। तब

कलक टरउसराशिकोभू-राजस् वकीबकामाकेरूपमेंवसूलकरेगाजसकादेमहोनाअवधाररत ककमागमाहै।

भाग4(क)½

राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025196

83. प्रिशकीशम्तत.— (1) प्रािधकरणकाअध मक्षऔरसदस् म, कामचकारीसशमित, ककसीअन् मसशमितमाउसकेककसीकृत् मकारीबोडचमाककसीिनकामकाअधमक्षमासदस् म, बीकानेरववकासआमुक तऔरइसिनशमतउसकेद्वाराप्रािधकृतप्रािधकरणकेअधिकारीऔरकमचारीअपनेसहामकोंमाकमचकारोंसदहतमा उनकेत्रबनाककसीभीभूशममाभवनमेंमाउसकेऊपरिनम नशलखितप्रमोजनोंकेशलएप्रवेिकरसकेगा— (क) कोईजांचकरने, िनरीक्षणकरने, मापनेमासवेक्षणकरनेमाऐसीभूशममाभवनकालेवल

अांककतकरनेकेशलए;

(ि) िनमाचणाधीनकामचकािनीरीक्षणकरनेऔरमलनाशलमोंऔरनाशलमोंकामागचसुिनिजशचतकरने केशलए;

(ग) अवमृदाकोिोदनेमाबेधनेकेशलए;

(घ) िनमाचणकामचकीबाउण् ड्रीऔरआिमतरेिांिनिजशचतकरनेकेशलए;

(ङ) िचहलगाकरऔरिईमांिोदकरऐसेलेवल, बाउण् ड्रीऔररेिांिचिह्नतकरनेकेशलए;

(च) म हअशभिनश िचतकरनेकेशलएकक माककसीभीभूशमकाववकासककसीमोजनाकेउल लांघनमें मात्रबनाअनुज्ञाकेमाककसीितचकेउल लांघनमेंककमागमाहैजसकेअधीनरहतेहुऐसी

अनुज्ञाइसअधिनममकेअधीनस् वीकृतकीगमीहै; मा

(ि) कोईभीअन् मकामचकरनेकेशलएजोइसअधिनममकेदक्षतापूणचप्रािसनकेशलएआवश मकहो: परन् तु –

(i)सूमोदमऔरसूमाचस् तकेबीचकेसममकेशसवामऔरअधभोगीमामददकोईअधभोगीनहीं होतोभूशमअथवाभवनकेस् वामीकोकमसेकमचौबीसघांटेकामुजकतमुक तनोदटसददमे त्रबनाऐसाप्रवेिनींककमाजामेगा;

(ii)जबभीककसीपरसरमेंत्रबनानोदटसकेअन् मथाप्रवेिककमाजासकेतोभीप्रत् मेकबार पमाचप तनोदटसददमाजामेगाताककमदहलाओंकेशलएरिगमेककसीभागसेमदहलाएंपरसर केककसीअन् मभागमेंजासकेंजहांउनकीवैमक ितकएकान् ततामेंववध ननहो; और

(iii)जजसपरसरमेंप्रवेिककमाजामेउसकेअधभोगिमोंकीसामाजजकऔरधाशमचकप्रथाओंका, जहांतकककप्रवेिकीआवश मकताओंसेसांगतहै, सदैवसम मव्ध मानरिजामेगा। (2) उप-

धारा (1) केअधीनप्रािधकृतककसीव् मजकतकेशलएिनीरीक्षणमातलािीकेप्रमोजनकेशलएककसीदरवाजे, फाटकमाअन् मअवरोधोंकोिोलनेमािुलवानेकेशलएप्रवेिकरनावविधपूणचहोगा,— (क) मददवहऐसेप्रवेि, िनरीक्षणमातलािीकेप्रमोजनकेशलएउसकािोलनाआवश मकसमझता

है; और

(ि) मददस् वामीमाअधभोगीअनुपजस्थतहैमाउपजस्थतहोनेपरवहऐसेदरवाजे, फाटकमा अवरोधकोिोलनेसेइन् कारकरताहै।

84. इसअधिननयमकेिीननोदटसकीतामील.— (1) वेसबदस् तावेज, जजनमेंऐसेनोदटसमाआदेिभीआतेहैंजजनकाइसअधिनमममातदधीनबनामेगमेककसीिनमममावविनममद्वाराकक सीव् मजकतपरतामीलकरवामाजानाअपेक्षक्षतहै, इसअधिनमममातदधीनबनामेगमेिनमममावविनमममेंअन् मथाउपबजन्धतकेशसवामसम मकूपसेतामीलहुएसमझेजामेंगे,—

(क) जबऐसादस् तावेजककसीववभाग, स् थानीमप्रािधकारी, रेल वे, कम पनी, सोसामटीमाव् मजकतमों केककसीअन् मिनकाम, जोचाहेिनगशमतहोमानहीं, परतामीलककमाजानाहै, तबमदद दस् तावेजउसववभागकेअध मक्ष, रेलवेकेमहाप्रबन्धक, स् थानीमप्रािधकारी, कम पनीमा

197

राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025भाग4(क)

सोसामटीमाऐसेहीककसीअन् मिनकामकेसिचवमाप्रधानअधिकारीकोसम बोिधत, उसके प्रधानकामाचलम, उसकीिािामास् थानीममा, मथाजस्थित, रजजस् ट्रीकृतकामाचलमकेपतेपर ककमागमाहैऔरमातोवह –

(i) रजजस् ट्रीकृतडाकद्वाराऐसेकामाचलमकोभेजाजाताहै; मा

(ii) ऐसेस् थानपरपररदत्तककमाजाताहै; मा

(ि) वहव् मजकत, जजसपरतामीलकरामीजानीहै, मददककसीफमचकाभागीदारहैतो, मदद दस् तावेजभागीदारीफमचकेनामउसकेप्रधानव् मवसामस् थानकेपतेपरभेजाजाताहैजजससे उसकेनाममाअशभनामकीपहचानहोजामेजजसमेंव् मवसामचलामाजारहाहैऔरमातो वह-

- (i) रजजस् ट्रीकृतडाकसेभेजाजाताहै; मा
- (ii) कारबारकेउक तस् थानपरपररदत् तककमाजाताहै; मा
- (ग) ककसीअन् मदिमें, मददऐसादस् तावेजउसव् मजकतकोसांबोिधतककमागमाहैजजसपरउसकी तामीलकरामीजानीहैऔरवह -
 - (i) उसेददमामािनववदत्तककमाजाताहै; मा
 - (ii) उसव् मजकतकेनशमलनेपरउसेउसकेिनवासस् थानमाकारबारकेअजन्तमज्ञातस् थान केककसीसहजदृश मस् थानपरिचपकाददमाजाताहैमाउसकेपररवारकेककसीवमस् क सदस् मकोददमामािनववदत्तककमाजाताहैमाउसभूशमअ थवाभवनकेककसी सहजदृश मस् थानपरिचपकाददमाजाताहैजजससेककव हसांबोिधतहै; मा
 - (iii) उसव् मजकतकोरजजस् ट्रीकृतडाकद्वाराभेजाजाताहै।

(2) ऐसाकोईदस् तावेज, जजसकाककसीभूशममाभवनकेस् वामीमाअधिभोगीपरतामीलकरामाजानाअपेक्षक्षतमाप्रािधकृतहैउसभूशममाभवनके (भूशममाभवनकानाममावणचनदेतेहुए) "स् वामी" मा, मथाजस्थित, "अधिभोगी" कोत्रबनानामऔरवणचनददमेसम बोिधतककमाजामेगाऔरवहसम मकूपसेतामीलकरामागमासमझाजामेगा,-

- (क) मददइसप्रकारसांबोिधतदस् तावेजउप-धारा (1) केिण्ड (ग) केअनुसारभेजागमामा पररदत्तककमागमाहै; मा
- (ख) मददइसप्रकारसांबोिधतदस् तावेजमाइसप्रकारसांबोिधतउसकीप्रितशलवपभूशममाभवनपर ककसीव् मजकतकोपररदत्तकीगमीहै।
- (3) जहांकोईदस् तावेजइसधाराकेअनुसारभागीदारीफमचपरतामीलकरामागमाहैवहांदस् तावेजप्रत् मेकभागीदारपरतामीलकरामागमासमझाजामेगा।
- (4) ककसीदस् तावेजकोककसीसम पजत्तकेस् वामीपरतामीलकरामेजानेकोसमथचबनानेकेप्रमोजनकेशलएबीकानेरववकासआमुक तमाइसिनशमत्तउसकेद्वाराप्रािधकृतकोईभीअधिकारी, शलखितनोदटसद्वाराउससम पजत्तकेअधिभोगीसे, मददकोईहो, उसकेस् वामीकानामऔरपताप्रकटकरनेकीअपेक्षाकरसकेगा।
- (5) जहांइसधाराकेपूवचवतीउपबन् धोंमेंउपदशिचतरीितसेककसीव् मजकतपरककसीदस् तावेजकीतामीलकरानेकाप्रमासअसफलहोगमाहै, वहांमददतामीलकमेजानेवालेदस् तावेजकानोदटसककसीप्रमुिदैिनकस् थानीमदहन् दीसमाचार-पत्रमेंप्रकाशितककमाजाताहैतोवहऐसेव् मजकतपरउसदस् तावेजकीप्रभावकारीतामीलसमझीजामेगी।

भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 198

85. प्राधिकरणकेअधिकाररयोंऔरअन््यकमयचाररयोंकालोकसेिकसमझाजाना.-

प्रािधकरणकाप्रत् मेकअधिकारीऔरअन् मकमचारीऔरप्रािधकरणकाप्रत् मेकसदस् मउसकीकामचकारीसशमित, अन् मसशमितमेंऔरउसकेकृत् मकारीबोडचऔरइसअधिनिममकेअधीनगदठतअन् मिनकामोंकाप्रत् मेकसदस् मभारतीमन् मामसांदहता, 2023 (2023 काकेन्द्रीमअधिनिममसां. 45) कीधारा 2 (28) केअथाचन्तगचतलोकसेवकसमझेजामेंगे।

86. स्थानीयप्राधिकाररयोंद्वाराउद्गृहीतकरोकेबदलेमेंप्राधिकरणद्वाराएकमुश्तअमभदाय.-

(1) ऐसेिनममों, मददकोईहों, केअधीनरहतेहुएजोइसअधिनिममकेअधीनबनामेजासकेंऔरइसतथ मकोध मानमेंरितेहुएकककसीस् थानीमप्रािधकारीकीअधिकाररतमेंआनेवालेक्षेत्रोंमेंसमस् तमाककन् हींसुि-सुववधाओंकाउपबन् ध, जोस् थानीमप्रािधकारीद्वाराकमेजातेहैं, प्रािधकरणस् वमांकरताहैतोप्रािधकरणऐसेकोईकरजजनमेंसम पजत्तकर, मददकोईहो, भीआताहै, देनेकादामीनहींहोगा, ककन्तुस् थानीमप्रािधकारीकेशलएराज मसरकारकीपूवचमांजूरीसेप्रािधकरणकेसाथमहकरारकरनाविधपूणचहोगाककवहसमस् तउद्गृहीतकरोमाककसीभीउद्गृहीतकरमास् थानीमप्रािधकारीद्वाराकीगमीसेवाओंकेबदलेमेंप्रािधकरणसेएकमुश्

तअशभदामप्राप तकरे।

(2) जहांउप-धारा (1) मेंमथांनददचष टऐसाकोईकरारनहींककमाजासकेतोमामलाराज मसरकारकोनददचष टककमाजासकेगाऔरस् थानीमप्राधिकारीऔरप्राधिकरणकोसुनेजानेकामुजकतमुक तअवसरददमेजानेकेपश चात्राज मसरकारऐसेअशभदामकीरकमकावविनश चमकरसकेगी।राज मसरकारकावविनश चमदोनोपक्षकारोंपरबाध मकारीहोगा।

87. कनतपयमामलोंमेंप्राधिकरणकेदांोकोचुकानेकेमलऐंनयामजदूरीमेंसेकटौती.- (1)

प्राधिकरणकेसाथसांव मवहारकरनेवालाकोईव मजकतप्राधिकरणकेपक्षमेंएककरारिनष् पाददतकरसकेगाजजसमेंमहउपबन् धहोगाककिनमोजकद्वाराउसकोसांदेमवेतनमामजदूरीमेंसेनमोजकऐसीरकम, जोकरारमेंवविनददचष टकीजामे, काटनेऔरइसप्रकारकाटीगमीरकमकासांदामप्राधिकरणकोउसव मजकतकेववरुद्धप्राधिकरणकेकसीउधारमामांगकीतुजष्टमेंकरनेमेंसक्षमहोगा।ऐसेकरारकेसाथिनमोजककीशल खितसम मितहोगी।

(2) ऐसेकरारकेनष् पादनपरप्राधिकरणद्वाराशलखितअध

मपेक्षाद्वाराअपेक्षाककमेजानेपरिनमोजककरारकेअनुसारतबतककटौतीकरेगाजबतककप्राधिकरणऐसेसारेऋण मामांगकेसांदत्तककमेजाचुकनेकीसूचनानहींदेता, औरऐसीकाटीगमीरकमकासांदामप्राधिकरणकोकरेगामानोककवहमजदूरीसांदामअधिनमम, 1936 (1936 काकेन् द्रीमअधिनममसां. 4)

केअनुसारिनमोजकद्वारासांदेमवेतनमामजदूरीकाभागउसतारीकोहैजजसपरिनमोजकसांदामकरताहै।

(3) पूवचगामीउप-धाराकेअधीनकीगमीअध मपेक्षाकीप्राजपतकेपश चात्मददिनमोजकऐसेव

मजकतकोसांदेमवेतनमामजदूरीमेंसेअध मपेक्षामेंवविनददचष टरकमकोकाटनेमेंकसीभीसममअसफलहोजाताहैमाकाटीहुईरकमकोप्राधिकरणकोभेजनेमेंचूककरताहैतोनिमो जकउसकाभुगतानकरनेकेशलएव मजकतगतरूपसेदामीहोगाऔरप्राधिकरणकीओरसेऐसीरकमिनमोजकसेभू- राजस्व क्वीबकामाकेरूपमेंवसूलीमहोगी।

88. राज्यसरकारद्वारा नयंत्रण.- (1) प्राधिकरणअपनीजिकतमोंकाप्रमोगतथाकतचव

मोंकापालनइसअधिनममकेअधीनबीकानेररीजनकेक्षेत्रोंकेववकासकेशलएराज मसरकारद्वारासमम- सममपरबनामीगमीनीतिऔरअधिकथतमागचदिचनकेअनुसारकरेगा।

199 राजस्व थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4 (क)

(2) प्राधिकरणऐसेनिदेोंकाअनुपालनकरनेकेशलएबाध महोगाजोराज

मसरकारद्वाराइसअधिनममकेदक्षतापूणचप्रासनकेशलएसमम-सममपरजारीककमेजामें।

(3) मददप्राधिकरणकेइसअधिनममकेअधीनजिकतमोंकेप्रमोगऔरकतचव

मोंकेपालनकेसांबांधमेंप्राधिकरणऔरराज मसरकारकेबीच, कोईवववादउत् पन् नहोजाताहैतोमामलेकावविनश चमराज मसरकारद्वाराककमाजामेगाऔरउसकावविनश चमअंतिमहोगा।

89. स्थानान्तरणकरनेकीशमत्त.- प्राधिकरणकेकसीभीअधिकारीमाकमचारीकोधारा 95

केअधीनबनामेगमेंनिममोंकेअनुसारराज मसरकारद्वाराराजस्व थानआवासनबोडचमाककसीभीनगरसुधारन् मासमाककसीभीनगरपाशलकामेंऐसेपदपरस् थानान् तररतककमाजासकेगाजजसकावेतनमानस् थानान् तररतककमेजानेवालेअधिकारीमाकमचारीकेवेतनमानसेनिम नतरनहींहो:

परन् तुइसप्रकारसेस् थानान्

तररतअधिकारीमाकमचारीकाधारणाधिकारप्राधिकरणमेंबनारहेगाऔरजबकभीप्राधिकरणमेंउसकेकाडरमेंकेउच चतरपदपरपदोन् नितकेशलएववचारककमाजामे, तबआगेपदोन् नितकेशलएउसपरववचारककमाजामेगा।

90. प्राधिकरणकीविंरणयां, ररपोटेंआददमंगिनेकीशमत्त.-

प्राधिकरणकोबीकानेररीजनमेंकेकसीस् थानीमप्राधिकारीसेमाअन्मप्राधिकारीसेमाककसीअन् मव मजकतसेजजससेइसअधिनमममातत् सममप्रवृत्तककसीअन् मवविधकेअधीनइसकीजिकतमोंकेप्रमोगऔरइसकेकतचव मोंकेपालनकरनेकीइसकेद्वाराअपेक्षाकीजामे, कोईववरणी, लेोंकाववरण, ररपोटच, आंकडेमाअन् मसूचनामांगवानेकीजिकतहोगीऔरऐसाप्राधिकारीमाव मजकतऐसीसूचनादेनेकेशलएबाध महोगा।

91. अधिनयमकाअन्वयविधियोंपरअमभभांीहोना.- इसअधिनममकेउपबांधतत्

सममप्रवृत्तककसीअन् मवविधमेंककसीबातसेअसांगतहोनेपरभीप्रभावीहोंगे।

92. शम्ततयोंकाप्रत्यायोजन.- (1) राज

मसरकारइसअधिनममद्वारामाइसकेअधीनउसेप्रदत्तिनममबनानेकीजिकतसेशभन् नअपनीसमस् तमाककन् हींजिकतमोंकाप्रत् मामोजनअपनेअधीनस् थककसीअधिकारीकोराजपत्रमेंअधिसूचनाद्वाराकरसकेगी।

(2) कोईमास् टरववकासमोजना,

जोनलववकासमोजनामावविनममबनानेकीअपनीजिकतकोडकरप्राधिकरणइसअधिनमममाइसकेअधीनकेव विनममोंद्वाराप्रमोक तव् मअपनीजिकतमोंऔरकृत् मोंमेंसेककसीकाप्रत् मामोजनसरकारकेककसीअधिकारीको, बीकानेररीजनमेंकामचकररहेककसीस् थानीमप्राधिकारीमाअन् मप्राधिकारीमािनकामकोमाकामचकारीसशमितमाककसीकृत् मकारीबोडचकोमाबीकानेरववकासआमुक तकोमाउसकेअधीनस् थककसीअधिकारीकोएकसांकल पद्वाराइससांकल पमेंवविनददचष टितचऔरिनबिंधनोंकेअधीनकरसकेगा:

परन् तुसरकारकेककसीअधिकारीको, स् थानीमप्राधिकारीमाअन् मप्राधिकारीमािनकामकोइसउप- धाराकेअधीनजिकतमोंऔरकृत् मोंकाप्रत् मामोजन, राज मसरकारमास् थानीमप्राधिकारीमाअन् मप्राधिकारीमा, मथाजस्थित, िनकामकीसम मितसेककमाजामेगा।

93. अमभलेखमंगिनेकीशम्तत.- (1) राज मसरकारमाराज

मसरकारद्वाराइसिनशमत्प्राधिकृतासनसिचवसेअिनम नरैककाकोईअधिकारी, इसअधिनममकेअधीनप्राधिकरणमाउसकीककसीसशमितमाअधिकारीद्वारापाररतमापाररतकमेगमेतात् पिमचतककसीआदेिमासांकल पकेसहीहोने, उसकीवैधतामाऔचत् मकेबारेमेंसमाधानकेप्रमोजनकेशलएसुसांगतअशभलेिमांगवासकेगा, औरऐसाकरनेमें, िनदेिदेसकेगाककऐसेअशभलेिकीपरीक्षाहोनेतकऐसाआदेिमासांकल पप्रास् थिगतरीजामेगाऔरउसेअरिमसरकरनेकेशलएकोईभीकारचवाईतबतकनहींकीजामेगीजबतककराज मसरकारमाराज मसरकारद्वाराइस

भाग4(क)½ राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025200

िनशमत्प्राधिकृतअधिकारीद्वाराऐसीपरीक्षानहींकरलीजामेऔरउप-धारा (2) केअधीनआदेिपाररतनकरददमाजामे:

परन् तुककसीआदेिमासांकल पसेसांबांधितकोईभीअशभलेि, ऐसेआदेिमासांकल पकीतारीिसेतीनवर्चकीसमाजपतकेपश चात्इसउप-धाराकेअधीनहींमांगवामाजामेगा।

(2) अशभलेिकीपरीक्षाकरनेकेपश चात्, राज मसरकारमामथापूवोक तप्राधिकृतअधिकारीऐसेआदेिमासांकल पकोवविंडडतकरसकेगा, उलटसकेगामाउपांतरतकरसकेगाऔरराज मसरकारमामथापूवोक तप्राधिकृतअधिकारीकाआदेिआंतिमहोगाऔरप्राधिकरणऔरउसकेअधिकारमोंऔरसशमितमोंपरआबद्ध करहोगा।

94. स्थानीयप्राधिकाररयोंद्वाराननरन्तरकतयव्योंकापालनकरना.- (1)

इसअधिनमममेंककसीबातकेहोनेपरभीबीकानेररीजनमेंसमस् तस् थानीमप्राधिकारी, अपनीजिकतमोंकाप्रमोग, अपनेकृत् मोंकािनवचहनऔरअपनेकतचव् मोंकापालनजोप्राधिकरणकीककसीमोजना, पररमोजनामास् कीमसेआंसगतनहो, िनरन् तरकरतेरहेंगे।

(2) ककसीस् थानीमप्राधिकारीकीओरसेककसीमोजना, स्कीम, पररमोजनामाइसअधिनममकेअधीनददमेगमेककसीिनदेिकीकक्रमाजन्वितकमेजानेमेंववफलरहनेकीदिमेंप्राि धकरण, बीकानेररीजनकेववकासकेशलएमददउचितसमझेतराज मसरकारकीमांजूरीसेऔरराजपत्रमेंप्रकाशितऐसेआदेिद्वाराककसीस् थानीमप्राधिकारीद्वाराप्रमोक तव् मिजकतमों, कृत् मोंऔरकतचव् मोंकोऐसीतारीिसे, जोआदेिमेंवविनददचष टकीजामे, रिमहणकरसकेगाऔरउसदिमेंऐसास् थानीमप्राधिकारीतत् सममप्रवृत्तककसीअन् मवविधमेंककसीबातकेअन्तववचष टहोनेपरभीउक ततारीिसेऐसीजिकतमों, कृत् मों, औरकतचव् मोंकाप्रमोगकरनाबन् दकरदेगा।

95. ननयमबनानेकीशम्तत.- (1) राज मसरकार, साधारणतमाइसअधिनममकेउपबन्

धोंकोकक्रमाजन्वतकरनेकेप्रमोजनकेशलएऔरतद्धीनककसीऐसेववशिष् टमामलेकोवविनमशमतकरनेकेशलएजजसकाववदहतककमाजानाअपेक्षतहैमाजजसकेसांबांधमेंिनममबनामेजाने अपेक्षतहैमाबनामेजासकतेहैं, समम-सममपरिनममबनासकेगी।

(2) राजमसरकार, सेवाकीसदस् मसांख मा, वेतन, ितेंऔरपररलजबधमां, भती, िुट्टीमांजूरकरने, प्राधिकरणकीसेवाओंमेंकेकसीकमचारीकीअवचारकेशलएपररिन् दाकरने, अवनतकरने, िनलजमबतकरने, मापदच मुतकरने, उन् हेंसेवाओंसेअशभमुक तकरनेऔरकसीअन् मकारणकेशलएकेशलए, धारा 9 केअधीननममबनासकेगी।

(3) इसअधिनममकेअधीनराज मसरकारद्वाराबनामेगमेसमस् तिनममराजपत्रमेंप्रकाशितककमेजामेंगे।

(4) इसधाराकेअधीनबनामेगमेसमस् तिनमम, उनकेइसप्रकारबनामेजानेकेपश चात्माथिकिमिघराज मववधान-मण् डलकेसदनकेसमक्षजबककवहसत्रमेंहो, चौदहददवससेअन् मूनकीकालाविधकेशलएजोएकसत्रमेंअथवादोउत्तरोत्तरसत्रोंमेंसमाववष् टहोसकेगी, रिजामेंगेऔरमददउससत्रजसमेंवेइसप्रकाररिगमेहैंमाठीकपश चात् वतीसत्रकीसमाजपतकेपूवचराज मववधान-मण् डलकासदनऐसेिनममोंमेंसेकसीिनमममेंकोईउपान् तरणकरताहैमामहसांकल पकरताहैककऐसाकोईनममनहींबनामाजानाचादहएतोऐसािनममतत् पश चात्केवलऐसेउपान् तरतररूपमेंहीप्रभावीहोगामा, मथाजस्थित, उसकाकोईप्रभावनहींहोगा, तथावप, ऐसाउपान् तरणमाबाितलकरणउसकेअधीनपूवचमेंकीगमीकसीबातकीवविधमान् मतापरकोईप्रितकूलप्रभावनहींडालेगा।

201 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4 (क)

96. विननयमबनानेकीशम्तत.- (1) प्राधिकरणसमम-

सममपरविनममोंद्वाराइसअधिनममकेअधीनउपबांथितककमेजानेवालेसमस् तमाककन् हींमामलोंकेशलएऔरसामान् मतः अन् मसमस् तमामलोंकेशलएविनममबनासकेगाजजनकेशलएप्राधिकरणकीराममेंइसअधिनममकेअधीनइसकीजिकतमोंकाप्र मोगऔरकृत् मोंऔरकतचव् मोंकािनवचहनकरनेकेशलएउपबांधआवश मकहै।

(2) उप-धारा (1)

केअधीनप्राधिकरणद्वाराबनामागमाकोईभीविनममतबतकप्रभावीनहींहोगाजबतकककमहराजपत्रमेंप्रकाशितनहीं होगामाहो।

(3) राज मसरकारराजपत्रमेंअधिसूचनाद्वाराकसीभीसममप्राधिकरणद्वाराबनामेगमेविनममकोपूणचतः माभागतः िनरशसतमाउपान् तरतरकरसकेगीपरन् तुइसउप-धाराकेअधीनकारचवाईकरनेसेपूवचराज मसरकारप्राधिकरणकोवेआधारसांसूचितकरेगीजनपरऐसाककमाजानावहप्रस् तावतकरतीहै, औरप्राधिकरणकेशलएप्रस् तावकेववरुद्धकारणबतानेकेशलएमुजकतमुक तकालाविधिनमतकरेगी, औरप्राधिकरणकेशलए पष् टीकरणऔरआक्षेपों, मददकोईहों, परववचारकरेगी।

(4) ककसीविनममकािनरसनमाउपान् तरण, मददउसमेंकोईतारीिविनजशचतनहींकीगमीहैतोरारजपत्रमेंप्रकाशितअधिसूचनाकीतारीिसेप्रभावीहोगाऔरऐसीतारी िकेपूवचकीगमी, लोवपतकीगमीमाहोनेदीगमीकोईबातउससेप्रभाववतनहींहोगी।

97. ननयमोंकीसोच्चताऔरविद्यमानविननयमोंकाननरसन.- (1)

तत्सममप्रवृत्तककसीअन्मवविधमाविनमममेंककसीप्रितकूलबातकेहोतेहुएभी, इसअधिनममकेअधीनबनामेगमेिनममोंकाअधमारोहीप्रभावहोगाऔरवेप्राधिकरणद्वाराजारीककसीविनमम, उपवविधमाअधिसूचनापर, तबतकअशभभावीहोंगेजबतक, ऐसेविनमम, उपवविधमाअधिसूचनाएंइसअधिनमममातदधीनबनामेगमेिनममोंकेउपबांधोंसेअसांगतनहों।

(2) इसअधिनममकाप्रांभहोनेपरऔरतद्धीननममोंकेप्रवतचनपर, प्राधिकरणद्वाराजारीकोईविनमम, उपवविधमाअधिसूचना, जोइसअधिनमममातद्धीनबनामेगमेिनममोंकेउपबांधोंसेअसांगतहै, ऐसीअसांगितकेववस् तारतकिनरशसतहोगी।

(3) इसअधिनममकेप्रांभसेपूवचप्राधिकरणद्वाराजारीककसीविनमम, उपवविधमाअधिसूचनाकेअधीनकीगमीकोईकारचवाईमाककमागमाविनन चम, जबतकककइसअधिनममकेअधीनववरिचतिनममोंद्वाराउसेअशभव् मक तरूपसेअवविधमान् मनकरददमाजामे, वविधमान् मरहेगा।

98. कदठनाइयोंकेननराकरणकीशम्तत.-

मददइसअधिनममकेउपबांधोंकोप्रभावीबनानेमेंकोईकदठनाईउत् पन् नहोतीहैतोरारज मसरकार, जबभीअवसरहोलेककनवहउसतारीिसेजसकोप्राधिकरणकीस् थापनाहुईहैदोवर्चपश चालहींहो, आदेिद्वाराकोईभीऐसीबातकरसकेगीजोककइसअधिनममकेउद्देश

मों और प्रमोजनों से असांगत नही हो और जो कद ठनाई के निराकरण के प्रमोजन के शल एउ से आवश
मक मासमी चीन प्रतीत होती हो।

99. प्राधिकरण का विघटन.- (1) जहां राज मसरकार का समाधान हो जा मे क क वे प्रमोजन,
जजन के शल एउ स अधिनमम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी,
सारवा त्रूप से पूरे क मे जा चुके हैं जज से के कारण राज मसरकार की राम में प्राधिकरण का अस्ति
वमें बनारहना आवश
मक नही रह गया है, वहां राज
मसरकार राज पत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी क क प्राधिकरण ऐसी तारी से वव घटत हो जा मे गा जो अधिसूचना में विन द
द चष्ट की गयी है और प्राधिकरण तदनुसार वव घटत हुआ समझा जा मे गा।

(2) उक्त तारी से –

भाग 4 (क) 1/2 राजस् थान राज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 202

(क) समस् त आजस्त मां, सम पजत्त मां, निधमां जो प्राधिकरण में निदहत थीं और बकामा जो उसके
द्वारा वसूली मैं, राज मसरकार में निदहत होगी मा उसके द्वारा वसूली होगी;

(ि) प्राधिकरण में निदहत, उस से सां बांधित मा उसके व ममना धीन सम पूण चभूशम राज मसरकार को
प्रित वित्त चत हो जा मेगी;

(ग) समस् त दे मताएं, जो प्राधिकरण के ववरुद्ध प्रवत चनी मैं, राज मसरकार के ववरुद्ध प्रवत चनी होगी;
और

(घ) क क सीवकास के निष्पादन के प्रमोजन के शल ए जो प्राधिकरण द्वारा पूण चत: निष्पादत नही
क क माग मा है और निष्पाद (क) में निदद चष्ट आजस्त मों, सम पजत्त मों, निधमों और बकामाओं की
वसूली के प्रमोजन के शल ए प्राधिकरण के कृत मों का निवचन राज मसरकार द्वारा क क मा
जा मे गा।

100. मस विलन्यायालय की अधिकारता का विजयन.- (1) इस अधिनमम में अन् मथा उप
बांधित के शसवाम, कोई भी शसववलन्
मामालम ऐ से माम ले का सां ज्ञान नही करे गा जज का इस अधिनमम के अधीन प्राधिकरण, कामचकारी सशमित,
बीकानेर ववकास आमुक्त, कृत मकारी बोडच, उसके क क सी नि काम, अधिकरण माराज
मसरकार द्वारा विन जश चत क क मा जाना मा क क मा जा सकना अपेक्षित है।

(2) इस अधिनमम में अशभव् मक तरूप से जैसा अन् मथा उप बजन्त है उसके शसवाम, राज
मसरकार द्वारा पाररत आदेि,
मा प्राधिकरण को दद माग मा नि देि मा प्राधिकरण द्वारा इस अधिनमम के अधीन पाररत आदेि मा जारी क क माग मा नोद
टस अजन्त म हो गा और क क सी वाद मा अन् म वविधक काम चवाही में प्रश नगत नही क क मा जा मे गा।

101. नगर सुधार न्यास, बीकानेर का विघटन और व्याप्ति तयां.- (1) राजस्
थान नगर सुधार अधिनमम, 1959 (1959 का अधिनमम सां. 35), जज से इस में इसके पश चात् "उक्त अधिनमम"
क हाग मा है और उसके अधीन बना मे ग मे निममों, विनममों, और उप-वविधमों में कोई बात हो ते हु एभी,
इस अधिनमम के अधीन बीकानेर रीजन के शल ए प्राधिकरण के गठन की तारी से, जज से इस में इसके पश
चात् ऐ सा गठन क हाग मा है, –

(क) बीकानेर कानगरी मक्षेत्र नगर सुधारन् मास, बीकानेर (जज से इस में इसके पश चात् मास क हा
ग मा है) में निदहत नही रहे गा तथान् मास उस क्षेत्र में अधिकारता का प्रमोग कर ना मा कृत म
कर ना बां द कर दे गा;

(ि) बीकानेर के नगरी मक्षेत्रों में आने वाले क्षेत्र में काम च करने वालान् मास ऐ से गठन के तुरन् त पूव च
वव घटत हो जा मे गा;

(ग) ऐ से गठन के पूव च बीकानेर के नगरी मक्षेत्र में जस्थत और ऐ से क्षेत्र के ववकास अथवा सुधार
करने मा कराने के प्रमोजन के शल एन् मास में निदहत समस् त भूशम, भवन और अन् मस् थावर
सम पजत्त मां (उस में हर प्रकार के और क क स् म के समस् त दहतों सदहत) इस प्रकार गठत
प्राधिकरण को चली जा मेगी, और उस में निदहत हो जा मेगी;

(घ) ऐ से गठन के तुरन् त पूव च ऐ से क्षेत्र के ववकास मा सुधार करने मा कराने के प्रमोजन के शल ए
न् मास से सां बांधित उसके द्वारा धाररत समस् त स् टोर, वस् तुएं मा अन् म जांगम सम पजत्त मां इस
प्रकार स् थावपत प्राधिकरण को चली जा मेगी और उस में निदहत हो जा मेगी;

(ड) ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व चमा ऐसे क्षेत्र के सांबंध में न् मास द्वारा कक मेग मेसमस् तिनधाचरण, मूल मांकन, मापमावव भाजन जहां तक इस अधिनमम के उपबांधों से असांगत नही है वहां तक

203 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

बने रहेंगे और जब तक वे प्राधिकरण द्वारा कक मेग मेसमस् तिनधाचरण, मूल मांकन, मापमावव भाजन द्वारा अतजष्ठत नही कक मेजामें गेत बतक इस अधिनमम के उपबांधों के अधीन बना मेग मेसमझे जामेंगे;

(च) बीकानेर के नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित कक मेग मेसमस् तिनधाचरण के ववकासमा सुधार के शल ए और उक त अधिनमम के अधीन तैमार की गमीसमस् तमोजनाएं, स् कीमें, जहां तक वे इस अधिनमम के उपबांधों से असांगत हों, इसके अधीन तैमार की गमीसमझी जामेंगी और ऐसी कोई मोजनामा स् कीम जो इस अधिनमम के प्रारम भके तुरन्त पूर्व चप्रवृत्त हुई थी, वह प्रवृत्त रहेगी जहां तक कक उसका निवाच हइस अधिनमम के अधीन अन् मथा कक मागमा है;

(ि) न् मास से सांबद्ध और ऐसे क्षेत्र के ववकासमा सुधार और इस से सांबांधित मोजनाओं और स् कीमों और कागजातों को सजमम शलत कर तेहु एजो ककिण्ड (च) में निदद चष् टक कक मेग मेहें, समस् त अशभले और कागजात प्राधिकरण में निदद हत होंगे और इस को अन् तररत हो जामेंगे;

(ज) ऐसा गठन होने के तुरन्त पूर्व चके न् मास के अधीन से वारत प्रत् मेक अधिकारी माकम चारी ऐसा गठन होने पर और गठन के समम प्राधिकरण को हिमास की कालाविध के शल ए अस् थामी तौर पर स् थानान् तररत समझे जामेंगे जस कालाविध के भीतर जब तक कक वह अन् मथा बढा मीन जामे, प्राधिकरण उन के ऐसी रीति से स् क्रीनिंग के पश चात् जो वविनममों द्वारा अवधाररत की जामे, उन को ऐसे पदों तथा ऐसे पदनामों पर जो कक प्राधिकरण अवधाररत करे, सेवामें आमेशलत करेगा। प्राधिकरण की सेवामें इस प्रकार आमेशलत अधिकारी और ककम चारी ऐसी पदाविध तक, ऐसे पाररश्रमक पर और सेवा के ऐसे निबांधनों औरित चपर पदधारण कर सकेंगे जैसा कक वह उस समम धारण कर तेमदद प्राधिकरण गदठत नही होता, और इस प्रकार तब तक निरन् तरधारण कर ते रहे जब तक कक ऐसी पदाविध, पाररश्रमक और निबांधन और ितें प्राधिकरण द्वारा सम मकूप से पररवित चतन नही कर दी जाती हैं। ऐसे अधिकाररमों और ककम चाररमों में से वे जो प्राधिकरण द्वारा इस की सेवामें आमेशलत नही कक मेजाते हैं, न् मास के अधिधिकारी और ककम चारी समझे जामेंगे और राज मसरकार द्वारा ककसी स् थानीय प्राधिकारी मा अन् मप्राधिकारी की सेवामें जन् हें राज मसरकार ठीक समझे, ऐसे पदों पर, ऐसे पदनामों पर, ऐसे वेतन तथा भत्तों पर, सेवा के ऐसे निबांधनों औरित चपर, जो ववदहत की जामें, आमेशलत कक मेजामेंगे ककन् तु उन् हें पदों पर ऐसे निबन् धनों पर आमेशलत नही ककमा जामेगा जो वेतन और भत्तों के मामले में उनके शल एकमलाभ प्रद हों:

परन् तु -

- ऐसे गठन के पूर्व चइस प्रकार आमेशलत ककसी अधिकारी माकम चारी द्वारा की गमी कोई सेवा प्राधिकरण के अधीन की गमी सेवा समझी जामेगी; और
- इस प्रकार आमेशलतन कक मेग मेसमस् तिनधाचरण की सेवामें बने रहेंगे और उनके वेतन और भत्ते प्राधिकरण की निध से तब तक सांदत् तक कक मेजामेंगे जब तक कक वे उपमुचक त प्रकार से राज मसरकार द्वारा आमेशलतन कर शल मेजामें; (इ) उक त अधिनमम के अधीन की गमी कोई बात माकमागमा कोई काम चजसमें की गमी कोई निमुजकत, प्रत् मामोजन, आदेि, बनामी गमीस् कीम, निमम, उप-विविधमां, वविनमम माजारी की गमी अधिसूचनामास् वीकृत की गमी अनुज्ञा आती है, जहां तक वह इस अधिनमम के उपबांधों से असांगत नही है, वह प्रवृत्त रहेगी और इस अधिनमम के उपबांधों के अधीन की गमी समझी

भाग 4(क) 1/2 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 204

जामेगी जब तक कक वह उक त उपबांधों के अधीन की ककसी बात माकमा ककसी कारचवाई द्वारा अतजष्ठत नही कर दी जाती है;

- ऐसे गठन के ठीक पूर्व चउस क्षेत्र के शल ए न् मास द्वारा, उसके साथ माउस के शल ए उपगत समस् त ऋण, बाध मताएं और देमताएं, उसके द्वारा माउस के साथ ही की गमी समस् त सांववदाएं, उसके द्वारा कक मेग मेसमस् त आबांटन और अंतरण मा बीकानेर के नगरीय क्षेत्र में समावव ट

क्षेत्रमेंमाउसकेसांबांधमेंउसकेद्वाराबातोंऔरकामचकाककमाजानाठहरामागमाहैवेसब प्राधिकरणकेद्वारा, उसकेसाथमाउसकेशलएउपगतकीगमीमाकरनेकेशलएठहरामीगमी समझीजामेंगी;

(ट) इसअधिनमममेंककसीबातकेहोनेपरभी, ऐसेगठनकेपूवचन् मासकेद्वारामाउसकीओरसे कीगमीकोईघोर्णा, ककमेगमेआवेदन, प्रकांिन, जारीअधिसूचना, िनमुजकत, आदेि, ककमागमा भूशमकाआबांटन, प्रस् ताव, पांचाट, कीगमीकामचवाही, परामिच, जांच, प्रमाणीकरण, ककमागमा समझौता, मांजूरी, करार, नोदटस, अनुमोदन, वविनश चम, वववाद, ककसीवविधककामचवाहीका प्रत् माहरणकरना, बनामीगमीककसीअांितमस् कीममाककमेगमेकामचकीवविधमान् मताइसप्रकार समझीजामेंगेजैसेवेप्राधिकरणकेद्वारामाउसकीओरसेइसअधिनममकेअधीनबनामेगमे, जारीककमेगमे, ककमेगमेमाबनामीगमीथीं;

(ठ) ककसीवविधककामचवाही, ककसीप्रिमनीमअपराधमाककसीस् वीकृतदावेमेंमाउससेन् मास द्वारामाउसकीओरसेऐसेगठनकेपूवच, ककमेगमेसमस् तसमझौते, प्रितवादमाप्रत् माहरण, प्राधिकरणद्वारामाउसकीओरसेककमेगमेसमझीजामेंगेऔरप्राधिकरणकेद्वारामाववरुद्ध उसीप्रकारप्रभावीहोसकेंगेजैसेककवेगठनकेपूवचन् मासद्वाराउसकेववरुद्धप्रवृत्तहोतेथे; (ड) न् मासद्वाराउसकेशलएमाउसकेववरुद्धसांजस्थतककमेगमेसमस् तवाद, अशभमोजनऔर अन् मवविधककामचवादहमांप्राधिकरणकेद्वारामाउसकेववरुद्धजारीरहसकेंगीमासांजस्थत कीजासकेंगी;

(ढ) न् मासमेंिनदहतसमस् तजांगमऔरस् थावरसम पजत्तमांऔरककसीसम पजत्तमेंसमस् तअधिकार, स् वत् व, औरदहतप्राधिकरणमेंिनदहतहोजामेंगेऔरन् मासकेकब जेमेंकीऐसीसमस् त सम पजत्तमांप्राधिकरणकेकब जेमेंसमझीजामेंगी;

(ण) न् मासकोदेमसमस् तककरामे, फीसऔरअन् मधनराशिमांप्राधिकरणकोदेमसमझीजामेंगी; और

(त) समस् तराशिमांमाप्रभारजनकाककन् मास, ऐसेगठनकेतुरन् तपूवचबीकानेरनगरीमक्षेत्रकी ककसीभूशमकेववकासमासुधारकेशलएमाउसकेसांबांधमेंउद्रिमहण, िनधाचरणऔरवसूलकरने काहकदारथा, इसअधिनममकेतत् स् थानीउपबन् धोंकेअधीनप्राधिकरणद्वाराउदगृहीत, िनधाचररतऔरवसूलककमेजातेरहेंगे।

(2) न् मासकेप्रमोजनोंमेंसेककसीप्रमोजनकेशलएजहांराजस् थाननगरसुधारअधिनमम, 1959 (1959काअधिनममसां. 35) मातत् सममप्रवृत्तककसीअन् मवविधकेअधीनकोईअजचनकीकामचवाहीप्रारम भहोगमीहैतोवहउपमुचक तवविधमोंकेउपबांधोंकेअधीनऔरउसकेअनुसारजारीरहेगीऔरपूणचकीजामेगी।

102. ननरसनऔरवयािृत्ततयां.- (1) बीकानेरवकासप्राधिकरणअध मादेि, 2024 (2024 काअधमादेिंसां. 3) इसकेद्वारािनरशसतककमाजाताहै।

205 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 भाग 4(क)

(2) ऐसेिनरसनकेहोतेहुएभी,

बीकानेरवकासप्राधिकरणअधमादेि, 2024 (2024 काअधमादेिंसां. 3)

केअधीनकीगईकोईबातमाकीगमीकोईकारचवाईइसअधिनममकेअधीनकीगमीसमझीजामेंगी।

भाग 4(क) 1/2 राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025 206

अनुसूची

बीकानेररीजनमेंआनेिलेशहर, कस्बों, औरगांिोंकीसूची

शहर

1. बीकानेरिहर

कस्बा

2. देिनोक

3. नापासर

गांितहसील- बीकानेर

4. अनोपसागर

5. भोजनाला

6. शिवबाड़ी

7.

ककसमीदेसर	8.
भीनासर	
9.	श्रीरामसर
10.	गांगाहिर
11.	
सुजानदेसर	12.
रिहस् वेरूपदेसर	
13.	करमीसर
14.	नत् थुसर
15.	
रघुनाथसर	16.
रिहनथांनिमां	
17.	पेमासर
18.	उदासर
19.	
चक 9 बी.एस.एम.	20.
चक 10 बी.एस.एम.	
21.	चक 11 बी.एस.एम.
22.	चक 12 बी.एस.एम.
23.	
चक 13 बी.एस.एम.	24.
चक 14 बी.एस.एम.	
25.	रिहकजाणी
26.	ररड़मलसरपुरोदहतान
27.	नैणोंकाबास
207	राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025भाग4(क)
28.	ररड़मलसरशसपादहमान
29.	रामसर
30.	दहमतासर
31.	चक 15 बी.एस.एम.
32.	चक 16 बी.एस.एम.
33.	जोड़बीड
34.	गाढ़वाला
35.	पनपालसर
36.	रिहअचारजान
37.	चक 5 बी.एस.एम.
38.	चक 6 बी.एस.एम.
39.	चक 7 बी.एस.एम.
40.	चक 8 बी.एस.एम.
41.	उदमरामसर
42.	हुसांगसर
43.	बासीसहजबरदारान
44.	चक 1 एच.एस.एम.
45.	चक 2 एच.एस.एम.
46.	चक 3 एच.एस.एम.
47.	चक 1 एन.जी.एम.

48. चक 2 एन.जी.एम.
49. चक 3 एन.जी.एम.
50. चक 486-250 आर.डी.
51. चक 483-500 आर.डी.
52. नौरांगदेसर
53. राणीसर
54. िोभासर
55. िरहभाउव् मास
56. िरहबरडी
57. िरहजाटान
58. िारा
59. चक 1 जे.एम.डी

भाग4(क^{1/2})

राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025208

60. चक 2 जे.एम.डी

61. चक 3 जे.एम.डी
62. चक 4 जे.एम.डी
63. चक 5 जे.एम.डी
64. डाईमा
65. चकगबी
66. बीवाल
67. चक 1-2 बी.के.एम.
68. चक 3 बी.के.एम.
69. चक 4 बी.के.एम.
70. चक 5 बी.के.एम.
71. चक 6 बी.के.एम.
72. चक 7 बी.के.एम.
73. चक 1 बी.एस.एम.
74. बस् तीचावड़ान
75. िरहतेशलमां
76. कानासर
77. रावतसरकुम हारान
78. चक 481-500 आर.डी.
79. नगासर
80. चक 496-150 आर.डी.(आर)
81. चक 496 आर.डी. (एल)
82. चक 489 आर.डी. (आर)
83. चक 489 आर.डी. (एल)
84. चक 493 आर.डी. (आर)
85. चक 493 आर.डी. (एल)
86. चक 2 बी.एस.एम.
87. चक 3 बी.एस.एम.
88. चक 4 बी.एस.एम.
89. चक 4 एन.जी.एम.
90. चक 5 एन.जी.एम.

209	91. चक 6 एन.जी.एम. राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025भाग4(क)	92. चक 19 जेएमडी
	93. चक 20 जेएमडी	
	94. चक 21 जेएमडी	
	95. चक 22 जेएमडी	
	96. चक 23 जेएमडी	
	97. बदरासर	
	98. नालबड़ी	
	99. नालोटी	
	100. चक 24 जेएमडी	
	101. चक 25 जेएमडी	
	102. चक 26 जेएमडी	
	103. चक 27 जेएमडी	
	104. चक 28 जेएमडी	
	105. िरहगोलप्रतापशसांह	
	106. िरहसुथारनमाकडान	
	107. िरहरताणीव् मास	
	108. िरहगोपलान	
	109. िरहब्राहम णान	
	110. कावनी	
	111. कोलासर	
	112. मेघासर	
	113. बच िासर	
	114. स् वरूपदेसर	
	115. लालमदेसर	
	116. भोजुसर	
	117. बरशसांहसर	
	118. बासी	
	119. पलाना	
	120. सुजासर	
	121. आम बासर	
	122. गीगासर	
	123. ककलचूदेवडान	
भाग4(क)½	राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025210	124. ककलचूसहलोतान
	125. सुरधनाचोहनान	
	126. सुरधनापडडहारान	
	127. केसरदेसरजाटान	
	128. केसरदेसरबोहरान	
	129. केसरदेसरगांगागुरान	
	130. कल माणसरअगुणा	
	131. कल माणसरउतरादा	
	132. कल माणसरबड़ा	
	133. देवासर	
	134. सींथल	
	135. लालशसांहपुरा	
	136. बेलासर	
	137. गुसांईसर	

138.	रिहबेदाना	
139.		
बम बलू	140. गैरसर	
141.	रिीचमां	
142.	जामसर	
143.		
रकबाजलालसर	144. जलालसर	
145.	5 केएचएम	
146.	जालवाली	
147.		
नूरसर	148. 6 जेएमडी	
149.	7 जेएमडी	
150.	8 जेएमडी	
151.		
9 जेएमडी	152. 10 जेएमडी	
153.	रिहरूपामत	
154.	चक 1 डी.एम.एच	
155.	चक 2 डी.एम.एच	
211	<u>राजस् थानराज-पत्र,अप्रैल 03,2025भाग4(क)</u>	156. 3 डीएचएम
157.	भरूपावां	
158.	भरूीरा	
159.		
6 केएचएम	160. 7 केएचएम	
161.	11 जेएमडी	
162.	12 जेएमडी	
163.		
13 जेएमडी	164. 14 जेएमडी	
165.	15 जेएमडी	
166.	16 जेएमडी	
167.		
18 जेएमडी	168. मेहरासर	
169.	डांडूसर	
गांतिहसील- कोलायत		
170.	कोडमदेसर	
171.	गजनेर	
172.	मोडडमामानसर	
173.	सालासर	
174.	रिहकुलेरा	
175.	रिहककराडू	
176.	रिहघेरूलाल	
177.	रिहजुगलदास	
178.	रिहपब बीब्राहमणी	
179.	रिहशभमानीमाणी	
180.	कोटडा	
181.	रितचांडासर	
182.	चांडासर	
183.	नाईमोंकीबस् ती	

184.	बस् तीचौहानान	
185.	बालाला	
186.	रिहगुजराईत	
भाग4(क ^{1/2})	राजस् थानराज-पत्र, अप्रैल 03, 2025	गांतिहसील- नोखा
187.	रासीसरपुरोदहतान	
188.	रासीसरबड़ाबास	

ब्रजेन् द्रजेन्,
प्रमुखशासनसधचि।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2025

No. F. 2(7)Vidhi/2/2025.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Bikaner Vikas Pradhikaran Adhiniyam, 2025 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 8):-

(Authorised English Translation)

**THE BIKANER DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2025 (Act
No.8 of 2025)**

(Received the assent of the Governor on the 27th day of March, 2025)

An

Act

for forming Bikaner City and certain contiguous areas into Bikaner Region, to provide for the establishment of an Authority for the purposes of planning, co-ordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the Bikaner Region and of executing plans, projects and schemes for such development and to provide for matters connected therewith.

Whereas, Bikaner City, Napasar and Deshnok and areas contiguous to it are being progressively developed and populated, and the necessity is being increasingly felt for forming these areas into Bikaner Region and for setting up of an Authority for the purpose of planning, co-ordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of these areas, in which several government departments, local authorities and other organizations are at present engaged within their own jurisdictions; to provide also that such Authority be enabled either itself or through other authority to formulate and execute plans, projects and schemes for the development of Bikaner Region so that housing, community facilities, civic amenities and other infrastructure are properly created for the population of Bikaner Region in the perspective of 2040 A.D. or thereafter including the intermediate stages, and to provide for matters connected with the purpose aforesaid;